Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

# हरियाणा विधान सभा
# की
# कार्यवाही

14 जुलाई, 2014

खण्ड-2, अंक-2

अधिकृत विवरण

## विषय सूची

सोमवार, 14 जुलाई, 2014


| | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| अनुपस्थिति के संबंध में सूचना | (2) 1 |
| नियम 15 के अधीन प्रस्ताव | (2) 1 |
| नियम 16 के अधीन प्रस्ताव | (2) 1 |
| सचिव द्वारा घोषणा | (2) 2 |
| सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र | (2) 2 |
| विभिन्न मामले उठाना | (2) 3 |
| वाक-आउट | (2) 5 |
| सरकारी संकल्प- | |
| एस.वाई.एल. कैनाल सम्बन्धी | (2) 5 |
| विधान कार्य- | (2) 56 |
| (i) चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी, भिवानी बिल, 2014 | |

(ii) चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद बिल, 2014

(iii) दि पंजाब शिडयूल्ड रोड्स एण्ड कन्ट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा वैलीडेशन) बिल, 2014

(iv) दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2014

(v) हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2014

(vi) दि इंडियन पीनल कोड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2014

(vii) दि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2014

(viii) स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफौर्मिंग एण्ड विज्युअल आर्ट्स रोहतक बिल, 2014

सरकार की उपलब्धियों से सम्बन्धित वक्तव्य/मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद (2) 90

वाक-आउट (2) 91

सरकार की उपलब्धियों से सम्बन्धित वक्तव्य/मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद (पुनरारम्भण) (2) 92

# हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 14 जुलाई, 2014

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

---

## अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Rameshwar Dayal Rajoria, MLA in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today *i.e.* 14th July, 2014 due to some personal reason.

## नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

*The motion was carried.*

---

## नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

*The motion was carried.*

---

## सचिव द्वारा घोषणा

**Mr. Speaker :** Now, the Secretary will make an announcement.

**Secretary :** I have to inform the House that the Haryana Sikh Gurudwara (Management) Bill, 2014 which was passed by the Haryana Legislative Assembly during its Session's sitting held on 11th July, 2014 and has been assented to by the Governor.

---

## सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

**Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay the papers on the Table of the House.

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I be to lay on the Table of the House.

The Food and Supplies Department Notification No. S.O. 76/C.A.20/2013/S40/2014, dated the 1st July, 2014 regarding Haryana Food Security (Method of Appointment, conditions of service of Chairman and Members) Rules, 2014, as required under Section 40 (3) of the National Food Security Act, 2013.

The Excise and Taxation Department Notification No.S.O.35/H.A.6/2003/S.60/2014, dated the 26th February, 2014 regarding amendment in the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2014, as required under Section 60 (4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Annual Financial Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2012-2013, as required under Section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956 .

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on Social, General and Economic Sectors (Non-Public Sector Undertakings) for the year ended 31st March, 2013 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Administrative Reforms Department Notification No. 7/11/2014-3AR, dated the 1st July, 2014 regarding Haryana Right to Service Rules, 2014, as required under Section 21 (3) of the Haryana Right to Service Act, 2014.

## विभिन्न मामले उठाना

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा** : स्पीकर सर, हमने एडिड स्कूलों के कर्मचारियों और सूखे इत्यादि के बारे में कालिंग अटैंशन मोशन दिए हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) हम चाहते हैं कि यहां पर उनके बारे में डिस्कशन करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज** : स्पीकर सर, मैंने भी कई विषयों पर कालिंग अटैंशन मोशंज दिए हुए हैं मैं भी यह चाहता हूं कि उन पर भी यहां पर डिस्कशन करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री रामपाल माजरा** : सर, पूरे हरियाणा में बिजली की समस्या है और ऊपर से बरसात न होने के कारण पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति है। कहीं पर भी धान की फसल की रोपाई नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है। हमने इसके लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। (शोर एवं व्यवधान) आज प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं इसलिए हमने कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हुए हैं इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमें हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का फेट बताया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, I have received twelve Calling Attention Motions. One from Shri Ram Pal Majra, Shri Abhay Singh Chautala, Shri Ashok Arora and Shri Krishan Lal Panwar regarding the Bad Condition of the Farmers in the State. Second, from Shri Ram Pal Majra and same Hon'ble Members regarding the great resentment amongst the Staff/Employees of the Aided Schools in the State. Third from Shri Rampal Majra and same Hon'ble Members regarding Great Resentment amongst the Computer Teachers in the State. Fourth from Shri Ram Pal Majra and same Hon'ble Members regarding great resentment amongst the large number of employees working as Sweepers on Ad-hoc/Contract Basis in Municipal Committee/Councils/Corporations in the State. Shri Ram Pal Majra has given Calling Attention Motion regarding pitiable condition of School Education in Government Schools in Haryana, Smt. Kavita Jain has given Calling Attention Motion regarding hike in price of building material, Smt. Kavita Jain has also given Calling Attention Motion regarding Below Poverty Line Cards, Smt. Kavita has also given Calling Attention Motion regarding smuggling of cows and Shri Anil Vij's Hon' ble Member has given Calling Attention Motion regarding great resentment amongst all the Government Employees due to contract system etc. of the Government, Shri Jadgish Nayar has given Calling Attention Motion regarding the scarcity of water and electricity in the State, I have disallowed all these motions.

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, क्या सभी कर्मचारियों की मांगे पूरी हो चुकी हैं? आज तो सत्र का आखिरी दिन है इसलिए सत्र लम्बा चलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** I will allow some discussion on scanty rains. I will allow that because you can raise farmer's issue. I will also allow a discussion on hike in price of building material I will allow for discussion on that. Shri Ram Pal Majra has also given Calling Attention Motion and that of Ashok Kumar Arora, Abhay Singh Chautala, Krishan Lal Panwar and Rajbir Singh regarding serious drought situation in the State and I am considering that. I will allow a discussion on that, therefore, I have not disallow all. Shri Jagdish Nayar has given a Calling Attention Motion regarding establishment of District Jail in Palwal. As this is not

[Mr. Speaker]

a matter of Calling Attention Motion. I have disallowed it. I will allow a discussion on the drought scanty rains. (Interruption)

**Shri Anil Vij :** Speaker Sir, this is not justified. Sir, this is the last day of five years plan.

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, an issue of SYL was raised by some of the Members of this House. As desired by the Members, Parliamentary Affairs Minister will move an Official Resolution on the issue of SYL. (Interruption)

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बिजली और पानी की भारी कमी है, कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुये हैं और सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** Vij Ji. please sit down. Mr. Vij, alright you resume your seat.

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, आपने लगभग सभी कॉलिंग अटैन्शन मोशन डिस्अलाऊ कर दिये हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) :** अध्यक्ष महोदय, विज साहब ऐसे कैसे बोल सकते हैं? How can he speak?

**Shri Anil Vij :** Who you are? I am asking to the Speaker. (Interruption)

**Shri Satpal :** Speaker Sir, Vij Ji is speaking without your permission. यह तो आपका फर्ज है कि आप इनको रोकें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दिल में आया बोलने लग गये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य श्री अनिल विज जी मेरी बजाए अरोड़ा साहब की बात पहले मान लेंगे।

**उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :** स्पीकर सर, विज साहब तो किसी की बात नहीं मानते वे न तो अरोड़ा साहब की बात मानते हैं और न ही किसी और की।

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा :** स्पीकर सर, अगर बिजली पानी के मुद्दे पर इनके कॉलिंग अटेंशन मोशन पर आधे घण्टे की चर्चा को सरकार मान ले तो इसमें क्या दिक्कत है क्योंकि प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है लेकिन आपने इनके कालिंग अटैंशन मोशन को डिस अलाउ कर दिया। (विघ्न)

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुनिए।

**Mr. Speaker :** Vij Ji, I will allow you discussion on drought. उस समय आप बिजली और पानी की बात भी कर लेना।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, विज साहब नहीं चाहते कि इस सरकारी प्रस्ताव पर उनको पार्टिसिपेट करना पड़े इसलिए ये जाना चाहते हैं। विज साहब को यह मालूम है कि यह प्रस्ताव हरियाणा के हकों के हित में खड़ा है इसलिए उससे इनको दिक्कत आने वाली है।

**Shri Anil Vij :** Speaker Sir....,

**Mr. Speaker :** Mr. Vij, if you donot stop this; I will have to take stern action against you.

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :** अध्यक्ष महोदय, विज साहब बड़े वरिष्ठ विधायक हैं इनकी बात की कद्र करना हमारा फर्ज है और हम इनकी बात भी मानेंगे लेकिन हम क्या करें एक निकम्मी सरकार दिल्ली में बैठ गई है जिसको हम पांच साल से पहले बदल नहीं सकते।

**Shri Anil Vij :** Speaker Sir....,

**Transport Minister (Ch. Aftab Ahmed) :** Speaker Sir, Vij Ji is disturbing the proceedings of the House.

**Shri Anil Vij :** Speaker Sir....,

**Mr. Speaker :** Vij Ji, this is the last warning to you.

**वाक-आउट**

**श्री अनिल विज :** आप यहां जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते तो हम यहां बैठकर क्या करेंगे? अगर आप हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसके विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

**(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य श्री अनिल विज के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को डिस अलाउ किए जाने के विरोध में सदन से बाहर चले गये)**

**सरकारी संकल्प-**

**एस.वाई.एल. कैनाल सम्बन्धी**

**Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move an Official Resolution.

**उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :** अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. हरियाणा के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। शुष्क भूमि होने के बावजूद हरियाणा के मेहनती किसान राष्ट्रीय अनाज भण्डार में एक बड़े भाग का योगदान देते हैं, वे पिछले पांच दशकों से यह आस लगाये बैठे हैं कि एस.वाई.एल. के नीले पानी से उनके खेतों की सिंचाई भी होगी। (विघ्न)

**Mr. Speaker :** Hon'ble Minister, I am interrupting you. श्री अभय सिंह चौटाला जी हाथ खड़ा करके आप द्वारा पेश किये जा रहे एस.वाई.एल. प्रस्ताव पर कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि वह एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आप एस.वाई.एल. कैनाल पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। हां अभय जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

**श्री अभय सिंह चौटाला :** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आज वे सदन में एस.वाई.एल. कैनाल का प्रस्ताव लेकर आये हैं और उसे पढ़ रहे हैं। एस.वाई.एल. कैनाल की हिस्ट्री पढ़ने की बजाये उन्हें सीधे-सीधे यह बताना चाहिए साढ़े नौ वर्ष

[अभय सिंह चौटाला]

के कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में एस.वाई.एल. कैनाल के संबंध में, उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कितना और क्या काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) यह बात बताने की आवश्यकता है। (शोर एवं व्यवधान) प्रस्ताव पढ़कर हिस्ट्री बताने से बात नहीं बनने वाली है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अभय जी, आप यह बातें अपनी स्पीच में कह सकते हैं। Whatever you want to speak, you can say in your speech. No doubt, I will allow you to speak. आप अब जो प्रस्ताव को बीच में रोककर बात कर रहे हैं, इसको कहने के लिए मैं बाद में आपको अलाऊ कर दूंगा और उस समय आप यह सब बातें कह सकते हैं। अब चूंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में चल रहा है, अतः आपको केवल मुद्दे पर ही बात करनी चाहिए। (विघ्न)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : सर, मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ। सरकार का साढ़े नौ वर्ष का कार्यकाल रहा है। इस कार्यकाल में कांग्रेस सरकार द्वारा एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर कितना और क्या काम किया गया, यह बताया जाये। सुरजेवाला जी इसके बारे में बताने की बजाय, एस.वाई.एल. कैनाल की हिस्ट्री पढ़ने में लग गये हैं। (शोर एवं व्यवधान) सभी को पता है कि एस.वाई.एल. कैनाल क्या चीज है? (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : अभय सिंह चौटाला जी, आप इस प्रस्ताव को पहले पढ़ लेने दें। आपको बाद में इस पर बोलने का पूरा मौका दिया जायेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : सर, अगर आप हरियाणा प्रदेश के किसान को एस.वाई.एल. कैनाल का पानी देना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने साढ़े नौ वर्ष के कार्यकाल में इस संबंध में कितना और क्या काम किया है उसके बारे में बतायें? यहां पर हिस्ट्री बताने से कुछ होने वाला नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला** : स्पीकर सर, अगर मेरे काबिल दोस्त यह रैजोल्यूशन पढ़ लें तो उनको पता चल जायेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर क्या और कितना काम किया है? वे जब तक इस गवर्नमैंट रैजोल्यूशन को नहीं पढ़ेंगे तब तक इस बात से अनभिज्ञ ही रहेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : स्पीकर सर, अगर सरकार एस.वाई.एल. कैनाल का पानी लोगों को देना चाहती है तो सरकार को मुद्दे पर आना चाहिए और केवल मात्र मुद्दे पर ही बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अभय जी, आप लोगों द्वारा ही यह कहा गया था कि एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर रैजोल्यूशन लाना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला** : स्पीकर सर, अगर मेरे मित्र इस रैजोल्यूशन को पढ़ेंगे तभी तो जान पायेंगे कि एस.वाई.एल. नहर के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया है? (शोर एवं व्यवधान) बिना इसको पढ़े तो इनकी समझ में बिल्कुल ही नहीं आने वाला है।

**श्री अध्यक्ष** : अभय सिंह चौटाला जी, एक बात क्लीयर है कि आपकी पार्टी ने एस.वाई.एल. कैनाल पर सदन में रैजोल्यूशन लाने के लिए कहा था। इसी के मद्देनजर यह रैजोल्यूशन सदन में लाया गया है। अब जबकि रैजोल्यूशन सदन में लाया गया है तो इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही ? (शोर एवं व्यवधान)

**परिवहन मंत्री (चौधरी आफताब अहमद) :** स्पीकर सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब सदन में रैजोल्यूशन आ गया है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** स्पीकर सर, हम यह नहीं कहते हैं कि इसे पढ़ा नहीं जाना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि एस.वाई.एल. कैनाल पर सरकार ने कितनी और क्या कार्यवाही की है, वह बताई जाये। एस.वाई.एल. कैनाल की हिस्ट्री तो सभी को मालूम है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अभय जी, देखिए बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जब रैजोल्यूशन सदन में लाया गया है तो उसको पढ़कर सुनाना ही पड़ेगा? (शोर एवं व्यवधान) हां जी सुरजेवाला जी, आप रैजोल्यूशन को पढ़ना शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान) आप प्लीज इस रैजोल्यूशन का पढ़िए?

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) कैनाल के माध्यम से हरियाणा राज्य को ऐतिहासिक दृष्टि से, कानूनी तौर पर और संवैधानिक रूप से पानी के हिस्से का अधिकार है जैसा कि निम्नलिखित घटनाक्रम से सिद्ध होता है :- अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने लिस्ट आऊट करने का पूरा प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमारा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है।

I. वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खां के बीच हस्ताक्षर हुए, फलस्वरूप भारत (संयुक्त पंजाब सहित) को पंजाब की नदियों का अधिकार मिला। विभाजन के बाद पंजाब क्षेत्र के हरियाणा के लोगों की मांग पर वर्तमान हरियाणा राज्य के क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करवाने के लिए संयुक्त पंजाब सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा कई कमेटियां गठित की गई।

इन सभी कमेटियों ने हरियाणा क्षेत्र के लिए पंजाब की नदियों में से पानी का समुचित हिस्सा देने की सिफारिश की। कमेटियों का विवरण इस प्रकार है। 12.1.1965 को पंजाब में भूमि और जल उपयोग पर खाद्य समिति और 20.1.2995 को हरियाणा विकास कमेटी गठित की गई। इन दोनों कमेटियों ने संयुक्त पंजाब के हरियाणा क्षेत्र के लिए 4.56 मिलियन एकड़ फुट पानी की सिफारिश की।

II. हरियाणा का गठन पहली नवम्बर, 1966 को हुआ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 में उत्तराधिकारी राज्यों के अधिकारों जिनमें भाखड़ा, रावी और ब्यास नदियों के पानी के हिस्से का विशेष प्रावधान है, निर्णय किया गया। विवाद न सुलझने पर हरियाणा ने 1966 के कानून की धारा 78 के अंतर्गत पानी के मामले में 21 अक्तूबर, 1969 को भारत सरकार से आग्रह किया। वर्ष 1966 के इस कानून की धारा 78 के अनुसरण में भारत की तत्कालीन प्रधामंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी ने जल के आबंटन का निर्णय लेने की पहल की और 24 मार्च, 1976 को आदेश जारी किये गये और इसे "इन्दिरा गांधी अवार्ड" कहा गया। इसके मुताबिक पंजाब और हरियाणा दोनों को 3.5 मिलियन एकड़ फुट का पानी का बराबर-बराबर हिस्सा दिया गया और यह भी निर्देश दिये गये कि हरियाणा के हिस्से का पानी ले जाने के लिए पंजाब के क्षेत्र में एक नहर बनाई जाए।

III. हरियाणा ने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए पंजाब को 10.11.1976 को एक करोड़ रुपये और 31 मार्च, 1979 को एक करोड़ रुपये और दिये। उस समय पंजाब में अकाली दल सरकार के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल थे।

IV. भारत सरकार के इस 24.3.1976 के आदेश के अनुसरण में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए धनराशि लेने के उपरांत पंजाब राज्य दोबारा पीछे हट गया। पंजाब क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि में एस.वाई.एल. कैनाल के निर्माण को पूरा करने के लिए हरियाणा ने भारत सरकार के 24 मार्च, 1976 के इस आदेश को क्रियान्वित करवाने के लिए 30 अप्रैल, 1979 को सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा नं. 1, ऑफ 1979 दायर किया। दूसरी तरफ पंजाब राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में 11 जुलाई, 1979 को जवाबी मुकदमा नं. 2, ऑफ 1979 दायर किया, जिसमें भारत सरकार के 24 मार्च, 1976 के आदेशों की वैधता तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 को ही चुनौती दी गई।

V. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के हस्तक्षेप से यह विवादास्पद मुद्दा दोबारा सुलझाया गया। दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 को हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत और राजस्थान प्रांत के बीच एक त्रि-पक्षीय समझौता हुआ। इस त्रि-पक्षीय लिखित समझौते के तहत रावी-ब्यास नदियों के कुल फालतू पानी में से हरियाणा के 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी, जबकि पंजाब प्रांत को और राजस्थान प्रांत को क्रमशः 4.22 मिलियन एकड़ फुट पानी और 8.60 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया गया। इस त्रि-पक्षीय समझौते के तहत एस.वाई.एल. नदी का निर्माण कार्य दो वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना था। इस समझौते के आधार पर पंजाब और हरियाणा दोनों प्रांतों ने 12 फरवरी, 1982 को भारत की सुप्रीम कोर्ट से उपरोक्त दोनों मुकदमें वापिस ले लिये।

VI. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बार फिर पहल की और 8 अप्रैल, 1982 को पंजाब क्षेत्र के कपूरी गाँव में नहर की खुदाई का शुभारंभ किया।

VII. पंजाब क्षेत्र में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का कार्य 1982 के बाद शुरू हुआ और इसका 95 प्रतिशत कार्य जून, 1987 तक अर्थात कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ।

VIII. इसके बाद पंजाब में उग्रवाद का दौर रहा। पंजाब की नदियों में "राइपेरियन सिद्धांत" पर हरियाणा के हिस्से को पंजाब ने एक बार फिर चुनौती दी।

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी ने अंतर्राज्जीय जल विवाद और दूसरे अंतर्राज्जीय मुद्दों को सुलझाने की एक बार फिर पहल की। दिनांक 24.7.1985 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे 'राजीव लौंगोवाल एकोर्ड' के नाम से जाना जाता है। अकाली दल की तरफ से पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला भी एक पक्ष थे। भारत सरकार पानी के हिस्से के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों के दावों के निर्णय के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए सहमत हो गई। तद्नुसार न्यायाधीश वी.बी.इराडी की अध्यक्षता में एक ज्यूडिशियल ट्रिब्यूनल गठित किया गया। इस ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा का दौरा किया, सभी दस्तावेज हासिल किये और विस्तार से दलीलें सुनी।

दिनांक 30.1.1987 को इराडी ट्रिब्यूनल ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया "राइपेरियन सिद्धांत" के आधार पर राजस्थान व दिल्ली के अलावा हरियाणा को 3.83 मिलियन एकड़ फीट तथा पंजाब को 5.00 मिलियन एकड़ फीट पानी आबंटित किया। हालांकि तत्कालीन हरियाणा सरकार ने एस.वाई.एल. नहर का पानी लेने की हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगभग पांच साल तक की अवधि में कोई कदम नहीं उठाया।

IX. वर्ष 1991 में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने नहर को पूरा करवाने के लिए पंजाब को निर्देश देने के लिए एक मुकदमा दायर किया। दिनांक 6.9.1996 को तत्कालीन हरियाणा सरकार ने पूर्ववर्ती मुकदमें को वापिस लेने के बाद इसी तरह की राहत के लिए एक संशोधित मुकदमा दायर किया। दिनांक 15.1.2002 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एक वर्ष के अंदर-अंदर एस.वाई.एल. नहर को पूरा करने के निर्देश देते हुए हरियाणा सरकार के मुकदमें को अनुमति दी।

X. पंजाब सरकार के विफल रहने पर, नहर को पूरा करवाने हेतु पंजाब को निर्देश देने के लिए एक कार्यान्वयन आवेदन यानी एक्जीक्यूटरी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सराकर ने दायर की।

पंजाब ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री दिनांक 15.1.2002 तथा बाध्यकारी निर्णय के आलोक में एस.वाई.एल. के निर्माण की बाध्यता समाप्त करने तथा स्वयं को इससे मुक्त करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 13.1.2003 को मुकदमा 2003 क्रमांक 1 दायर किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 4.6.2004 के तहत पंजाब सरकार के मुकदमें को रद्द कर दिया तथा भारतीय संघ को पंजाब से नहर का नियंत्रण लेने और इसका निर्माण करवाने के निर्देश दिये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट तौर पर जो कहा, वह निम्नानुसार है :-

The constitution provides for an ordered polity within this country to promote integrity of the country. When disputes arise between States there are usually political underpinnings. The resolution of such a dispute in favour of on party will invariably have a political impact. Article 132 of the Constitution has therefore given this Court the exclusive jurisdiction to decide such a dispute strictly on legal considerations and in keeping with provisions of the Constitution. To resist the execution of the degree on the ground that it would have a political fall out would result in subversion of the Constitution an endorsement of anarchy and the disintegration of the country. Apart from rendering the provisions of Article 131 a dead letter such a stand is contrary of Article 144 which requires all authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court. It is not in the circumstances expected, that Governments whether at the Centre or in the States, will not comply with the degree of this Court under Article 131 not only is the offending party guilty of contempt but the very foundation of the Constitution which the people governing the State have sworn to uphold when assuming office and to which this country owes its continued

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

existence, is shaken. It is, we repeat, the Constitutional duty of those who wield power in the States to create the appropriate political climate to ensure a respect for the constitutional processes and not set such processes at naught only to gain political mileage. As was observed by the Constitution Bench in **Cauvery water Disputes Tribunal** (supra) when an Ordinance was passed by a State seeking to nullify the order of this Court.

> "Such an act is an invitation to lawlessness and anarchy, in as much as the Ordinance is a manifestation of a desire on the part of the State to be a judge in its own cause and to defy the decisions of the judicial authorities. The action forebodes evil consequences to the federal structure under the Constitution and opens doors for each State to act in the way it desires disregarding not only the rights of the other States, the orders passed by instrumentalities constituted under an Act of Parliament but also the provisions of the Constitution. If the power of a State to issue such an Ordinance is upheld it will lead to the breakdown of the constitutional mechanism and affect the unity and integrity of the nation."

These observations appositely reflect what can be said with regard to the conduct of the State of Punjab."

Hon'ble Supreme Court then proceeded to direct Union of India to construct the canal and ended with the following remarks:-

"______. In the circumstances we direct the Union of India to carry out its proposed action plan within the following time frame:-

(1) The Union of India is to mobilize a Central agency to take control of the canal works from Punjab within a month from today.

(2) Punjab must hand over the works to the Central Agency within 2 (Two) weeks thereafter.

(3) ------------

(4) ------------

(5) ------------

We conclude this chapter with a reminder to the State of Punjab that "Great states have a temper superior to that of private litigants, and it is to be hoped that enough has been decided for patriotism, the fraternity of the union, and mutual consideration to bring it to an end."

Punjab filed a review petition against the aforesaid judgment dated 04.06.2004. This review petition was also dismissed by Hon'ble Supreme Court on 02.07.2004.

पंजाब ने उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध 04.06.2004 को एक समीक्षा याचिका दायर की। इस समीक्षा याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 02.07.2004 को खारिज कर दिया गया।

XII. 12.07.2004 को, संघीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र का खुला अपमान करते हुए, पंजाब राज्य ने 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते को निरस्त करने के लिए 'पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004' पारित कर दिया ताकि न्यायालय के तहत किसी भी निर्णय/डिक्री के प्रभाव/बाध्यता को भी निरस्त किया जा सके। यह स्पष्ट है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब द्वारा मूल अभियोग हार जाने और अपने 2003 के अभियोग संख्या 1 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर देने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.01.2002 और 04.06.2004 के निर्णयों को अमान्य घोषित करने के उद्देश्य से पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 बनाना पूरी तरह से गैर-कानूनी तथा असंवैधानिक चलन है। इसके अलावा, ऐतिहासिक समझौते को नकारते हुए तथा संयुक्त पंजाब के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 के अंतर्गत तथा 31.12.1982 को हुए त्रिपक्षीय समझौते तथा ऐतिहासिक राजीव लौंगोवाल अवार्ड के संदर्भ में 30.01.1987 को इराडी ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्णय की भी अवहेलना की।

यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पंजाब राज्य तथा उसकी विधानसभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 तथा 162 के संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह नकार दिया है।

मामले की गम्भीरता को समझते हुए भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप किया और पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 की वैधता भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को अग्रेषित की गई।

(xii) Recently, on 7th May, 2014; a Constitution Bench of five Judges of Hon'ble Supreme Court of India in case titled 'State of Tamil Nadu vs. State of Kerala & anr.' has finally adjudicated on the identical issue of power of legislature of a State to be a judge in its own cause by deciding on an inter-State dispute by enacting a law to decide such a dispute in its favour and by openly flouting a judicial pronouncement in process thereof. Relevant portion is reproduced herein-below:-

"14. On 18.03.2006, in less than three weeks of the decisions of this Court in Mullaperiyar Environmental Protection Forum 1, the Kerala State Legislature amended 2003 Act by the Kerala Irrigation and Water Conservation (Amendment) Act, 2006 (for short 2006 (Amendment) Act."

**"Issues**

32. On 13.12.2007, the Court framed the following issues for consideration in the suit:

2. (a) Whether the Kerala Irrigation and Water Conservation (Amendment) Act, 2006 is unconstitutional and ultra vires, in its application to and effect on the Mullaperiyar Dam?

3. Whether the rights of the plaintiff, crystalised in the Judgment dated 27.02.2006 passed by this Court in WP(C) No.386/2001 can be nullified by a legislation made by the Kerala State Legislature?"

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

Speaker Sir, can I pause here and draw attention of your goodself and this House? Identical question - Sir, a Judgment of the Hon'ble Supreme Court that is sought to be nullified by bring an Amendment Act. These are the two questions framed by the Supreme Court's Constitution Bench and this is what they hold, Sir, I would like to draw your attention and attention of this House to para 151 and I quote :-

"151. The question whether or not the legislature has usurped the judicial power or enacted a law in breach of separation of powers principle would depend on facts of each case after considering the real effect of law on a judgment or a judicial proceeding. One of the tests for determining whether a judgment is nullified is to see whether the law and the judgment are inconsistent and irreconcilable so that both cannot stand together. In what we have already discussed above, it is abundantly clear that on the one hand there is a finding of fact determined by this Court on hearing the parties on the basis of the evidence/ materials placed on record in the judgment of this Court in Mullaperiyar Environmental Protection Form 1 and on the other in 2006 (Amendment) Act, the Kerala legislature has declared the dam being an endangered one and fixed the water level in the dam at 136 ft. If the judgment of this Court in Mullaperiyar Environmental Protection Form 1 and the 2006 (Amendment) Act are placed side by side insofar as safety of the Mullaperiyar dam for raising the water level from 136 ft. to 142 ft. is concerned, it is obvious that the judgment of this Court and the law enacted by Kerala State legislature cannot stand together and they are irreconcilable and inconsistent. The impugned law is a classic case of nullification of a judgment simpliciter, as in the judgment of this Court the question of safety of dam was determined on the basis of materials placed before it and not on the interpretation of any existing law and there was no occasion for the legislature to amend the law by altering the basis on which the judgment was founded. When the impugned law is not a validation law, there is no question of the legislature removing the defect, as the Court has not found any vice in the existing law and declared such law to be bad.

152. There is yet another facet that in federal disputes, the legislature (Parliament and State legislatures) cannot be judge in their own cause in the case of any dispute with another State. The rule of law which is basic feature of our Constitution forbids the Union and the States from deciding, by law, a dispute between two States or between the Union and one or more States. If this was permitted under the Constitution, the Union and the States which have any dispute between them inter se would enact law establishing its claim or right against the order and that would lead to contradictory and irreconcilable laws being enacted has provided for independent adjudication of federal disputes. Article 131 of the Constitution confers original jurisdiction upon this Court in relation to the disputes between the Government of India and one or more States or between the Government of India and any State or States on one side and one or more States on the other or between the two or More States insofar as dispute involves any

question on which the existence or extent of a legal right depends. The proviso appended to Article 131 carves out an exception to the jurisdiction of this Court to a dispute arising out of treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which have been entered into or executed between the commencement of the Constitution and continues in operation after such commencement, which are political in nature. In relation to the dispute relating to waters of inter-State river or river valleys, Article 262 provides for creation of tribunal or forum for their adjudication. In federal disputes, Parliament or State legislatures by law, if seek to decide a dispute between the two States or between the Union and one or more States directly or indirectly, the adjudicatory mechanism provided in Articles 131 and 162 of the Constitution would be rendered nugatory and, therefore, such legislation cannot be constitutionally countenanced being violative of separation of powers doctrine."

(xiii) That pronouncement dated 07.05.2014 by a Constitution Bench of Hon'ble Supreme Court of India, reproduced above, amply demonstrates that the Punjab Termination of Agreements Act, 2004 is a nullity, is unconstitutional and can not stand the scrutiny of law or Constitution of India. It is mere sham enactment by Punjab Legislature with a view to deny the rightful due to people of Haryana of share of water and construction of SYL Canal in contravention of its own agreements and clinching judicial pronouncements by Hon'ble Supreme Court of India.

Law of the land having been thus settled vide aforementioned judgment dated 07.05.2014, judgment dated 15.01.2002 of Hon'ble Supreme Court and final direction dated 04.06.2004 by Supreme Court to Government of India come into play with immediate effect.

भारत सरकार एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य अपने हाथ में लेने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4.6.2004 के निर्देश क्रियान्वित करने तथा हरियाणा के लोगों का न्यायोचित हिस्सा देने के उद्देश्य से अपनी स्वयं की एजेंसी के माध्यम से इसका निर्माण करवाने के लिए बाध्य है।

इसलिए यह सदन भारत सरकार से, हरियाणा के लोगों के एस.वाई.एल. के पानी का न्यायोचित हिस्सा बहाल करने तथा इस पानी की उम्मीदों को पूरा करने के उद्देश्य से एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य अपने हाथों में लेकर इसका निर्माण सुनिश्चित करने के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय दिनांक 7.5.2014 के दृष्टिगत दिनांक 4.6.2004 के निर्णय में निहित निर्देश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह करता है। यह सदन पंजाब सरकार से भी उसके क्षेत्र में एस.वाई.एल. के निर्माण में पूरा सहयोग करने का आग्रह करता है।

Sir, with these words I conclude and request the Members of this House cutting across Party line, cutting across ideologies of thought to come together in the interest of people of Haryana and to pass this unanimous resolution requesting Government of India to undertake construction of SYL canal in light of its clear cut directions of 4th June, 2004 which were temporarily put at bay on account of the Punjab Termination of Agreements Act, 2004 which is now stands clarified

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

by Supreme Court's judgment of May, 2014. With that Sir, I request all the Members to participate on a positive note, rise above political partisanship and to stand in unison in the interest of the farmers and people of Haryana.

It is also resolved that all Party Delegation led by the Hon'ble Chief Minister will met the Hon'ble Prime Minister of India on this issue.

The Members of the Delegation will be nominated by the Hon'ble Speaker."

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

"एस.वाई.एल. कैनाल हरियाणा के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। शुष्क भूमि होने के बावजूद हरियाणा के मेहनती किसान राष्ट्रीय अनाज भण्डार में एक बड़ा भाग का योगदान देते हैं, वे पिछले पांच दशकों से यह आस लगाये बैठे हैं कि एस.वाई.एल. के नीले पानी से उनके खेतों की सिंचाई भी होगी।

सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) कैनाल के माध्यम से हरियाणा राज्य को ऐतिहासिक दृष्टि से, कानूनी तौर पर संवैधानिक रूप से पानी के हिस्से का अधिकार है जैसा कि निम्नलिखित घटनाक्रम से सिद्ध होता है :- अध्यक्ष महोदय, हमने लिस्ट आऊट करने का पूरा प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमारा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है।

I. वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खां के बीच हस्ताक्षर हुए, फलस्वरूप भारत (संयुक्त पंजाब सहित) को पंजाब की नदियों का अधिकार मिला। विभाजन के बाद पंजाब क्षेत्र के हरियाणा के लोगों की मांग पर वर्तमान हरियाणा राज्य के क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करवाने के लिए संयुक्त पंजाब सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा कई कमेटियां गठित की गई।

इन सभी कमेटियों ने हरियाणा क्षेत्र के लिए पंजाब की नदियों में से पानी का समुचित हिस्सा देने की सिफारिश की। कमेटियों का विवरण इस प्रकार है। 12.1.1965 को पंजाब में भूमि और जल उपयोग पर खाद्य समिति और 20.1.1965 को हरियाणा विकास कमेटी गठित की गई। इन दोनों कमेटियों ने संयुक्त पंजाब के हरियाणा क्षेत्र के लिए 4.56 मिलियन एकड़ फुट पानी की सिफारिश की।

II. हरियाणा का गठन पहली नवम्बर, 1966 को हुआ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 में उत्तराधिकारी राज्यों के अधिकारों जिनमें भाखड़ा, रावी और ब्यास नदियों के पानी के हिस्से का विशेष प्रावधान है, निर्णय किया गया। विवाद न सुलझने पर हरियाणा ने 1966 के कानून की धारा 78 के अंतर्गत पानी के मामले में 21 अक्तूबर, 1969 को भारत सरकार से आग्रह किया। वर्ष 1966 के इस कानून की धारा 78 के अनुसरण में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी ने जल के आबंटन का निर्णय लेने की पहल की और 24 मार्च, 1976 को आदेश जारी किये गये और इसे "इन्दिरा गांधी अवार्ड" कहा गया। इसके मुताबिक पंजाब और हरियाणा दोनों को 3.5 मिलियन एकड़ फुट का पानी का बराबर-बराबर हिस्सा दिया

गया और यह भी निर्देश दिये गये कि हरियाणा के हिस्से का पानी ले जाने के लिए पंजाब के क्षेत्र में एक नहर बनाई जाए।

III. हरियाणा ने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए पंजाब को 10.11.1976 को एक करोड़ रुपये और 31 मार्च, 1979 को एक करोड़ रुपये और दिये। उस समय पंजाब में अकाली दल सरकार के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल थे।

IV. भारत सरकार के इस 24.3.1976 के आदेश के अनुसरण में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए धनराशि लेने के उपरांत पंजाब राज्य दोबारा पीछे हट गया। पंजाब क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि में एस.वाई.एल. कैनाल के निर्माण को पूरा करने के लिए हरियाणा ने भारत सरकार के 24 मार्च, 1976 के इस आदेश को क्रियान्वित करवाने के लिए 30 अप्रैल, 1979 को सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा नं. 1, ऑफ 1979 दायर किया। दूसरी तरफ पंजाब राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में 11 जुलाई, 1979 को जवाबी मुकदमा नं. 2, ऑफ 1979 दायर किया, जिसमें भारत सरकार के 24 मार्च, 1976 के आदेशों की वैधता तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 को ही चुनौती दी गई।

V. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के हस्तक्षेप से यह विवादास्पद मुद्दा दोबारा सुलझाया गया। दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 को हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत और राजस्थान प्रांत के बीच एक त्रि-पक्षीय समझौता हुआ। इस त्रि-पक्षीय लिखित समझौते के तहत रावी-ब्यास नदियों के कुल फालतू पानी में से हरियाणा के 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी, जबकि पंजाब प्रांत को और राजस्थान प्रांत को क्रमश: 4.22 मिलियन एकड़ पानी और 8.60 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया गया। इस त्रि-पक्षीय समझौते के तहत एस.वाई.एल. नदी का निर्माण कार्य दो वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना था। इस समझौते के आधार पर पंजाब और हरियाणा दोनों प्रांतों ने 12 फरवरी, 1982 को भारत की सुप्रीम कोर्ट से उपरोक्त दोनों मुकदमें वापिस ले लिये।

VI. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बार फिर पहल की और 8 अप्रैल, 1982 को पंजाब क्षेत्र के कपूरी गाँव में नहर की खुदाई का शुभारंभ किया।

VII. पंजाब क्षेत्र में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का कार्य 1982 के बाद शुरू हुआ और इसका 95 प्रतिशत कार्य जून, 1987 तक अर्थात् कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ।

VIII. इसके बाद पंजाब में उग्रवाद का दौर रहा। पंजाब की नदियों में "राइपेरियन सिद्धांत" पर हरियाणा के हिस्से को पंजाब ने एक बार फिर चुनौती दी।

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी ने अंतर्राज्जीय जल विवाद और दूसरे अंतर्राज्जीय मुद्दों को सुलझाने की एक बार फिर पहल की। दिनांक 24.7.1985 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे 'राजीव लौंगोवाल एकॉर्ड' के नाम से जाना जाता है। अकाली दल की तरफ से पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला भी एक पक्ष थे। भारत सरकार पानी के हिस्से के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा राज्य के दावों के निर्णय के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए सहमत हो गई। तदनुसार, न्यायाधीश वी.बी.इराडी की अध्यक्षता में एक ज्यूडिशियल ट्रिब्यूनल गठित किया गया। इस ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा का दौरा किया, सभी दस्तावेज हासिल किये और विस्तार से दलीलें सुनी।

[श्री अध्यक्ष]

दिनांक 30.1.1987 को इराडी ट्रिब्यूनल ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया "राइपेरियन सिद्धांत" के आधार पर राजस्थान व दिल्ली के अलावा हरियाणा को 3.83 मिलियन एकड़ फीट तथा पंजाब को 5.00 मिलियन एकड़ फीट पानी आबंटित किया। हालांकि तत्कालीन हरियाणा सरकार ने एस.वाई.एल. नहर का पानी लेने की हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगभग पांच साल तक की अवधि में कोई कदम नहीं उठाया।

IX. वर्ष 1991 में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने नहर को पूरा करवाने के लिए पंजाब को निर्देश देने के लिए एक मुकदमा दायर किया। दिनांक 6.9.1996 को तत्कालीन हरियाणा सरकार ने पूर्ववर्ती मुकदमें को वापिस लेने के बाद इसी तरह की राहत के लिए एक संशोधित मुकदमा दायर किया। दिनांक 15.1.2002 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एक वर्ष के अंदर-अंदर एस.वाई.एल. नहर को पूरा करने के निर्देश देते हुए हरियाणा सरकार के मुकदमें को अनुमति दी।

X. पंजाब सरकार के विफल रहने पर, नहर को पूरा करवाने हेतु पंजाब को निर्देश देने के लिए एक कार्यान्वयन आवेदन यानी एक्जीक्यूटरी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने दायर की।

पंजाब ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री दिनांक 15.1.2002 तथा बाध्यकारी निर्णय के आलोक में एस.वाई.एल. के निर्माण की बाध्यता समाप्त करने तथा स्वयं को इससे मुक्त करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 13.1.2003 को मुकदमा 2003 क्रमांक 1 दायर किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 4.6.2004 के तहत पंजाब सरकार के मुकदमें को रद्द कर दिया तथा भारतीय संघ को पंजाब से नहर का नियंत्रण लेने और इसका निर्माण करवाने के निर्देश दिये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट तौर पर जो कहा, वह निम्नानुसार है :-

The constitution provides for an ordered polity within this country to promote integrity of the country. When disputes arise between States there are usually political underpinnings. The resolution of such a dispute in favour of on party will invariably have a political impact. Article 132 of the Constitution has therefore given this Court the exclusive jurisdiction to decide such a dispute strictly on legal considerations and in keeping with provisions of the Constitution. To resist the execution of the degree on the ground that it would have a political fall out would result in subversion of the Constitution an endorsement of anarchy and the disintegration of the country. Apart from rendering the provisions of Article 131 a dead letter such a stand is contrary of Article 144 which requires all authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court. It is not in the circumstances expected, that Governments whether at the Centre or in the States, will not comply with the degree of this Court under Article 131 not only is the offending party guilty of contempt but the very foundation of the Constitution which the people governing the State have sworn

to uphold when assuming office and to which this country owes its continued existence, is shaken. It is, we repeat, the Constitutional duty of those who wield power in the States to create the appropriate political climate to ensure a respect for the constitutional processes and not set such processes at naught only to gain political mileage. As was observed by the Constitution Bench in **Cauvery Water Disputes Tribunal** (supra) when an Ordinance was passed by a State seeking to nullify the order of this Court.

> "Such an act is an invitation to lawlessness and anarchy, in as much as the Ordinance is a manifestation of a desire on the part of the State to be a judge in its own cause and to defy the decisions of the judicial authorities. The action forebodes evil consequences to the federal structure under the Constitution and opens doors for each State to act in the way it desires disregarding not only the rights of the other States, the orders passed by instrumentalities constituted under an Act of Parliament but also the provisions of the Constitution. If the power of a State to issue such an Ordinance is upheld it will lead to the breakdown of the constitutional mechanism and affect the unity and integrity of the nation."

These observations appositely reflect what can be said with regard to the conduct of the State of Punjab."

Hon'ble Supreme Court then proceeded to direct Union of India to construct the canal and ended with the following remarks:-

"———. In the circumstances we direct the Union of India to carry out its proposed action plan within the following time frame:-

(1) The Union of India is to mobilize a Central Agency to take control of the canal works from Punjab within a month from today.

(2) Punjab must hand over the works to the Central Agency within 2 (Two) weeks thereafter.

(3) ---------------

(4) ---------------

(5) ---------------

We conclude this chapter with a reminder to the State of Punjab that "Great States have a temper superior to that of private litigants, and it is to be hoped that enough has been decided for patriotism, the fraternity of the union, and mutual consideration to bring it to an end."

Punjab filed a review petition against the aforesaid judgment dated 04.06.2004. This review petition was also dismissed by Hon'ble Supreme Court on 02.07.2004.

पंजाब ने उपर्युक्त निर्णय के विरूद्ध 04.06.2004 को एक समीक्षा याचिका दायर की। इस समीक्षा याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 02.07.2004 को खारिज कर दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

XI. 12.07.2004 को, संघीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र का खुला अपमान करते हुए, पंजाब राज्य ने 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते को निरस्त करने के लिए 'पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004' पारित कर दिया ताकि न्यायालय के तहत किसी भी निर्णय/डिक्री के प्रभाव/बाध्यता को भी निरस्त किया जा सके। यह स्पष्ट है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब द्वारा मूल अभियोग हार जाने और अपने 2003 के अभियोग संख्या 1 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर देने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.01.2002 और 04.06.2004 के निर्णयों को अमान्य घोषित करने के उद्देश्य से पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 बनाना पूरी तरह से गैर-कानूनी तथा असंवैधानिक चलन है। इसके अलावा, ऐतिहासिक समझौते को नकारते हुए तथा संयुक्त पंजाब के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 के अंतर्गत तथा 31.12.1982 को हुए त्रिपक्षीय समझौते तथा ऐतिहासिक राजीव लौंगोवाल अवार्ड के संदर्भ में 30.01.1987 को इराडी ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्णय की भी अवहेलना की।

यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पंजाब राज्य तथा उसकी विधानसभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 तथा 162 के संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह नकार दिया है।

मामले की गम्भीरता को समझते हुए भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप किया और पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 की वैधता भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को अग्रेषित की गई।

(xii) Recently, on 7th May, 2014; a Constitution Bench of five Judges of Hon'ble Supreme Court of India in case titled 'State of Tamil Nadu vs. State of Kerala & anr.' has finally adjudicated on the identical issue of power of legislature of a State to be a judge in its own cause by deciding on an inter-State dispute by enacting a law to decide such a dispute in its favour and by openly flouting a judicial pronouncement in process thereof. Relevant portion is reproduced herein-below:-

"14. On 18.03.2006, in less than three weeks of the decisions of this Court in Mullaperiyar Environmental Protection Forum 1, the Kerala State Legislature amended 2003 Act by the Kerala Irrigation and Water Conservation (Amendment) Act, 2006 for short 2006 (Amendment) Act."

**"Issues**

32. On 13.12.2007, the Court framed the following issues for consideration in the suit:

2. (a) Whether the Kerala Irrigation and Water Conservation (Amendment) Act, 2006 is unconstitutional and ultra vires, in its application to and effect on the Mullaperiyar Dam?

3. Whether the rights of the plaintiff, crystalised in the Judgment dated 27.02.2006 passed by this Court in WP(C) No.386/2001 can be nullified by a legislation made by the Kerala State Legislature?"

Speaker Sir, can I pause here and draw attention of your goodself and this House? Identical question - Sir, a Judgment of the Hon'ble Supreme Court that is sought to be nullified by bring an Amendment Act. These are the two questions framed by the Supreme Court's Constitution Bench and this is what they hold, Sir, I would like to draw your attention and attention of this House to para 151 and I quote :-

"151. The question whether or not the legislature has usurped the judicial power or enacted a law in breach of separation of powers principle would depend on facts of each case after considering the real effect of law on a judgment or a judicial proceeding. One of the tests for determining whether a judgment is nullified is to see whether the law and the judgment are inconsistent and irreconcilable so that both cannot stand together. In what we have already discussed above, it is abundantly clear that on the one hand there is a finding of fact determined by this Court on hearing the parties on the basis of the evidence/ materials placed on record in the judgment of this Court in Mullaperiyar Environmental Protection Form 1 and on the other in 2006 (Amendment) Act, the Kerala legislature has declared the dam being an endangered one and fixed the water level in the dam at 136 ft. If the judgment of this Court in Mullaperiyar Environmental Protection Form 1 and the 2006 (Amendment) Act are placed side by side insofar as safety of the Mullaperiyar dam for raising the water level from 136 ft. to 142 ft. is concerned, it is obvious that the judgment of this Court and the law enacted by Kerala State legislature cannot stand together and they are irreconcilable and inconsistent. The impugned law is a classic case of nullification of a judgment simpliciter, as in the judgment of this Court the question of safety of dam was determined on the basis of materials placed before it and not on the interpretation of any existing law and there was no occasion for the legislature to amend the law by altering the basis on which the judgment was founded. When the impugned law is not a validation law, there is no question of the legislature removing the defect, as the Court has not found any vice in the existing law and declared such law to be bad.

152. There is yet another facet that in federal disputes, the legislature (Parliament and State legislatures) cannot be judge in their own cause in the case of any dispute with another State. The rule of law which is basic feature of our Constitution forbids the Union and the States from deciding, by law, a dispute between two States or between the Union and one or more States. If this was permitted under the Constitution, the Union and the States which have any dispute between them inter se would enact law establishing its claim or right against the order and that would lead to contradictory and irreconcilable laws being enacted has provided for independent adjudication of federal disputes. Article 131 of the Constitution confers original jurisdiction upon this Court in relation to the disputes between the Government of India and one or more States or between the

[श्री अध्यक्ष]

Government of India and any State or States on one side and one or more States on the other or between the two or more States insofar as dispute involves any question on which the existence or extent of a legal right depends. The proviso appended to Article 131 carves out an exception to the jurisdiction of this Court to a dispute arising out of treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which have been entered into or executed between the commencement of the Constitution and continues in operation after such commencement, which are political in nature. In relation to the dispute relating to waters of inter-State river or river valleys, Article 262 provides for creation of tribunal or forum for their adjudication. In federal disputes, Parliament or State legislatures by law, if seek to decide a dispute between the two States or between the Union and one or more States directly or indirectly, the adjudicatory mechanism provided in Articles 131 and 162 of the Constitution would be rendered nugatory and, therefore, such legislation cannot be constitutionally countenanced being violative of separation of powers doctrine."

(xiii) That pronouncement dated 07.05.2014 by a Constitution Bench of Hon'ble Supreme Court of India, reproduced above, amply demonstrates that the Punjab Termination of Agreements Act, 2004 is a nullity, is unconstitutional and can not stand the scrutiny of law or Constitution of India. It is mere sham enactment by Punjab Legislature with a view to deny the rightful due to people of Haryana of share of water and construction of SYL Canal in contravention of its own agreements and clinching judicial pronouncements by Hon'ble Supreme Court of India.

Law of the land having been thus settled vide aforementioned judgment dated 07.05.2014, judgment dated 15.01.2002 of Hon'ble Supreme Court and final direction dated 04.06.2004 by Supreme Court to Government of India come into play with immediate effect.

भारत सरकार एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य अपने हाथ में लेने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4.6.2004 के निर्देश क्रियान्वित करने तथा हरियाणा के लोगों का न्यायोचित हिस्सा देने के उद्देश्य से अपनी स्वयं की एजेंसी के माध्यम से इसका निर्माण करवाने के लिए बाध्य है।

इसलिए यह सदन भारत सरकार से, हरियाणा के लोगों के एस.वाई.एल. के पानी का न्यायोचित हिस्सा बहाल करने तथा इस पानी की उम्मीदों को पूरा करने के उद्देश्य से एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य अपने हाथों में लेकर इसका निर्माण सुनिश्चित करने के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय दिनांक 7.5.2014 के दृष्टिगत दिनांक 4.6.2004 के निर्णय में निहित निर्देश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह करता है। यह सदन पंजाब सरकार से भी उसके क्षेत्र में एस.वाई.एल. के निर्माण में पूरा सहयोग करने का आग्रह करता है।

**श्री रामपाल माजरा (कलायत)** : स्पीकर सर, आपने हमारी पार्टी के अनुरोध पर इस प्रस्ताव को लाने की जो मंजूरी दी है और पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर इस प्रस्ताव को लेकर

आये हैं इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं तथा हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। स्पीकर सर, एस.वाई.एल. हरियाणा प्रदेश के किसानों की जीवन रेखा है। यदि यह नहर टाईम पर बन जाती तो आज जिस प्रकार के सूखे की स्थिति प्रदेश में है वह न होती और इसके बनने से हरियाणा प्रदेश की तीन लाख हैक्टेयर भूमि अतिरिक्त सिंचित होती जिससे 8 लाख टन कृषि की पैदावार बढ़ती। स्पीकर सर, पहले भी सतलुज यमुना लिंक नहर और हांसी बुटाना नहर के प्रस्ताव सभी दलों की सर्वसम्मति से पारित हुए। इस प्रकार से जो प्रदेश के हित की बातें होती हैं उनमें सभी पार्टियां एकजुट होती हैं।

स्पीकर सर, तीन हैड वर्क्स हैं माधोपुर हैड वर्क्स, हरीके हैड वर्क्स और हुसैनीवाला हैड वर्क्स इन तीनों का सही रख-रखाव न होने की वजह से हमारे हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा है इसके विपरीत पाकिस्तान को पानी जा रहा है। हम तो यह कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को भले ही पानी जाये पर हरियाणा के लोगों को उनके हिस्से का पानी न मिले इससे ज्यादा बड़ा अन्याय हरियाणा के लोगों के साथ क्या हो सकता है? जिस प्रकार से पार्लियामैंट अफेयर्ज मिनिस्टर ने कई बातें बताई और बहुत से डेट्स भी कोट की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा में आज 36 लाख एम.ए.एफ (मिलियन एकड़ फीट) पानी की जरूरत है लेकिन इसके विपरित हरियाणा में केवल 14 लाख एम.ए.एफ. पानी की उपलब्धता है। इस प्रकार से आज भी हमें 22 लाख एम.ए.एफ. अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है। हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार यह पानी न मिलने के कारण हमारे खेत वीराने पड़े हैं। यह आज की बात नहीं है। सन् 1930 में सतलुज वैली सिस्टम तैयार हुआ था। उस समय भी पंजाब और सिंध प्रदेश का झगड़ा था और तब सिंध प्रदेश नहीं चाहता था कि बैराज बनें और पंजाब प्रदेश चाहता था कि बैराज बनें। इस मामले में सरकार ने सन् 1945 में एक कमीशन नियुक्त किया था उसने इस बारे में अपना फैसला दिया था कि पंजाब प्रांत को बैराज बनाने का अधिकार दिया जाये लेकिन फिर भी सिंध प्रदेश नहीं माना था। इसके पश्चात् दीन बंधु सर छोटू राम ने 06 जनवरी, 1945 को भाखड़ा प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किये थे लेकिन 08 जनवरी, 1945 को उनका देहांत हो गया था। यह जो सिंधु नदी का समझौता था यह सन् 1955 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और इस समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से में पश्चिमी नदियां जैसे कि सिंध, चिनाब और झेहलम आई थी। इसी प्रकार से इस समझौते के तहत भारत के हिस्से के पूर्वी नदियां जैसे सतलुज, ब्यास और रावी आई थी। सर, इसके बदले में भारत सरकार ने पाकिस्तान को 110 करोड़ रुपये दिये थे। इस प्रकार से यह पानी तत्कालीन पंजाब और राजस्थान के शुष्क इलाकों के लिए प्राप्त किया गया था। इसके बाद जब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ तो हरियाणा पंजाब का सक्सैसर स्टेट था इसलिए इस नाते इस पानी पर हरियाणा का भी हक बनता था। सर, पंजाब और हरियाणा में एस.वाई.एल. की लम्बाई 212 किलोमीटर है जिसमें से 91 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में है और बाकी की 121 किलोमीटर पंजाब की सीमा में है। यह ठीक है कि सन् 1980 में कपूरी गांव में कस्सी मार कर इस एस.वाई.एल. के निर्माण की शुरूआत की गई थी। मैं इस बारे में यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में तो इसकी शुरूआत 1976 में ही हो गई थी। अगर हम यह भी मान लें कि इसकी शुरूआत सन् 1980 में हुई तो भी सन् 1980 को आज 34 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक भी यह नहर पूरी नहीं हो सकी और हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल सका। इस मामले में हरियाणा के लोगों की मांग पर दो

[श्री रामपाल माजरा]

समितियां बनाई गई थी जिनमें से एक का नाम विकास समिति था और दूसरी का नाम खाद्य समिति थे। इन दोनों समितियों ने भी रावी और ब्यास का अधिक पानी हरियाणा को देने का फैसला किया था। इसके बाद 29 जनवरी, 1955 में भारत सरकार का समझौता हुआ जिसमें पानी की उपलब्धता 15.85 एम.ए.एफ. मानी गई थी जिसके आधार पर पंजाब को 5.90 एम.ए.एफ. पानी मिला। (विघ्न)

**उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :** स्पीकर सर, मैं अपने मित्र को केवल एक सप्लीमैंट्री इन्फर्मेशन देना चाहता हूं। मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि सन् 1965 में जब यह समिति बनी थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता इरीगेशन एण्ड पॉवर मिनिस्टर थे और हरियाणा के लोगों की मांग पर ही ये समितियां उस समय बनी थी। It is just a supplementary information which I want to place before the House.

**श्री रामपाल माजरा :** स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग दीन बंधु सर छोटू राम के नाम पर फड़कते हैं। दीन बंधु सर छोटू राम के नाम से तो शायद इनको एलर्जी सी हो गई है। अगर मैंने उनका नाम ले लिया तो कोई बुरा काम तो नहीं कर दिया। वे किसानों के एक बहुत बड़े नेता हुए थे। उनको लोग आज भी सिर झुकाते हैं।

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय माजरा जी को बताना चाहता हूं कि ये अकेले दीन बंधु सर छोटू राम के ठेकेदार न बनें क्योंकि वे तो हमारे नेता थे और किसानों के भी नेता थे। इन्होंने तो उनको काले झण्डे दिखाये थे।

**श्री रामपाल माजरा :** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बात कहना चाहता हूं कि दीन बंधु सर छोटू राम अकेले इनके नहीं थे, वे तो सभी के थे।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकेले ही उनके ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक दीनबंधु सर छोटू राम का सवाल है तो उनके नाम से हमने यूनिवर्सिटी बनाई तथा उनके नाम से थर्मल पॉवर प्लांट लगाया है, उनको कौन भूल सकता है। जिन्होंने उनका नाम मिटाने की कोशिश की वे ही इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा :** अध्यक्ष महोदय, उस थर्मल पॉवर प्लांट का नाम हमने रखा था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** मुख्यमंत्री जी, आपने तो चौ. मातू राम जी और और चौ. रणबीर सिंह जी के नाम से संस्थान बनाये हैं, आपने सर छोटू राम जी के नाम से कोई पॉवर प्लांट नहीं लगाया है, आपको उनके नाम का श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री रामपाल माजरा :** अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को 0.12 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया तथा पैप्सू को 1.33 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया। इसी प्रकार से राजस्थान को 8 मिलियन एकड़ फीट तथा जम्मू एवं कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया। इसी प्रकार से श्री शर्मा कमेटी ने हरियाणा को 42 लाख एकड़ फीट पानी और पंजाब को 28 लाख एकड़ फीट पानी दिया लेकिन पंजाब इस पर भी नहीं माना। अध्यक्ष महोदय, 1971 में

श्री दुर्गा प्रसाद धर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और धर कमेटी ने भी 1973 में अपनी रिपोर्ट दे दी जिसके अनुसार हरियाणा को 34.4 लाख एकड़ फीट पानी दिया लेकिन पंजाब इससे भी सहमत नहीं हुआ। इस मामले को सुलझाने के लिए बाबू जगजीवन राम की अध्यक्षता में कमेटी बनी लेकिन पंजाब ने उसकी रिपोर्ट को भी माना। भारत सरकार ने 1921 से लेकर 1945 तक पानी की उपलब्ध्ता पर जो आंकलन किया वह 15.85 मिलियन एकड़ फीट माना गया। भारत सरकार ने 24.3.1976 को फैसला दिया और पानी का बंटवारा कर दिया। इसमें से पंजाब को 3.5 मिलियन एकड़ फीट और हरियाणा को भी 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया। इसी प्रकार से दिल्ली को 0.20 मिलियन एकड़ फीट और राजस्थान को 8 मिलियन एकड़ फीट तथा जम्मू एवं कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया। पंजाब इस बंटवारे से भी संतुष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार से वधवा कमेटी का गठन हुआ और फैसला यह हुआ कि हरियाणा को 48 लाख एकड़ फीट तथा पंजाब को 24 लाख एकड़ फीट पानी दिया जाये परन्तु पंजाब ने इस बात को भी मंजूर नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से 1921 से लेकर 1960 तक पानी की उपलब्धता फिर आंकी गई जिसे सरकार ने 17.17 मिलियन एकड़ फीट माना जिसका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच 31 दिसम्बर, 1981 को बंटवारा हुआ। उसके अनुसार रावी-ब्यास के अतिरिक्त पानी में से हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी और पंजाब को 4.22 तथा राजस्थान को 8.60 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया। जम्मू कमश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट तथा दिल्ली को 0.20 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना तय हुआ लेकिन पंजाब को यह भी स्वीकार नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राजीव लौंगोवाल समझौते के तहत 5 नवम्बर, 1983 को पंजाब विधान सभा में प्रस्ताव पारित करके 1981 के फैसले को अनावश्यक करार दे दिया गया था। इसी प्रकार से 1986 में रावी-ब्यास ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। पंजाब को 5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला तथा हरियाणा को 3.83 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया। राजस्थान को 8.60 मिलियन एकड़ फीट तथा जम्मू एवं कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट तथा दिल्ली को 0.20 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना तय हुआ लेकिन पंजाब को यह भी मंजूर नहीं था। हरियाणा राज्य ने 6 सितम्बर, 1996 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया तथा 15 जनवरी 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने नहर बनाने का आदेश जारी किया। पंजाब ने रिव्यू पैटीशन डाली वह भी खारिज हो गई। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से प्रस्ताव में कहा गया 12 जुलाई, 2004 को पंजाब विधान सभा ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमैंट एक्ट पास कर दिया गया। उससे हरियाणा का बहुत नुकसान हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होने के बावजूद भी हमें पानी नहीं मिल सका। अध्यक्ष महोदय, कई बातें हमारे मित्र रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत स्पष्ट कहीं लेकिन कुछ बातों को छिपाने का प्रयास भी किया गया। उन्होंने यह नहीं बताया कि जिस समय यह पंजाब जल समझौता निरस्तीकरण विधेयक पारित हुआ उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी जिसने इस समझौते को रद्द किया था जिससे हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ।

**बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। जिस समय यह समझौता रद्द हुआ उस समय सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ था। उसमें केवल कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं था बल्कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की भी सहमति थी तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था।

**Mr. Speaker :** Mr. Yadav, you have a valid point.

**श्री रामपाल माजरा :** अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब जो बात कह रहे हैं यह बात ठीक हो सकती है। हो सकता है कि उस समय सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया हो लेकिन मैं विशेष रूप से यह बात कहना चाहता हूँ कि उस समय पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस ही रैजोल्यूशन लेकर आई थी।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र की बात शत-प्रतिशत सही है कि जब पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 आया उस समय पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्योंकि जब मैं यह प्रस्ताव लेकर आया तो मैंने शुरू में ही कहा था **that perhaps it is time to rise above personal political blame game** जब वह गैर-कानूनी कानून पंजाब की विधायिका द्वारा पारित किया गया उस समय विधान सभा में अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे। मैं अपने मित्र को एक बात और बताना चाहता हूं कि मैंने जान बूझकर और सोच-समझकर यह कहा है कि हमको इससे आगे बढ़ना है इसलिए पुराने मुद्दे न उखाड़े। जब 30 जनवरी, 1987 को इराडी ट्रिब्यूनल का फैसला आया उस समय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्होंने सन् 1991 तक एस.वाई.एल. का पानी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा दायर नहीं किया और वह एस.वाई.एल. का पानी लेने के मुद्दे पर ही वे सत्ता में आए थे परन्तु उन्होंने कोई मुकदमा दायर नहीं किया। जब उनकी सरकार चली गई और जब सन् 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो मुकदमा दायर किया। क्योंकि हमने आपस की राजनीतिक छींटाकशी से ऊपर उठकर हरियाणा के हकों की बात करनी है इसलिए हमने प्रस्ताव के अन्दर केवल तत्कालीन सरकार लिखा। इस प्रस्ताव में ना मैंने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की और न लोकदल पार्टी की चर्चा की क्योंकि मुझे लगता है कि आपने हरियाणा के हितों पर कुठाराघात किया, आपने इराडी कमीशन को साइमन कमीशन की संज्ञा दी, आपने उन्हें काले झण्डे दिखाए परन्तु मुझे लगता है कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत है।

**श्री अनिल विज :** आपने प्रस्ताव में जगह-जगह मैनशन किया कि यह काम कांग्रेस सरकार ने किया है।

**श्री अभय सिंह चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने इस बात की भी चर्चा की कि सन् 1987 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की सरकार थी, इनके कहने का मकसद साफ-साफ यह था कि उस दौरान एस.वाई.एल. पर कोई काम नहीं हुआ जबकि ये आंकड़े बताते हैं कि सन् 1987 से लेकर सन् 1991 तक एस.वाई.एल. नहर पर 60% से ज्यादा काम हुआ था और उसके बाद सन् 1991 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की सरकार जाने के बाद जब चौधरी भजन लाल की कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद नये सिरे से नदियों के पानी की बात चली फिर एक राजीव लौंगोवाल नाम का समझौता हुआ। जब राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ था उस समय के बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के साथ उस न्याय युद्ध में शामिल थे। स्पीकर सर, उस दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो राजीव लौंगोवाल समझौते के तहत फैसले हुए थे, उनमें से एक शाह कमीशन की रिपोर्ट थी। शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़, हरियाणा प्रदेश को मिलना चाहिए था लेकिन अफसोस की बात है कि वह भी पंजाब प्रदेश को दे दिया गया। इससे अतिरिक्त 107 हिन्दी भाषी क्षेत्र के गांव जो वास्तव में हरियाणा प्रदेश को मिलने चाहिए थे, उन्हें इस राजीव लौंगोवाल समझौते के अन्तर्गत पंजाब प्रदेश को सौंप दिया गया। इसके साथ ही साथ एस.वाई.एल.

नहर जो हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है, उस समझौते के तहत इस नहर का पानी भी कम करने की बात कही गई थी जिसका विरोध स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने ही किया था। इन सारी चीजों का उस समय अगर किसी ने विरोध किया था तो उसका सारा श्रेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को ही जाता है जिनकी बात अभी यहां इस सदन में की जा रही है। (इस समय विपक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गईं।) इसके लिए न तो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को और न ही चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला को श्रेय दिया जा सकता है। जब सन् 1966 में हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया था उस वक्त ज्वॉयंट पंजाब सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला किया था कि हरियाणा राज्य अलग से न बनाया जाये तो उस फैसले पर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा ने भी दस्तख्त किये थे कि हरियाणा को अलग से प्रांत न बनाया जाये बल्कि वह पंजाब में ही रहे। (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : स्पीकर सर, हमारे विपक्ष के साथी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी का नाम ले रहे हैं। वास्तव में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा न तो उस समय कोई मंत्री थे और न ही किसी अन्य पद पर विराजमान थे। अतः इस मामले से उनके जुड़े होने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में व्यक्तिगत बातें नहीं की जानी चाहिए। It should be off the record. हम तो सभी का सम्मान करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत बात नहीं की है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी जब स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के बारे में बात करते हैं, तब तो यह बात नहीं सोचते? मुख्यमंत्री जी को किसी स्वर्गीय व्यक्ति के लिए जो आज हमारे बीच में नहीं है, कुछ कहने की छूट किसने दे दी. . .। (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : स्पीकर सर, मैंने किसी के भी बारे में कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलाकर कहा कि वे सन् 1987 में जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, पर चर्चा करें। मैंने अपनी आंखों से यह सब कुछ होते हुए देखा है। (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : स्पीकर सर, मेरे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह बतायें कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा है? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : स्पीकर सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुख्यमंत्री जी ने सुरजेवाला को बुलाकर कहा कि सन् 1987 में जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, तब की बात पर चर्चा शुरू करो। (शोर एवं व्यवधान) मैंने खुद देखा है . . (शोर एवं व्यवधान) मैंने खुद देखा है . . . (शोर एवं विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : स्पीकर सर, विपक्ष के साथी बार-बार देखा है . . देखा है . . शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। देखा है... देखा है... इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग करके वह क्या दिखाना चाहते हैं। इनको हाउस की मान-मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इस हाउस के अंदर एक गरिमा बनाकर रखी जाती है (शोर एवं व्यवधान) मैंने किसी व्यक्ति का पर्सनली तौर पर नाम तक नहीं लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने सुरजेवाला जी को अपने पास बुलाकर सन् 1987 के स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के मुख्यमंत्री काल के बारे में चर्चा करने के लिए कहा है। मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ यह सब देख रहा था। (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** Please maintain decoram of the House. (Noise & Interruption) It is a very serious debate. (Noise & Interruption)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना जानते हैं। चाहे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हो या अन्य कोई बुजुर्ग हो। हम सबका सम्मान करते हैं। विपक्ष के साथी सदस्य को थोड़ा बुजुर्गों का सम्मान करना सीखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) हमें बुजुर्गों का सम्मान करना आता है। (शोर एवं व्यवधान) हमने तो सदा से ही बुजुर्गों का सम्मान करना सीखा है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री आनन्द सिंह दांगी** : स्पीकर सर . . . (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** Yes Dangi Ji, do you want to have a point of order or are you want to speak on this issue? (Noise & Interrution) मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं या फिर आपका प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। यदि करंट विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप कंटीन्यू कर सकते हैं?

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा** : स्पीकर सर, दांगी साहब तो स्पीच करना चाहते हैं। (शोर एवं विघ्न)

**श्री आनन्द सिंह दांगी** : स्पीकर सर, मैं प्वॉयंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूँ। यदि आप मुझे प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए परमिशन दे देते हैं तो इसमें संभवत: 10 मिनट तो अवश्य ही लगेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है, यदि आप प्वॉयंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद अपनी बात रख लेना। I will give you on opportunity. Let him conclude.

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला** : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल मित्र ने सदन में जो बात कही है उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ ब्यान करना चाहूँगा। जब मैंने एस.वाई.एल. कैनाल पर प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया था तो भी मैंने बड़ी विनम्रता से सादर अनुरोध किया था और ब्यान किया था कि वर्ष 1986 में चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था और चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वर्ष 1987 तक एस.वाई.एल. कैनाल का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका था। इस प्रकार से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि वर्ष 1987 से लेकर वर्ष 1991 तक केवल हरियाणा के हितों का क्रियान्वयन करने के लिए no case was instituted in Court. That is the short point I pointed out. But we are not going to enter into that debate. We have to go forward from here. We don't want to go backward and indulge in the blame game. (Interruption).

**Mr. Speaker :** Yes, lets move forward. हाँ माजरा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

**श्री रामपाल माजरा** : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

**सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल)** : स्पीकर सर, मैं भी रैजोल्यूशन पर अपने विचार रखना चाहता हूँ इसलिए चाहता हूँ कि मुझे भी बोलने के लिए कुछ समय दे दिया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : सांगवान जी, यदि आपको रैजोल्यूशन पर बोलना है तो पहले माजरा जी को कंकल्यूड करने दीजिये। इनके बाद आप बोल सकते हैं। क्या आपको कोई प्वायंट ऑफ आर्डर है? You can speak or resolution but if you have point of order than it is different.

**श्री रामपाल माजरा** : स्पीकर सर, यदि सांगवान जी का प्वायंट ऑफ आर्डर है तो वे बोल सकते हैं। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : सांगवान जी, प्लीज आप बैठिये और माजरा जी के बाद बोल सकते हैं।

**श्री आनन्द सिंह दांगी** : माजरा साहब, आप अपनी बात रख ही लीजिये।

**श्री रामपाल माजरा** : स्पीकर सर, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने अभी कहा कि चौधरी देवी लाल जी ने एस.वाई.एल. कैनाल पर किसी भी तरह का कोई केस फाईल नहीं किया। परन्तु यह सत्य नहीं है। मैं इस महान सदन में बताना चाहता हूँ कि 20.2.1978 को पंजाब में पहली बार for the acquisition of land के लिए जो नोटिफिकेशन की गई थी वह चौधरी देवीलाल जी के मुख्यमंत्री काल में ही की गई थी। इसी प्रकार से 30.4.1979 को जब चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे a suit was filed by Haryana in Supreme Court for implementation of order dated 24.3.1976 for construction of SYL Canal in Punjab portion. सर, इस बारे में 24.3.1979 को केस चौधरी देवीलाल जी ने पहली बार कोर्ट में फाईल किया था। जहां तक इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार थी तो उस संबंध में बताना चाहूँगा कि suit was withdrawn by the Punjab and Haryana from Supreme Court consequent of agreement. चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और सरदार दरबारा सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। समझौते के तहत जो केस विद्ड्रा किया गया था वह कांग्रेस सरकार ने किया था और सूट दायर किया गया था वह चौधरी देवीलाल जी ने फाईल किया था। (विघ्न)

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि जिस कागज पर इनका अपना भाषण लिखा है कम से कम उसको तो ठीक से पढ़ लें।

**श्री रामपाल माजरा** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को एक लाइन में ही कहकर क्लीयर कर देता हूँ। उस समय भी इसी तरह का वाद-विवाद चल रहा था कि यह नहर किस-किस ने बनवाई है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं उस भाषण की अंतिम एक लाइन पढ़ कर सदन को बताना चाहता हूँ जो चौधरी बंसीलाल जीने 19 दिसम्बर, 1991 को इस महान सदन में दिया था। उन्होंने अपना भाषण देते हुये यह कहा था कि सबसे ज्यादा काम 1987 के बाद किसी सरकार ने किया? अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हैं कि मेरी चौधरी देवीलाल जी और उनकी पार्टी वालों से कोई मोहब्बत है, लेकिन असलियत को कौन भुला सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह उन्होंने कहा था कि एस.वाई.एल. नहर का 40 लाख क्यूसिक मीटर का काम मेरी सरकार जाने के बाद 31.3.1988 तक पूरा हो गया। मैं इस बात को भी इन्कार नहीं कर सकता कि ड्रेनेज और पुलों के ज्यादा काम 1987 के बाद कम्पलीट हुये, जबकि पुलों और ड्रेनेज का काम मेरे और चौधरी

[श्री रामपाल माजरा]

भजनलाल के समय में कम्पलीट नहीं हुए। यह चौधरी बंसी लाल जी की स्पीच का अंश है। यह स्पीच चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के विधान सभा सत्र में 19 दिसम्बर, 1991 को डिलीवर की थी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, ये रिकॉर्ड की बातें हैं।

**श्री सतपाल सांगवान** : अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड की बात तो यह है कि चौधरी बंसीलाल ने इन्दिरा गांधी को हरियाणा भेजा और छूट दी थी कि एस.वाई.एल. कैनाल आपने बनानी है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा और यह सभी को याद है कि दिन रात एस.वाई.एल. नहर बनाने का काम चला। सभी पंचायतों को दिखाया गया कि कितनी तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है। परन्तु इनकी सरकार आने के बाद पता नहीं क्या हुआ। 1986-87 में जितना काम चौधरी बंसीलाल जी के समय में एस.वाई.एल. नहर का हुआ था, उतना शायद ही किसी और सरकार ने किया होगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री रामपाल माजरा** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही बात बताना चाहता हूँ कि उन्हीं सर्वमान्य नेता चौधरी बंसीलाल जी की बात को ही मैंने यहाँ पर उद्धृत किया है। उन्होंने उसी दिन अपने भाषण में कहा था, अभी आपके सामने मैंने आंकड़े बताये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री नरेश कुमार वादली** : अध्यक्ष महोदय....... (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : प्लीज आप बैठ जाइये।

**श्री रामपाल माजरा** : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि चौधरी देवीलाल जी के समय में एस.वाई.एल. नहर पर खूब काम हुआ है। लेकिन जब आतंकवादियों ने एक चीफ इंजीनियर को मार दिया था, उसके बाद एस.वाई.एल. नहर पर कोई काम नहीं हुआ। ये चौधरी बंसीलाल जी की स्पीच है, जिसमें उन्होंने यह माना कि चौधरी देवीलाल जी के समय में एस.वाई.एल. नहर पर सबसे ज्यादा काम हुआ।

**श्री राम किशन फौजी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है बोलिये।

**श्री राम किशन फौजी** : अध्यक्ष महोदय, श्री रामपाल माजरा जी वैसे तो मुझ से सीनियर है, चौधरी बंसीलाल जी ने जीवन भर एस.वाई.एल. नहर के लिए संघर्ष किया यह बात सारे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए इस कार्य के लिए सारा का सारा श्रेय कांग्रेस सरकार और चौधरी बंसीलाल जी को जाता है। चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा के लोगों के हित में कोई कार्य नहीं किया, उनको एस.वाई.एल. नहर के लिए कोई श्रेय नहीं जाता है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण कार्य को रूकवाया था। क्या चौधरी देवीलाल... देवीलाल लगा रखी है?

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौधरी देवीलाल जी का नाम ऐसे नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से ये बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि हमारे बुजुर्ग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम की चर्चा किसी भी प्रकार से इस महान सदन में न की जाये।

**Mr. Speaker :** I think we should restrain ourselves हमें अपने आपको थोड़ा सा सीमित करके बोलना चाहिए, चाहे वह कोई भी सदस्य हो।

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन के सामने जरूर बताना चाहूँगी। जैसाकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो नेता आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो सच्चाई है उससे कोई मुकर नहीं सकता है कि चौधरी बंसीलाल जी को पूरा हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरा हिन्दुस्तान जानता है। वे हरियाणा प्रदेश के निर्माता थे, लोग आज भी उनको लौह पुरूष के नाम से जानते हैं और जितना काम उन्होंने अपने समय में हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए किया है हम आज भी उसी नींव के ऊपर आगे चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो फौजी जी कह रहे थे, और मेरे भाई विधायक जी कह रहे थे, यह बिल्कुल सत्य बात है कि मैं उस समय हरियाणा की राजनीति में नहीं थी, लेकिन मुझे स्पष्ट याद है कि उस समय एक-एक गाँव से सभी सरपंचों को ले जाकर दिखाया गया कि कितनी तेजी से एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। He is to be proud of the fact that this has been a major achievement. जिस तरह से सदन में चौधरी बंसी लाल जी को डिग्रेटड किया गया है we will not accept it.

**श्री रामपाल माजरा** : स्पीकर सर, मैंने चौधरी बंसीलाल जी पर कोई आक्षेप नहीं किया है। मैंने तो यही कहा है कि चौधरी बंसी लाल जी एक सर्वमान्य नेता थे। सर, मैंने हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही में से चौधरी बंसी लाल जी के भाषण को कोट किया है, यदि किसी कारण मैंने इस भाषण को गलत पढ़ दिया है तो माननीय सदस्या इसको कार्यवाही में देखकर ठीक पढ़ सकती है। सर, चौधरी देवी लाल वर्ष 1990 में भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी देवी लाल ने अपने समय में बॉर्डर रोड़ आर्गेनाइजेशन को इस नहर के निर्माण का कार्य दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : स्पीकर सर, इस सरकार ने साढ़े नौ साल में तो कुछ कार्य किया ही नहीं और हमारी पार्टी से यह पूछ रहे हैं कि इस नहर के बनाने के लिए हम हक में है या नहीं (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** No running commentary please.

**श्री रामपाल माजरा** : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला दिनांक 15.01.2002 को आया था तो उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पंजाब की सरकार को एस.वाई.एल. नहर बनाने के लिए कहा गया था और यह कहा गया था कि यदि पंजाब सरकार इस नहर को न बनवाये तो केन्द्र की सरकार इस नहर को बनवायेगी।

**श्री आनंद सिंह दांगी** : स्पीकर सर, ऐसा कौन सा फैसला आया था?

**श्री रामपाल माजरा :** स्पीकर सर, जब चौधरी देवी लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय यह केस फाइल किया गया था। जब सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आया तो पंजाब सरकार द्वारा उस फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पैटीशन फाइल की गई। उस फैसले के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिक्री पास की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया और उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वर्ष 2002 में आया था। लेकिन रामपाल माजरा जी सदन को यह भी बता दें कि यह केस कब और किसने दायर किया था? जब यह केस सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था तो उस समय किस पार्टी की सरकार थी।

**श्री रामपाल माजरा :** स्पीकर सर, इस किताब के अनुसार चौधरी बंसी लाल जी ने यह कहा था कि चौधरी देवी लाल ने इस केस को सर्वोच्च न्यायालय में दायर करके पंगा ले लिया। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो इस किताब से मिल सकती है।

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** सर, मेरा प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर है। स्पीकर सर, जब प्रेजिडैंशियल रैफरैन्स हुआ उस समय केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हरियाणा राज्य में इनेलो पार्टी के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठती थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कहा कि आप इस मामले में कार्रवाई करें लेकिन इनेलो पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के एम.पीज. माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी से मिले और कहा कि प्रेजिडैंशियल रेफरैन्स हुआ था। स्पीकर सर, यह प्रेजिडैंशियल रेफरैन्स सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने करवाया था। इनेलो पार्टी के सदस्यों ने इस केस को दबाने की कोशिश की थी क्योंकि इनेलो पार्टी के सदस्य अकाली दल से मिले हुए थे। आज भी अकाली दल के साथ इनेलो पार्टी का गठबंधन है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा :** स्पीकर सर, अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी से मिलकर यह प्रेजिडैंशियल रेफरैन्स राष्ट्रपति जी को भिजवाया। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेजिडैंशियल रेफरैन्स नहीं भिजवाया। स्पीकर सर, पूरी मैजोरिटी के साथ केन्द्र में साढ़े नौ साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी। सर, जब भी विधान सभा में इस तरह के असंवैधानिक बिल पास होते हैं तो केन्द्र सरकार को ऐसे बिलों को निरस्त करने का पूरा अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्य साढ़े नौ साल तक चुप बैठे रहें और इस बिल को इन्होंने निरस्त नहीं करवाया। आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य यहां पर बात करते हैं कि हमने प्रेजिडैंशियल रैफरैन्स भिजवाया।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी इस सदन में बहुत सीनियर व काबिल सदस्य हैं। अरोड़ा जी, मुझे वह संविधान की धारा पढ़ कर सुना दें जिसके तहत किसी राज्य सरकार के द्वारा पारित बिल को केन्द्र की सरकार निरस्त कर सकती है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, प्रांतीय सरकार द्वारा पारित किये गये कानून पर केवल धारा 142 के तहत उसकी वैधता की जांच के लिए केन्द्र सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय खंडपीठ बना सकती है। उसके लिए भी तत्कालीन लोकदल सरकार ने कुछ नहीं किया। चौधरी

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा उस समय विपक्ष के नेता और कैप्टन अजय सिंह यादव उप नेता थे। विपक्ष नेता और उप नेता के बार-बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से और सरकार से आग्रह करने के बाद भी चौटाला जी की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्योंकि इनेलो पार्टी अकाली दल की मिलीभगत से डरी हुई थी या उनके दबाव में थी। सर, सच्चाई और तथ्य तो यह है कि विपक्ष की पार्टी ने माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी को मिलकर प्रेजिडैंशियल रेफरैन्स भिजवाया था।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, उस समय मैं विपक्ष का नेता था और श्री अरोड़ा जी परिवहन मंत्री थे। यह इश्यू यहां पर डिसकस हुआ था इस बारे में आप रिकार्ड निकाल कर देख सकते हैं। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मैंने उस समय इन को कहा था कि सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले में आप कोई प्रस्ताव लाओ उसके लिए आप जहां भी कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे। हमने उनको पूरा सहयोग दिया। आप इस बारे में प्रस्ताव तो लेकर आयें।

**श्री रामपाल माजरा :** स्पीकर सर, उस समय चौटाला साहब की सरकार इस नहर के बारे में प्रस्ताव लेकर आई और वह प्रस्ताव पास भी हुआ।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, आज सरकार एस.वाई.एल. नहर के बनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आई है। रामपाल माजरा जी आप आज भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। आपको पिछले समय के गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है। आज सरकार इस बारे में प्रस्ताव लेकर आई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति जी का रेफ्रेंस गया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमिलर केस में फैसला भी दिया है। आज हरियाणा के हित में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हुआ है। इसलिए उसको लागू कराने की बात आप करें। आज केन्द्र की सरकार के हाथ में बात आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बोर में अपना फैसला दे रखा है। आज ये विपक्ष की पार्टी के लोग इस प्रस्ताव का समर्थन करें या विरोध करें। इस बारे में ये एक सीधी सी बात करें।

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा :** स्पीकर सर, हमारी पार्टी सदा से ही सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए समर्थन करती रही है और आज भी हम इसके बारे में समर्थन कर रहे हैं।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, अगर प्रस्ताव को और मजबूती लाने की बात है तो अरोड़ा साहब इसके बारे मे अच्छे सुझाव दें हमारी सरकार इनके सुझावों को अवश्य मानेगी।

**श्री रामपाल माजरा :** स्पीकर सर, हरियाणा के हितार्थ के लिए लड़ाई लड़ते-लड़ते हमारे दल के नेता ने कई बार विधान सभा से इस्तीफा दिया है। उसी दृढ़ता के साथ हरियाणा के अधिकारों के लिए और सतलुज यमुना लिंक नहर को बनाने के लिए हमारी पार्टी इस रैजोल्यूशन के साथ है। सर, परन्तु यह बात तो कहनी ही पड़ेगी कि जब केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही और इस सरकार के पास भी दो महीने का समय रह गया है तब इस सरकार को रैजोल्यूशन लाने की बात याद आई है। (विघ्न)

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 7.5.2014 को आई है और वह भी तमिलनाडु और कैरला के केस में जजमेंट आई है।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** सर, अंग्रेजी का शब्द है सिलेक्टिव एमेनिशिया जिसका मतलब है कि किसी बात को जानबूझकर भूल जाना। रामपाल माजरा तो उस बीमारी से ग्रस्त हैं।

**श्री अध्यक्ष :** इनको इस शब्द के अर्थ का पता ही नहीं है।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर सर,यहां पर जजमेंट कोटिड है फिर भी रामपाल माजरा जी ऐसी बात कर रहे हैं।

**श्री रामपाल माजरा :** स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डेढ़ महीने पहले ही आई है। स्पीकर सर, जब अखबारों में हमारे ब्यान आ गये कि अब तो एस.वाई.एल. बनाने के लिए रास्ता साफ हो गया है तब इस सरकार को सतलुज यमुना लिंक नहर को बनाने की बात याद आई है। इस सरकार ने न तो उस समय कोई सैशन बुलाया और न ही कोई प्रस्ताव पास किया।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, आज केन्द्र में भाजपा की सरकार है और रामपाल माजरा जी की पार्टी का उस सरकार को बिना शर्त समर्थन है। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसको तो इनको लागू करवाना चाहिए।

**श्री रामपाल माजरा :** स्पीकर सर, फैक्ट्स फाईंडिंग के बाद जब कोई कोर्ट फैसला दे दे और कोई स्टेट उसमें दखल न दे तो यह फैसला हरियाणा पर भी लाई करता है। हरियाणा का सिमिलर केस होने के नाते इस फैसले से हमें लगता है कि एस.वाई.एल. नहर अब तो जरूर बन जायेगी। परन्तु इस सरकार की जो मनोकामना है और दिल की बात है उसमें जरूर कुछ दाल में काला है। ये रोड़े अटकाने के लिए हैं। सर, हरियाणा की जनता यह चाहती है कि एस.वाई.एल. नहर जो हरियाणा की जीवन रेखा है वह बने लेकिन जनता यह भली प्रकार से जानती है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक और यह सरकार एस.वाई.एल. नहर को बनाने वाली नहीं है। यह सरकार यहां पर केवल गिलहरी के आंसू बहा रही है (हंसी) मगरमच्छ के आंसू बहा रही है ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके कि यह सरकार एस.वाई.एल. के लिए कुछ कर रही है। परन्तु स्पीकर सर, जनता के साथ यह सरासर धोखा है और जनता इस धोखे को अब समझ चुकी है। मुख्यमंत्री जी, सरकार द्वारा इस समय सतलुज यमुना लिंक नहर को बनाने के बारे में जो यह प्रस्ताव लाया गया है उसके बारे में भी लोग भलीभांति जानते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा पिछले साढ़े नौ वर्ष तक इस काम के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किए गए। हरियाणा में श्रीमती सोनिया गान्धी जी की काफी रैलियां हुई और बहुत बार लोगों से तालियां पिटवाई गई लेकिन इस सरकार ने एस.वाई.एल. को बनाने के लिए उनसे एक भी जनसभा में मांग नहीं की कि यह नहर बननी चाहिए।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब कौन सी जनसभा में आये मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं है। क्या ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये थे? अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं इनका आदर करता हूं लेकिन हरियाणा के लोग यह बात समझ चुके हैं कि ये बहुत अच्छे बहरूपिये हैं। (विघ्न)

**श्री रामपाल माजरा :** अध्यक्ष महोदय, दो महीने बाद ये हरियाणा के लोगों से वोट मांगने जाएंगे तो इनको पता लग जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार हरियाणा के किसानों के लिए और

हरियाणा के हितार्थ क्या-क्या कार्य किए। हरियाणा की जनता उस समय इनको मजा चखाने का काम करेगी और इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। धन्यवाद सर।

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, अभी ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने साढ़े 9 सालों तक हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया ...

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :** अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी हाउस में यह तो बताएं कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या विरोध।

**श्री रामपाल माजरा :** अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. के निर्माण पर रैजोल्यूशन जो आपकी सराकार ने मूव किया है हम उसका समर्थन करते हैं।

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ये लोग कहते है कि कांग्रेस ने साढ़े 9 सालों तक कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, जब मैं इरीगेशन मिनिस्टर था तो सबसे बढ़िया वकील इस केस को लड़ने के लिए हमने किए। चूंकि प्रैजीडिंशियल रैफ्रेंस आया हुआ था इसलिए इसके लिए बकायदा हमने केस लड़ा। कावेरी इशू पर केरल वर्सिज तमिलनाडु जजमैंट आने के बाद इसकी सारी पावर्ज सैंट्रल गवर्नमैंट के हाथों में आ गई है। ये एस.वाई.एल. रैजोल्यूशन का समर्थन कर रहे हैं यह अच्छी बात है। आज सैंट्रल गवर्नमैंट इम्पॉवर्ड है कि वह इसे अपने हाथ में लेगी परंतु उस टाइम सैंट्रल गवर्नमैंट इम्पॉवर्ड नहीं थी क्योंकि उस वक्त जजमैंट नहीं आई थी परंतु अब जजमैंट आ गई है इसलिए अब सैंट्रल गवर्नमैंट यह काम कर सकती है। (विघ्न)

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री सुरजेवाला जी ने आज जो एस.वाई.एल. कम्पलीशन करने बारे प्रस्ताव रखा है मैं समझता हूं कि cutting across party alliance and ignoring all the mistakes and failures done by our predecessors - - -

**Smt. Kiran Choudhary :** Speaker Sir, how can he say. What are the failures? How can Vij ji say this? Vij ji, what do you mean by predecessors? Now he is denigrating both Ch. Devi Lal ji and Ch. Bansi Lal ji. What the hell?

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :** अध्यक्ष महोदय, मैं विज साहब से निवेदन करूंगा कि ये फेल्योर के साथ सक्सैस वर्ड भी एड कर दें तो दोनों का काम चल जाएगा।

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, मैंने नोइंगली किसी लीडर का, किसी समझौते का और किसी अवार्ड का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं इसको दलगत राजनीतिक डिस्कशन में नहीं ले जाना चाहता परंतु यह हकीकत है कि हरियाणा के हितों को लेकर आज तक जितने समझौते हुए या जितने अवार्ड आए उसमें हरियाणा को कभी लाभ नहीं मिला और हरियाणा की बात कभी पूरी नहीं हुई। (विघ्न)

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, विज साहब बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए मुझे उनसे यह उम्मीद जरूर रहती है कि जब हरियाणा के हितों की बात आए तो उनको कम से कम पूरे तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। चाहे पंजाब की ज्वांइट असैम्बली के अंदर दोनों कमेटियों का निर्णय था, चाहे पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

निर्णय था, चाहे वह त्रि-पक्षीय समझौता जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाया था वह निर्णय था, चाहे राजीव लौंगोवाल समझौते के तहत इराडी कमीशन का अवार्ड आया वह निर्णय था। इन सभी निर्णयों में हरियाणा को पानी का पूरा हक मिला है।

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि फैसला तो हक में हो गया लेकिन आज तक हमें मिला कुछ भी नहीं है। न नदी बनी है और न हिंदी भाषी क्षेत्र मिले हैं, हमें आज तक मिला क्या है? आपने समझौते तो करवाये लेकिन हमें मिला क्या यह भी तो बतायें । हम हमेशा लूजर रहे हैं। मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता था लेकिन अब कहना चाहूंगा कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी जी अवार्ड आया उस समय दोनों स्टेट्स एस०वाई०एल० के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थी। इन्दिरा गांधी जी के अवार्ड के तहत 3.5 एम०ए०एफ० पानी हरियाणा के हिस्से में आया। इस मुद्दे पर दोनों स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थी लेकिन समझौता करवा दिया गया और दोनों स्टेट्स ने कोर्ट से केस विदड्रा कर लिया फिर भी आज तक वह इन्दिरा गांधी का अवार्ड भी इम्पलीमैंट नहीं हुआ है। यह फैक्ट्स की बात है this had not been done. यदि हम यह केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट से शायद आज से कई साल पहले बेहतर जजमैंट हमें मिल जाती और हम इसमें आगे बढ़ पाते । जहां तक इराडी ट्रिब्यूनल की बात है। (विघ्न)

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, माननीय विज साहब पूरे प्रस्ताव को पढ़ते नहीं हैं. उस निर्णय के बाद 2002 और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ चुके हैं।

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, मुझे इन निर्णयों के बारे में मालूम है। मैं इनकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने यह कहा है कि mistakes have been done because I don't want to take a name of any party or any leader. We have to see the future of Haryana, अध्यक्ष महोदय, यह भी एक इत्तेफाक कहा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कैरल के बारे में डिसीजन आया तो सरकार यह प्रस्ताव लेकर आई है। हमारे प्रदेश में एस०वाई०एल० का निर्माण एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। इसको लेकर कभी भी किसी के राज में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है क्योंकि दो महीने चुनावों के रह गये हैं इसलिए अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। वरना पहले पंजाब में, हरियाणा में और सैंटर में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी लेकिन इसमें कोई प्रगति नही हुई। अब सरकार कहेगी कि इसमें प्रेजीडैंशियल रैफरैंस हो गया इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में चले गये। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर पंजाब सरकार ने प्रस्ताव पास करके पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 को रद्द कर दिया। (शोर एवं व्यवधान)

**बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। मैं विज साहब को बताना चाहता हूं कि आज के दिन केन्द्र में इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी इनकी सहयोगी सरकार है इसलिए अब ये एस०वाई०एल० का कार्य जल्द से जल्द करवायें। प्रधान मंत्री मोदी जी बड़े अच्छे दिन लाने की बात कह रहे हैं। (विघ्न) ये लोग हरियाणा के हक का पानी लाकर हरियाणा प्रदेश की जनता के अच्छे दिन लेकर आयें। देश में तो रेल का भाड़ा और मंहगाई बढ़ाकर इन्होंने अच्छे दिन ला दिये हैं। विज साहब,

भारतीय जनता पार्टी में हैं और इस सदन के सदस्य हैं इसलिए ये जाकर प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें और एस०वाई०एल० का कार्य पूरा करवायें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। We are making a mockery on it. We are not serious. आप और हम मानें या न मानें लेकिन हरियाणा की जनता यह मानती है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इसमें क्या-क्या कमियां रही, इसके क्या-क्या कारण रहे और कौन-कौन लोग इसके लिए दोषी रहे इसके बारे में शायद उनको न पता हो लेकिन हरियाणा के लोग आज यही मानते हैं कि एस०वाई०एल० का जो मुद्दा है यह चुनावी मुद्दा है और उन्हें एस०वाई०एल० का पानी कभी मिलने वाला नहीं है। सर, आज केन्द्र में भी हमारी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी हमारी पार्टी की सरकार है। (विघ्न)

**श्री नरेश कुमार बादली:** स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, विज साहब की पार्टी ने धोखे से केन्द्र की सत्ता हथियाई है। इनकी पार्टी की केन्द्र सरकार ने एक महीने के अंदर रेलवे का 14.25 परसैंट किराया बढ़ा दिया है। इससे पूरे देश की जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही है।

**Mr. Speaker :** Mr. Sharma, we are talking about S.Y.L. Please sit down.

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, आज केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** नरेश जी, आप कृपया बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) Serious discussion on an important issue is going on. What are you doing Mr. Sharma? Please sit down. (Noise and Interruption) Serious discussion is going on Mr. Sharma you may please be serious. Yes Mr. Vij, please continue.

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रैजोल्यूशन चाहे किसी भी मकसद से आया हो लेकिन फिर भी यह पूरे प्रदेश के हित में है इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है। आज केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने अपने पहले ही बजट में सारे देश की नदियों को जोड़ने का संकल्प भी व्यक्त किया है।

**श्री भारत भूषण बतरा :** स्पीकर सर, विज साहब यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने इस काम के लिए कितना बजट रखा है?

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, मैंने संकल्प की बात कही है और अगर इनको यह समझ नहीं आता तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं।

**श्री नरेश कुमार बादली :** स्पीकर सर, एक पवायंट ऑफ ऑर्डर पर मैं माननीय विज साहब से यह पूछना चाहता हूं कि यह ठीक है कि इनकी पार्टी की केन्द्र सरकार ने सारी देश की नदियों को जोड़ने का संकल्प पारित किया है क्या इनकी पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे एस०वाई०एल० नहर की खुदाई के बारे में भी कोई जिक्र किया है। ये कभी गुजरात पहुंच जाते हैं और कभी सिलीगुड़ी पहुंच जाते हैं लेकिन हरियाणा प्रदेश की बात इनको याद नहीं आती है। (विघ्न) माननीय विज साहब यह भी बतायें कि इस काम के लिए कितना बजट रखा गया है। विज साहब इस प्रकार की बातें करके सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी पार्टी ने देश और प्रदेश के लोगों को मीठी गोली खिलाकर ठग लिया है।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला** : स्पीकर सर, मेरे मित्र श्री नरेश जी जो कह रहे थे मैं केवल उनकी भावना की थोड़ी सी विस्तार से व्याख्या करना चाहता हूं ताकि विज साहब उसका भी जवाब दे सकें। सर, विज साहब ने नदियों को जोड़ने की बात कही है। इस प्रोजैक्ट के बारे में श्री वाजपेयी जी के समय में भी यह कहा गया था कि यह प्रोजैक्ट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये में पूरा होगा लेकिन इस प्रोजैक्ट के लिए वर्तमान केन्द्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जिससे इस प्रोजैक्ट की कम्पलीशन में साढ़े तीन सौ साल लगेंगे और शायद साढ़े तीन हजार साल भी लग जायें। इसी प्रकार से गंगा सबकी मां है उसकी सफाई के लिए इनकी सरकार के आंकड़े थे कि 65 हजार करोड़ रुपये चाहिएं लेकिन इस काम के लिए भी 2 हजार करोड़ रुपये रखे गये हैं और इस प्रकार से इस काम की कम्पलीशन में भी कम से कम 30 साल लगेंगे। इस तरह से कम से कम 29 ऐसी स्कीमें हैं जिनके लिए केन्द्रीय वित्त विभाग ने 100 करोड़ रुपये का झुनझुना लोगों को दे दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से देश का भला नहीं हो सकता और न ही देश की सभी नदियों का जुड़ाव ही हो सकता है। हमें इस देश के भले और गंगा माता की सफाई से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सभी कामों के लिए उचित बजट का भी प्रावधान किया जाये तभी किसी भी प्रकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। इसी प्रकार से मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 8 शहरों में घाट निर्माण और वॉक-वे बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि नाकाफी है। मैं अपने मित्र विज साहब को यही सलाह देना चाहता हूं कि जब वे इसकी शेखी बघार रहे थे तो उनको यह भी सोचना चाहिए था कि उनकी पार्टी की सरकार के केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने इन सभी कामों के लिए कितने पैसे का प्रावधान किया है।

**श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही है कि सरकार ने संकल्प व्यक्त किया है। मैंने यह नहीं कहा कि नदियों को जोड़ने के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : विज जी, उस संकल्प को पूरा करने के लिए क्या किया गया है?

**श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष हैं, आप तो इस मामले में राजनीति नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष होने के नाते नहीं बोल सकते। इनको राजनीति करने दो। (शोर एवं व्यवधान)

**सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल)** : अध्यक्ष महोदय, विज साहब आपको धमका रहे हैं। ये इस तरह से चेयर के खिलाफ नहीं बोल सकते।

**श्री अध्यक्ष** : मुझे कोई नहीं धमका सकता और न ही मैं किसी की धमकी मानता हूं। विज साहब अपनी बात कह सकते हैं।

**श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, मैं सांगवान साहब की तकलीफ को समझ सकता हूं। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ कि विपक्ष का नेता बनने तक की काबलियत नहीं रही । यह कांग्रेस का दुर्भाग्य ही है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

**बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव)** : विज साहब क्या आपको याद है जब आपकी पार्टी के लोकसभा में केवल 2 सदस्य ही चुन कर आये थे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री आनन्द सिंह दांगी:** अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० जैसे गम्भीर मुद्दे पर डिस्कशन हो रही है और विज साहब राजनीति कर रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** विज साहब राजनीति नहीं कर रहे हैं, इनको अपनी बात कहने दीजिए।

**श्री रामपाल माजरा:** अध्यक्ष महोदय, अभी आप कह रहे थे कि मैं किसी से नहीं डरता हूं तो फिर आपने ये डी०एस०पी० रैंक के दो मार्शल यहां हाउस में अपनी चेयर के दोनों तरफ किसलिए खड़े किये हुये हैं।

**श्री अध्यक्ष:** मैं डरता नहीं हूं, यह मेरा स्टाफ है और अपनी डयूटी कर रहा है।

**श्री अनिल विज:** अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी स्पीच को छोटी करता हूं क्योंकि इनको मेरी बात हजम नहीं हो रही है। मैं सरकार की इच्छाशक्ति की बात कर रहा हूं । मैं कह रहा हूं कि केन्द्र में हमारी (भारतीय जनता पार्टी) सरकार है, आप चलिये हम आपके साथ चलेंगे और सरकार से एस०वाई०एल० के बारे में बात करेंगे। अब केन्द्र में हमारी सरकार है, पंजाब में भी हमारी सरकार है और दो महीने रूक जाईये फिर हरियाणा में भी हमारी सरकार बन जायेगी फिर तो हम एस०वाई०एल० को बना कर दिखायेंगे। सर, मैं तो 2 महीने भी इंतजार नहीं करना चाहता, आप सभी पार्टियों का एक डेलिगेशन लेकर चलिए, हम सरकार से एस०वाई०एल० के बारे में बात करेंगे क्योंकि यह प्रदेश के हित की बात है अन्यथा तो दो महीने बाद फिर हम अपने आप ही बना लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे सुरजेवाला जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वैसे तो उनका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता क्योंकि वे बातें इरैलेवैन्ट हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिक:** अध्यक्ष महोदय, मैं विज साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जितनी जल्दी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंहगाई घटाई है क्या उतनी ही जल्दी ये एस०वाई०एल० को भी बना देंगे? (हंसी)

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार केन्द्र सरकार की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि एक प्रस्ताव इस बात पर भी ले आओ हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ये एस०वाई०एल० पर बार-बार बातें लेकर आ रहे हैं और मैं तो फिर भी पॉजीटिव बात कर रहा हूं। आप तो इसको एक चुनावी गिमिक बनाना चाहते हैं और इसलिए आपने इस पर डिस्कशन रखी है लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं इस मुद्दे को दलगत राजनीति में हरगिज नहीं ले कर आऊंगा। मैं, मेरा दल और मेरी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता इस रैजोल्यूशन का समर्थन करता है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल धंतौड़ी :** विज साहब, 2005 में आपकी पार्टी के विधान सभा में केवल 2 सदस्य चुने गय थे और 2009 में 2 से 4 हो गये और अबकी बार आपके सदस्यों की संख्या वापस 2 हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** क्या आपके पास कोई और बात नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी केन्द्र में विपक्ष की नेता बनने के लिए तड़प रही हैं और आपके विधान सभा में 5 एम०एल०ए० भी नहीं आयेंगे। चार अर्थी उठाने के लिए और एक आगे घंटी बजाने के लिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हमारे तो आयेंगे या नहीं आयेंगे लेकिन इनके कितने एम.एल.ए. हैं, केवल 3 बचे हैं 4 भी नहीं है। (हंसी)

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** स्पीकर सर, लोकसभा में बी०जे०पी० पार्टी के केवल दो मैम्बर ही आए थे। विज साहब, आपको पता नहीं याद है या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज** : स्पीकर सर, लेकिन अब तो युग परिवर्तित हो गया। कांग्रेस जा रही है भाजपा आ रही है इसलिए अब आगे की बात करो पिछली बात क्यों करते हो। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला** : स्पीकर सर, विज साहब, इस प्रस्ताव को लेकर कितने गम्भीर हैं। He has spoken and staged a walk out. इतने गम्भीर मुद्दे पर बात चल रही है और आप बाहर क्यों जा रहे हैं। क्या आप वॉक आऊट कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज:** नहीं सर, मैं वॉक आऊट नहीं कर रहा ।

**श्री आनन्द सिंह दांगी** : स्पीकर सर, हमारे हरियाणा प्रदेश के जन-जन के लिए यह एक बहुत सीरियस मैटर है और यह कोई नया मुद्दा भी नहीं है। यह मुद्दा तो उस दिन से चलता आ रहा है, जब हरियाणा और पंजाब इक्ट्ठे होते थे। जिस हरियाणा की हम बात करने लग रहे हैं और जिस हरियाणा के पानी की हम बात करने लग रहे हैं, जिस हरियाणा के हक की हम बात करने लग रहे हैं, जब ज्वाईंट पंजाब था उस वक्त भी इस इलाके के साथ हमेशा भेदभाव होता आया है। हर चीज में भेदभाव होता आया है। अब हमें इस बात पर बड़ा फक्र है कि हरियाणा प्रदेश बनने के बाद जिस तरह हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश में अपनी अलग से पहचान बनाई है इस बात को देखते हुए हमें इस बात को सीरियसली लेने की आवश्यकता है। यहां एक किसान या खेती की बात नहीं है, पानी हर जीव के लिए जरूरी है और जहां हक की बात होती है वहां हक की लड़ाई लड़ना भी जरूरी होता है। चाहे वह कानूनी तौर पर लड़ी जाए, चाहे वह ऐजिटेशन के रूप में लड़ी जाए और ऐजिटेशन के रूप में लड़ कर जिस बात के ऊपर हम लोगों को अपने साथ जोड़कर चले हैं तो उस बात को आगे बढ़ाने की हमें भी आवश्यकता है। इस प्रदेश में एस०वाई०एल० के ऊपर बड़े-बड़े संघर्ष हुए हैं जिनको मंत्री जी ने प्वाईंट वाईज, डेट वाईज यहां सदन में प्रस्तुत किया और उसके बाद माननीय साथी रामपाल जी ने भी एक-एक प्वाईंट को टच करने की कोशिश की। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक कोई भी इस एस०वाई०एल० के पानी को लाने के लिए सीरियस नहीं हुआ। इसमें चाहे कोई मेरी बात को महसूस करे। एस०वाई०एल० के पानी के ऊपर इतने बड़े-बड़े संघर्ष किए गए हैं। इस प्रदेश की जनता ने इस बात के ऊपर अपनी जान तक गवांई है सिर फुड़वाए हैं और हाड़ तक तुड़वाए हैं ताकि किसी न किसी प्रकार से हमारा हक मिल जाए और हमारे जो खेत व पेट खाली पड़े हैं इनको भरने का काम हो जाए। सत्ता हासिल हो गई लेकिन उस बात को कतई भूल कर भी याद नहीं किया गया हम चाहे कुछ भी कहते रहें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता । लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने सिर्फ और सिर्फ एस०वाई०एल० के पानी के लिए इतना जबरदस्त संघर्ष किया। इस पानी के लिए बार-बार समझौता किया गया, कमीशन बिठाए गये जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए और इस प्रदेश की जनता के लिए, इस प्रदेश की प्यासी धरती के लिए

फैसले लिए गये। स्पीकर सर, इन कमीशनों के फैसले पर हरियाणा प्रदेश की जनता ने जबरदस्त ऐजीटेशन किये और एक बहुत बड़ी ताकत हरियाणा प्रदेश की जनता ने इन लोगों को दी है जो आज भी एक इतिहास के रूप में याद की जाती है। हरियाणा विधान सभा की 90 सीटों में से 85 सीट्स, हरियाणा की जनता ने एस०वाई०एल० के मुद्दे पर इन लोगों को जीता दी और सारी पॉवर केवल मात्र एक व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दी और उसके बाद ऊपर का भी राज सब इसी व्यक्ति को दे दिया। हरियाणा प्रदेश की जनता की आशा थी कि अब तो उनको एस०वाई०एल० कैनाल का पानी जरूर मिल जायेगा लेकिन कितने दुःख की बात है कि जिस व्यक्ति के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपनी जान कुर्बान कर दी और सारी पॉवर एक व्यक्ति के हाथ में दे दी चाहे वह प्रदेश की पॉवर हो या सैंटर की पॉवर हो, उस व्यक्ति ने प्रदेश की सत्ता में आने के बाद और हिन्दुस्तान की राजगद्दी पर सत्तासीन होने के बावजूद कभी भी एस०वाई०एल० कैनाल पर कभी एक मिनट की चर्चा तक नहीं की। अभी सदन में विपक्ष के लोगों द्वारा कहा गया है कि उन्होंने ही एस०वाई०एल० कैनाल के सिलसिले में कोर्ट में केस फाईल किया था। यदि यह सत्य है तो वे कोई भी ऐसा अखबार बता दें जिसमें यह बात छपी हो, कोई भी ऐसे रेडियो प्रोग्राम के बारे में बता दे जिसमें यह बात अनाउंस की गई हो या कोई ऐसा टेलिविजन प्रोग्राम बता दे जिससे यह बात साबित होती कि विपक्ष के लोगों द्वारा ही एस०वाई०एल० कैनाल के पानी के लिए कोर्ट में केस दायर किया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कली राम पटवारी :** स्पीकर सर, दांगी साहब गलत एलीगेशन लगाकर किसी के नाम को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? (विघ्न)

**श्री आनन्द सिंह दांगी :** कली राम जी, रूक जाओ भाई। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। मैं आपका नाम तो नहीं ले रहा जो आप इस तरह बिफर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं तो केवल एक हकीकत ब्यान कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** Please Sit down. (Noise & Interruption)

**डॉ० बिशन लाल सैनी :** स्पीकर सर, दांगी जी को याद रखना चाहिए कि वह स्वयं भी उस वक्त विपक्ष के लोगों के साथी हुआ करते थे जिनके नाम को आज यहां सदन में धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है कि अब अपने को तो पाक-साफ दिखा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति पर कीचड़ उछाल रहे हैं। दांगी साहब को अपने बारे में सदन में भी बताना चाहिए। दूसरों पर आक्षेप लगाने से पहले इनको अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री आनन्द सिंह दांगी :** स्पीकर सर, जिस तरह की बातें विपक्ष के लोग मेरे बारे में कहना चाहते हैं, मैं उन बातों को भलीभांति समझता हूं और इस सदन के माध्यम से इस बाबत बताना चाहूंगा कि आनन्द सिंह दांगी वो शख्स है जो विपक्ष के द्वारा कही गई बेबुनियादी बातों से बिल्कुल भी रूकने वाला नहीं हैं। सैनी साहब मैं क्या आपका नाम नहीं जानता? मैंने न तो आपका नाम लिया और न ही किसी अन्य का (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ० बिशन लाल सैनी :** स्पीकर सर, एक पर्टिकूलर व्यक्ति के बारे में बात करके उसके नाम को धूमिल करने का प्रयास दांगी साहब बार-बार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री आनन्द सिंह दांगी :** स्पीकर सर, मैंने सैनी साहब का नाम तो नहीं लिया है जो वे इतना उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने तो किसी का भी नाम नहीं लिया है। (शोर एवं व्यवधान) मैं तो केवल एक जनरल बात कह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) जो बात मैं कह रहा हूं वह सच्ची और हकीकत है। (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** Dangi Ji, carry on. (Noise & Interruption)

**डॉ० बिशन लाल सैनी :** स्पीकर सर, दांगी साहब भी उस वक्त उन लोगों के साथी हुआ करते थे जिनके नाम को वे आज सदन में धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री आनन्द सिंह दांगी :** स्पीकर सर, मैं भी इस बात से इंकार नहीं करता कि कहीं न कहीं तो हम लोग दोषी हैं। (शोर एवं व्यवधान) दोषी इसलिए हैं क्योंकि हमने कहीं न कहीं इन लोगों का साथ दिया था। (शोर एवं व्यवधान) मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने और डॉ० रघुबीर सिंह कादियान जी ने इन लोगों का साथ दिया था लेकिन साथ क्यों दिया इस बात की तह में भी जाना जरूरी है। स्पीकर सर, हमने हरियाणा प्रदेश की जनता के हक की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर उनका साथ दिया था। हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास था कि यदि एस०वाई०एल० कैनाल का पानी मिलेगा तो उनके खेत हरे-भरे हो जायेंगे। पानी मिलेगा तो उपज ज्यादा होगी और वे अपने बच्चों को पेट भर सकेंगे। स्पीकर सर, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता की पेट की आग की बात थी जिसके मद्देनजर हमने इन लोगों का डटकर साथ दिया था। एक बात मैं और बताना चाहता हूं वह यह है कि जब ये लोग जो आज बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, महम की सरहद पर पहुंचे उस समय इनके साथ महज 100 आदमी ही थे लेकिन महम में आने के बाद यह 100 आदमियों की छोटी सी भीड़ हजारों आदमियों के काफिले में तबदील हो गई थी। (शोर एवं व्यवधान) इसके पीछे सीधा सा कारण था और वह यह था कि हम हर हालत में हरियाणा प्रदेश के किसानों को एस०वाई०एल० कैनाल का पानी दिलवाने चाहते थे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कली राम पटवारी :** स्पीकर सर, दांगी जी बात कर रहे थे एस०वाई०एल० कैनाल के पानी की और अब ये अपनी शेखी बघारने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री आनन्द सिंह दांगी :** स्पीकर सर, मैं कोई भी बात अन्यथा नहीं कर रहा हूं बल्कि मेरी सभी बातें एस०वाई०एल० कैनाल के पानी से संबंधित है। (शोर एवं व्यवधान) इतना लंबा समय बीत गया है लेकिन आज तक इस एस०वाई०एल० कैनाल के पानी पर केवल मात्र राजनीति ही की गई है और आज इस सदन में एक बार फिर से विपक्ष के लोग इस विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर सर, मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जिस प्रकार से यह एस०वाई०एल० कैनाल पर बार-बार फैसले आते है जैसे राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ या और कोई फैसला. . . (विघ्न)

**श्री कृष्ण लाल पंवार :** स्पीकर सर,. . (विघ्न)

**श्री आनन्द सिंह दांगी :** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पंवार साहब से कहना चाहता हूं कि मेरी थोड़ी सी बात और रह गई है उसके बाद बोल लें।

**श्री कृष्ण लाल पंवार:** स्पीकर सर, बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अब दांगी जी की बात का उत्तर देना बहुत जरूरी है। स्पीकर सर, एस०वाई०एल० कैनाल के मुद्दे का हमारी पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर समर्थन किया गया था । उस समय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 31 मार्च, 1979 को एक करोड़ रुपया सरकार की तरफ से एस०वाई०एल० कैनाल बनाने के लिए पंजाब सरकार को दिया गया था ताकि एस०वाई०एल० कैनाल का काम पूरा हो सके। यह रिकॉर्ड की बात है। (विघ्न)

**Mr. Speaker :** Yes Dangi ji, Please speak. (Noise & Interruption)

**श्री नरेश कुमार बादली** : स्पीकर सर, यह विपक्ष के लोग लेना जानते हैं, इन लोगों ने देना कब से सीख लिया? (विघ्न)

**Mr. Speaker :** Please keep silent.

**श्री आनन्द सिंह दांगी** : स्पीकर सर, यह सारी बातें जो मैं हाऊस में ब्यान कर रहा हूं यह सभी बातें पंवार जी द्वारा बताई गई तारीख से पहले की बातें हैं। मेरे द्वारा कही गई बातें वर्ष 1978-79 की बातें हैं। यदि काम होता तो मैं बड़े फक्र से उसका बयान करता लेकिन मैं तो केवल सच्चाई बयान करता हूं और सच्चाई यह है कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस कैनाल का शिलान्यास किया था उसके बाद ही इस कैनाल पर काम किये जा सके थे। (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : स्पीकर सर, इस मामले में मैं भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। 10-11-1976 को हरियाणा ने पहली दफा एस०वाई०एल० कैनाल के लिए 1 करोड़ रुपया दिया था। यह कांग्रेस की सरकार के समय में दिया गया पैसा है। उसके बाद जो पैसा दिया गया वह दूसरी बार दिया गया पैसा है। पहली बार तो वर्ष 1976 में पैसा दिया गया था। इसके बाद के दिये गये पैसे को इन-कांटीन्यूएशन में दिया गया पैसा ही माना जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री आनन्द सिंह दांगी** : स्पीकर सर, मैं तो इस बात पर भी नहीं जाता कि किसने कितना रुपया एस०वाई०एल० कैनाल के लिए दिया, किसने कितना काम करवाया या किसने कब और कितनी रूचि लेकर एजीटेशन किया था। असल में जो प्रश्न उभर कर आता है वह यह है कि हमने इतने वर्षों बाद इस मामले में हासिल क्या किया है? जहां से हम चले थे इतने लंबा समय गुजर जाने के बाद भी आज हरियाणा प्रदेश की जनता वहीं खड़ी है जहां से शुरूआत की थी। यह जनता एस०वाई०एल० कैनाल की तरफ आखें फाड़-फाड़कर देख रही है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, जैसाकि आजकल का मौसम चल रहा है, इस तरह के मौसम में हर किसी को पानी की एक-एक बूंद की याद आती है। पानी की जब एक-एक बूंद याद आती है तो एस०वाई०एल० कैनाल के पानी की तरफ नजर जाना स्वाभाविक ही है। यदि हम असल में देखें तो आज तक एस०वाई०एल० कैनाल के पानी के लिए हम क्या कर पाये हैं? कुछ नहीं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने एस०वाई०एल० कैनाल के पानी के लिए अपनी जान तक गवां दी, अपने प्राण न्यौच्छावर कर दिये, उसके लिए हमारे जैसे लोगों ने अर्थात् राजनीतिक लोगों ने जबकि सब कुछ करने की क्षमता यहीं से शुरू होती है, आज तक क्या किया है। सच कहूं तो केवल और केवल मात्र राजनीति ही इस मामले पर की गई है। अगर सही मायने में हमारे द्वारा कुछ करने की बात है तो वह यह है कि हमें पानी कैसे मिलेगा, इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है। हम इस लाईन पर चलकर ही प्रदेश की जनता के लिए इस दिशा में कुछ कर-गुजर सकते हैं। हम सारी

[श्री आनंद सिंह दांगी]

बातें मजाक में ले लेते हैं। मंत्री जी ने कितना सीरियस डिसकशन यहां पर प्रस्तुत किया है लेकिन बावजूद इसके कोई इधर से बोलता है कोई उधर से बोलता है उस पर नुक्ताचीनी करते हैं और कटाक्ष करते हैं। जो असल बात है उस पर आते नहीं बल्कि यह कहते हैं कि आपकी चार सीट आई है आपकी तीन सीट आई हैं। मैं यह स्पष्ट कहता हूं कि हमने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का समुचित विकास किया है, आने वाले विधान सभा चुनाव के तीन महीने बाद तीसरी बार भी कांग्रेस की वही सीट और वही आदमी यहां पर बैठे होंगे (इस समय मेजे थपथपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, मैं गारन्टी के साथ कहता हूं कि जनता का फैसला यही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, क्या श्री आनन्द सिंह दांगी जी राजनीति नहीं कर रहे हैं?

**श्री आनन्द सिंह दांगी** : अध्यक्ष महोदय, जो मुदा आज इस महान सदन में मंत्री जी ने एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया है। हरियाणा की जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनकर यहां भेज रखे हैं, जिनकी जिम्मेदारी जनता के हित में और जनता के हकों को लेकर बात करने की बनती है। आप चाहे खुले मैदान में कितनी ही भाषण बाजी कर लें, कुछ भी चाहे बढ़ा चढ़ाकर बात कर लें। जिस प्रकार से अभी हाल में पार्लियामैंट का चुनाव हुआ है, उसमें पता नहीं कितनी ही अनाप-शनाप घोषणाएं कर दी गई। जैसे एक बार चाबी मरोड़ दी कि सब कुछ प्राइज डाउन हो जायेगा, सब कुछ सस्ता हो जायेगा, सब कुछ फ्री हो जायेगा, यह हो जायेगा वह हो जायेगा वास्तव में हमें यहां पर बैठकर सीरियस होकर बात करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को सीरियसली लेकर एकजुट होकर के और एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर बातें तो बहुत हो गई और हमेशा से होती आई है परन्तु यह बड़ा सीरियस मामला है मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात के लिए कोई न कोई समाधान करना चाहिए क्योंकि हाथ पसारकर के हाथ फैलाकर के हक कोई नहीं देता। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि जब बच्चा रोता है माँ तब दूध पिलाती है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा हक है और यह हक कोई ख्वामखाह का नहीं है। बहुत से कमीशन बैठे, आयोग बैठे, उन्होंने फैसले लिये, उन्होंने पानी का बंटवारा किया। यह हरियाणा प्रदेश का हक है और हमें आज तक वह हक नहीं मिला? हांसी-बुटाना लिंक नहर बनाने की बात आई, नहर बना दी गई। किसने रोकी, कौन उसमें अड़चन डाल रहा है? अध्यक्ष महोदय, वे इसी प्रदेश के लोग हैं जो यह कहते हैं कि यहां से एक बूंद भी पानी हांसी-बुटाना नहर लिंक में नहीं जाने देंगे, मैं पूछना चाहता हूं? क्या यही एकजुटता है।

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी श्री दांगी साहब कह रहे हैं कि हांसी-बुटाना नहर के ऊपर यहीं के लोगों ने रोक लगवाई। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने ही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि एस०वाई०एल० और हांसी-बुटाना नहर पर एक प्रस्ताव लाओ और यह प्रस्ताव सभी की सर्वसम्मति से विधान सभा में पास भी हुआ था। फिर ये बिना मतलब का ईल्जाम क्यों लगा रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अरोड़ा जी, आप पर तो किसी ने ईल्जाम नहीं लगाया है।

**श्री आनन्द सिंह दांगी** : अध्यक्ष महोदय, यह बात अखबारों में भी आ चुकी है और प्रैस कांफ्रैन्स में भी यह बात बोली गई है। (शोर एवं व्यवधान) यह मैंने भी कहा है कि सब लोग बाहर जाकर कुछ बात करते हैं और विधान सभा में बैठकर कुछ बात करते हैं। बाहर खुला मैदान पड़ा है, किसी भी तरह की भाषणबाजी कर सकते हैं, उसके लिए किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है परन्तु जब हाऊस में भाषण देते हैं, तब जिम्मेदारी की बात होती है। यहां पर एकजुटता की आवश्यकता है, एक मन बनाने की आवश्यकता है। बाहर खुला मैदान पड़ा है, पूरे हरियाणा प्रदेश में राजनीति करते रहो। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब "चोर की दाढ़ी में तिनका" अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि यह बहुत ही सीरियस मैटर है और इस बारे में जो प्रस्ताव मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका पुरजोर स्वागत करता हूं, और साथ में इसका समर्थन भी करता हूं और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हर प्रकार से एकजुट होकर एस०वाई०एल० के मामले को सफलता मिलती हो तो इसके लिए हम कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा** : स्पीकर सर, अभी दांगी साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनायेगी। इसी तरह कांग्रेस के सदस्यों से एक प्रस्ताव और पास करवा दें कि माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री आनन्द सिंह दांगी** : स्पीकर सर, टिकटों की चिन्ता इनेलो पार्टी के सदस्यों को क्यों हो रही है? (शोर एवं व्यवधान) चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश के हित में जो कार्य किये हैं उसके लिए हम सभी सदस्य समर्पित हैं।

**उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला)** : स्पीकर सर, एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है। आदरणीय अरोड़ा जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस गम्भीर विषय को मजाक में न उड़ाया जाये और न ही आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

**प्रो० सम्पत सिंह** : स्पीकर सर, आज सदन में माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एक सरकारी रेजोल्यूशन लेकर आये हैं। मैं इस रैजोलूशन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस रैजोलूशन पर केन्द्र सरकार अमल कर ले तो हरियाणा के अन्दर यह एक लैंड मार्क फैसला बन जायेगा। इस रैजोल्यूशन को पास करने के लिए कोई रूकावट नहीं है। पूरी मेजोरिटी के साथ हरियाणा के प्रदेशवासी इस रैजोलूशन को पास करवाने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं जो बहुत अच्छी बात है। हरियाणा के प्रदेशवासी इसी आशा में बैठे हैं कि अच्छे दिन आयेंगे। स्पीकर सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट आने के बाद शायद हरियाणा के लोगों के लिए अच्छे दिन आ भी जायें। सर, एस०वाई०एल० नहर मुद्दे पर बहुत राजनीति होती रही है। एस०वाई०एल० नहर का मुद्दा शुरू हुए काफी समय बीत गया है। हर समय यही मुद्दा हमारे दिमाग मे रहता है। इसी का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मेरे हल्के के किसी गांव की एक गली में 15-20 सालों से पानी खड़ा रहने की वजह से आपस में पड़ोसियों का झगड़ा रहता था। गांव की जनता कहती है कि चौधरी साहब हमारा झगड़ा सुलझाओ या न सुलझाओ लेकिन एस०वाई०एल० नहर का मामला जरूर सुलझा दो। इसी प्रकार से स्पीकर सर, हर मुद्दा एस०वाईएल० नहर के साथ जोड़ा जाता है। इसी तरह से यह एक ऐसा इश्यू बन गया था जिसे हरियाणा प्रदेशवासियों ने इश्यू मानना ही छोड़ दिया था। हालांकि यह नहर हरियाणा प्रदेशवासियों के लिए जीवन रेखा है लेकिन उनको

[प्रो० सम्पत सिंह]

नहीं लगता कि यह एस०वाई०एल० नहर बनेगी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, चण्डीगढ़ हरियाणा के अधीन नहीं है। इस तरह से चण्डीगढ़, दिल्ली आदि भारत सरकार के अधीन आते हैं। सर, मैं अगली बात यह कहना चाहता हूं कि जो समझौता सबसे पहले पं० जवाहर लाल नेहरू और अयूब खां के बीच में हुआ था वह संधि ऐतिहासिक थी। यदि हम इतिहास की बैकग्राउंड में जाकर देखें तो यह संधि क्या थी और किसके लिए थी। मैं सोच रहा हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस प्रकार से एक चीज छोड़ गये हैं मैं उस चीज को शामिल करना चाहता हूं। इस संधि के अनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तान को इस पानी के बदले 100 करोड़ रुपये दिये थे।

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :** अध्यक्ष महोदय, यह रुपया पानी के बदले में नहीं दिया गया था। संधि के अनुसार भारत सरकार ने सतलुज नदी का पानी भाखड़ा बांध के द्वारा पाकिस्तान के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो नहरें बनाई गई थी उसके लिए यह रुपये दिये गये थे। वेस्टर्न नदियों का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया था और ईस्टर्न नदियों का पानी भारत के हिस्से में आया था। सतलुज नदी इस्टर्न में पड़ती है जिस पर भाखड़ा डैम बना था। रावी ब्यास का पानी पंडोह डैम बनने के बाद आया था। सतलुज नदी का पानी भाखड़ा बांध के द्वारा पाकिस्तान में जाना था। उस इन्फ्रास्ट्रक्चर से पाकिस्तान के क्षेत्र में जो नहरें बन गई थी उसके लिए भारत सरकार ने पानी के लिए पाकिस्तान को 100-110 करोड़ रुपये दिये थे।

16.00 बजे **प्रो० सम्पत सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उस समय पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमैंट हुआ था उसमें यह लिखा गया था कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो आज प्रजेंट पंजाब है उसके ऐरिड जॉन के लिए पानी दिया जायेगा। इसका मतलब कि दि दैन पंजाब यानी आज का हरियाणा के लिए यह पानी दिया गया था। इसका मतलब तो यह है कि यह सारा का सारा हरियाणा के लिए होना था। क्योंकि पंजाब बड़ा भाई है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, पंजाब के ऐरीड जॉन के लिए नहीं बल्कि इस बारे में जब यह पूछा गया तब यह बताया गया कि राजस्थान जो उस समय पंजाब का पार्ट नहीं था इसलिए राजस्थान के ऐरीड जॉन के लिए यह पानी दिया गया था। तभी राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर बनाई गई है। यह उसी फैसले का पार्ट था।

**प्रो० सम्पत सिंह :** स्पीकर सर, पंजाब के लिए जो पानी मिलना था वह पंजाब का जो ऐरीड जॉन था उसके लिए वह पानी मिलना था। राजस्थान की अलग बात थी। उस समय के पंजाब के ऐरीड जॉन में आज का जो हरियाणा है वह एरिया आता था। क्योंकि ज्यादातर समय में पंजाब में विपक्ष की सत्ता रही इसलिए वे अपने हिस्से का पानी बढ़ाते रहे और हरियाणा के हिस्से का पानी घटाते रहे। जैसा श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि पहले हरियाणा के हिस्से 4.8 एम०ए०एफ० पानी दिया गया था। उस समय की कमेटी के समय भी और वर्ष 1965 में जब हरियाणा की कमेटी बनी थी तब भी 4.8 एम०ए०एफ० पानी दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे उसको घटाकर 3.83 एम०ए०एफ० कर दिया गया। फिर भी हरियाणा इस मामले में सब्र करता गया कि किसी भी तरीके से एस०वाई०एल० नहर का पानी हरियाणा में आ जाए। हमारा मकसद सिर्फ यही था क्योंकि एस०वाई०एल नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। हरियाणा का हर आदमी यह चाहता है कि मेरे खेत में पानी आये और पीने के लिए पानी आये। सर, आपको

पता है कि पहले जोत की जमीन कितनी थी जो कमाण्ड एरिया के नीचे आती थी लेकिन आज जोत कितनी रह गई है।

**श्री कृष्ण लाल पंवार** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रोफैसर साहब ने कहा कि एस०वाई०एल० नहर के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें हरियाणा को 3.83 एम०ए०एफ० पानी दिया गया था। स्पीकर सर, यह बात गलत है। स्पीकर सर, केन्द्र की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से हरियाणा के हिस्से का पानी 3.78 एम०ए०एफ० था लेकिन 25 मार्च, 1976 को केन्द्र की सरकार की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से 3.5 एम०ए०एफ० पानी हरियाणा के हिस्से के लिए दिया गया है। जबकि कमेटी ने 3.78 एम०ए०एफ० के बारे में सिफारिश की थी। इस प्रकार से हरियाणा के साथ अन्याय हुआ है।

**प्रो० सम्पत सिंह** : स्पीकर सर, कृष्णलाल जी पुरानी बात कर रहे हैं ये इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को पढ़ लें। मैं इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं। इराडी ट्रिब्यूनल ने जो इन्ट्रीम रिपोर्ट दी है वह 3.83 एम०ए०एफ० के बारे में दी है। सर, इसके लिए सबसे बड़ी मौज किसकी रही वह इराडी की रही क्योंकि इराडी ट्रिब्यूनल वर्ष 1985 में बनाया गया था और आज तक चल रहा है इतना लम्बा समय मैं समझता हूं कि किसी कमीशन का नहीं रहा होगा। 29 साल हो गये इतने समय के लिए तो इराडी साहब ने सर्विस भी नहीं की होगी जितने समय तक रिटायरमैंट के बाद इराडी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में उनको जॉब मिल गई है। लेकिन हरियाणा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से पंजाब ने बार-बार हमारे साथ जो ज्यादती की है वह आपके सामने है। क्योंकि पंजाब सरकार बार-बार इस मामले में अड़चन डालती रही है। कभी इस मामले को रद्द करते रहे या फिर कुछ और करते रहे। आज तमिलनाडु और केरल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले के बहाने हरियाणा को एक अच्छा मौका मिल गया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि क्योंकि यह इंटर स्टेट एग्रीमेंट का मामला है इसलिए ऐसे एग्रीमैंट में एक पार्टी उस एग्रीमेंट को एब्रोगेट नहीं कर सकती। एक पार्टी उस एग्रीमेंट को टर्मीनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट करने के लिए कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकती। क्योंकि वह एग्रीमेंट मल्टी पार्टी एग्रीमेंट है। इसमें केन्द्र भी पार्टी है, पंजाब भी पार्टी है और हरियाणा भी पार्टी है। अगर दो पार्टियों का एग्रीमेंट है तो उन में से एक पार्टी उस एग्रीमेंट को रद्द नहीं कर सकती। इसलिए आज जो रेजोल्यूशन मंत्री जी सदन में लाये है, इसके लिए मैं मानता हूं कि इससे बढ़िया मौका सदन के लिए कोई हो नहीं सकता। इस मामले में कोई राजनैतिक बातें न करके इस प्रस्ताव को यूनानीमसली पास करके हम भारत सरकार को भेजें। इस प्रस्ताव को मात्र भारत सरकार के पास भेजने से बात नहीं बनेगी बल्कि इसके लिए हमें भारत सरकार पर दबाव भी बनाना पड़ेगा। मेरी इसमें एक पर्सनल राय है और जरूरी नहीं कि मेरी राय पार्टी के साथ मेल खाये। लेकिन इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में अगर हम प्रधान मंत्री जी से मिलकर भी दबाव डालते हैं कि आप आम लोगों के लिए अच्छे दिनों की बात करते हैं लेकिन हरियाणा के लोगों के लिए तो अच्छे दिन तभी आयेंगे जब हरियाणा में एस०वाई०एल० नहर बनायेंगे। जैसा कि विज साहब ने कहा कि अगर सारी पार्टियां मिलकर हम प्रधानमंत्री जी से खुद मिले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे प्रधानमंत्री जी से जरूर इस बारे में मिलें। जब प्रधानमंत्री जी से सारी पार्टियां मिलकर बात करेंगी तो मैं मानता हूं कि उन पर एक प्रकार का दबाव बनेगा कि स्टेट की सभी

[प्रो० सम्पत सिंह]

पार्टियां इकट्ठी होकर आई हैं। सर, आपको पता है कि वर्ष 2004 में जब पंजाब सरकार ने इस वाटर एग्रीमेंट को टर्मीनेट किया था उस समय पंजाब की सारी पार्टियां जिनमें अकाली दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मिली थी। श्री रणदीप सिंह जी ने इस प्रस्ताव में जो विधायिका का शब्द डाला है वह बहुत अच्छा किया है। इसमें सरकारों का सवाल नहीं है बल्कि आज विधायिका का प्रश्न है। अगर आज हरियाणा की विधायिका माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में प्रधानमंत्री से मिलने जाती हैं तो केन्द्र की सरकार को भी यह लगेगा कि हरियाणा विधायिका की सभी पार्टीज आयी हैं। क्योंकि विधायिका में पंजाब की सारी पार्टियां एक मंच पर आ गई थी और पंजाब का हर आदमी वही भाषा बोलता था कि एस०वाई०एल० नहीं बननी चाहिए। इसी प्रकार से हरियाणा का आदमी भी वही भाषा बोलता है कि एस०वाई०एल० बननी चाहिए, क्योंकि हरियाणा को भी इसकी जरूरत है। हालांकि पंजाब ने इसका राजनीतिकरण कर लिया और राजनीतिकरण करते हुए इसमें बहुत सी चीजें जोड़ ली। उन्होंने कहीं धार्मिक चीजें जोड़ ली और कहीं रीजनेलिज्म जोड़ लिया और कहीं रायपेरियन शब्द जोड़ लिया। आज विज साहब कह रहे हैं कि सभी नदियों को जोड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार कटिबद्ध है। पहली बात तो यह कटिबद्धता उस दिन होनी चाहिए थी जिस दिन सभी स्टेट्स की मीटिंग बुलाकर वे नैशनल वाटर पौलिसी बना रहे थे, I have contributed a lot in this policy लेकिन आखिर में जाकर वह पौलिसी राज्य सभा में अटक गई क्योंकि डिफरैंट स्टेट की डिफरैंट पार्टीज का डिफरैंस ऑफ ओपीनियन है। कल को रायपेरियन स्टेट का सवाल उठा देंगे तो इंटरस्टेट कहां रह जाएगा। किसी स्टेट के अंदर यदि वह स्टेट अपना कोई आरबिट्रेरी फैसला कर दे तो जब तक स्टेट नहीं चाहती, स्टेट की टैरिटरी नहीं चाहती तब तक गवर्नमैंट ऑफ इंडिया वहां काम नहीं कर सकती। केवल ऐसे नारे लगाते रहना कि सारे देश की नदियों को हम एक करना चाहते हैं ताकि उसमें अकाल भी न पड़े और सूखा भी न पड़े और पानी की कमी भी न रहे और बाढ़ भी न आए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। यह एक सोच है लेकिन इस सोच को तब माना जाएगा जब बजट बनने से पहले प्रधानमंत्री ने सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री की मीटिंग बुलाई होती और उनसे इस मामले में हां भरवाई होती तब तो मान लेते कि जो इंटरस्टेट नदियों को एक करने की बात कर रहे हैं उससे फायदा है लेकिन यदि एक स्टेट भी कहीं अड़ जाती है तो वह काम वहीं रूक जाएगा और ये नदियां आपस में नहीं जुड़ पाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी देर नहीं हुई है यदि सरकार की नीयत इन नदियों को जोड़ने की है तो बजट पास करने से पहले प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं। यदि केवल अच्छे दिन का नारा ही देना है तो इससे बात नहीं बनती है। यह काम तो हमें करना ही है और इसके साथ-साथ अगर मुख्यमंत्री महोदय उचित समझें तो सरकार की तरफ से एक रैजोल्यूशन केन्द्र सरकार को और जाना चाहिए। आज जिस तरह से सूखा पड़ा हुआ है, जिस तरह से किसान की बुरी हालत है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोग नहरें काट रहे हैं, माइनर काट रहे हैं, खालें काट रहे हैं और आपस में जैसे वार सा हो रहा हो। सैंट्रल गवर्नमैंट को एक रैजोल्यूशन भेजा जाए कि एक कंटीजैंसी फण्ड गवर्नमैंट ऑफ इंडिया बनाए जिसके तहत किसानों की मदद की जाए। चाहे तो जितना हमारा बकाया लोन है उसको माफ किया जाए, चाहे उस लोन का इंट्रस्ट माफ किया जाए, चाहे आगे इंट्रस्ट फ्री लोन दिया जाए, चाहे फर्टीलाइजर्स के लिए सब्सिडी ज्यादा की जाए और चाहे डीजल पर सब्सिडी

बढ़ा दी जाए। पानी और बिजली के लिए गवर्नमैंट ऑफ इंडिया हमारी स्टेट की मदद करे। मोस्ट प्रोडयूसिंग जो स्टेट है वह हरियाणा स्टेट है। आज हम काम अपने लिए नहीं करते बल्कि हमारा काम देश के लिए है। क्या लोगों को याद नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अनाज की कमी की वजह से एक दिन का व्रत रखवाया था। ऐसे भी दिन थे कि बाहर से हम अनाज इम्पोर्ट किया करते थे। हिन्दुस्तान के लिए कहा जाता था कि हिन्दुस्तान कटोरा लेकर बाहर जाता है। आज हिन्दुस्तानी किसानों ने शान बनाई है। अगर अच्छे दिन की बात की जाती है तो अच्छे दिन तब आएंगे जब किसानों को आप उठाएंगे और किसानों को उठाएंगे तो देश अपने आप उठ जाएगा। आज किसानी जरूरी है। बाकी समस्याएं अपने आप सोल्व हो जाएंगी। मैं यह कहते हुए इस रैजोल्यूशन का तहेदिल से समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को मिलने में कोई बुराई नहीं है। सभी पार्टीज के डैलीगेशन को मुख्यमंत्री की लीडरशिप में प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए।

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी)** : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जी०एस०टी० को रोल आइट करने के लिए एक इम्पॉवर्ड कमेटी बनी हुई which is of all the states, इस कमेटी की मीटिंग में सारी स्टेट्स आकर अपने मुद्दे रखती हैं। इसी तरह अगर नदियों को हम आपस में जोड़ना चाहते हैं तो it has to be done in consorted manner खाली एलान कर दिया जाए और कह दिया कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे और उसको मुद्दा बनाकर वोट बटोर लिए जाएं जोकि आजकल हो रहा है तो वह ठीक नहीं है।

**मुख्य संसदीय सचिव (राव दान सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी ने सदन में एस०वाई०एल० पर जो रैजोल्यूशन प्रस्तुत किया है मैं उसके अनुमोदन के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत से साथियों ने इस गरिमामय सदन में इस विषय पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। एस०वाई०एल० एक ज्वलंत और संवदेनशील विषय है जिसे जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जब से हरियाणा एग्जिस्टैंस में आया है तब से इस विषय पर चर्चा बराबर जारी है। अनेकों सरकारें आई और चली गई, नेता आए और बदल गए लेकिन यह समस्या जहां से चली थी आज भी वहीं खड़ी हुई है। उसके पीछे कभी दलगत राजनीति और कभी आतंकवाद के अभिशाप के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त कभी राजनेताओं की मनोदशा भी ठीक नहीं रही जिसके कारण आज हमें एस०वाई०एल० को लेकर इतना संघर्ष करना पड़ रहा है लेकिन आज माननीय न्यायालय के द्वारा एक फैसला दिया गया है जिससे एक आशा की किरण हरियाणा प्रदेश के किसानों को नजर आने लगी है। अध्यक्ष महोदय, जहां आज सूखे के कारण पूरा प्रदेश एक-एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा है वहीं सबसे ज्यादा पानी की ज्वलंत समस्या दक्षिणी हरियाणा के लोगों के लिए बनी हुई है। वहां की जनता को अनेकों नेताओं ने विश्वास दिलाया और आश्वासन दिया कि एस०वाई०एल० का समाधान होगा और दक्षिण हरियाणा की भूमि के लिए भी एस०वाई०एल० का पानी अवश्य आयेगा। अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों ने तो सोच लिया था कि पानी तो आयेगा लेकिन वह उनके खेतों में नहीं बल्कि उनकी आंखों में आयेगा। आज न्यायालय ने जो फैसला दिया है और सदन में जिस तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं यदि सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हकीकत में इस समस्या का समाधान ढूंढ़ना चाहती हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी पार्टियों के नेताओं से अनुरोध करता

[राव दान सिंह]

हूं कि एक प्रस्ताव यूनानीमसली पास करना चाहिए, चाहे वह प्रधानमंत्री जी से मिलने की बात हो या दूसरे नेताओं से मिलने की बात हो। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जिन लोगों को एस०वाई०एल० के पानी से वंचित रखा गया है उनको हांसी बुटाना लिंक नहर से पानी दिया जाये लेकिन इन मुद्दों का राजनीतिकरण होने की वजह से न एस०वाई०एल० का पानी आया और न हांसी बुटाना लिंक नहर पूरी हो पाई जिसके कारण आज भी यह समस्या as it is है। मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाये यही प्रदेश की जनता के हक में होगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इस विषय का पुन: अनुमोदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Speaker Sir, I have a suggestion also. My Learned friend Shri Anil Vij was speaking on the resolution. Now he is not present in the House. I think he is holding a press conference. He is pre-occupied there. While speaking on the resolution he gave a suggestion and the Hon'ble Chief Minister, very gladly, with open heart and an open-mind has accepted it. Shri Arora Sahib also said that in the interest of the State, everybody, I think, irrespective of colour of the party or ideology is agreed and willing to walk an extra miles together, hand in hand to ensure that water of SYL flows for the people of Haryana and SYL canal construction is to be taken over by Government of India. I also suggest Sir, with all humanity at my command, for consideration of this House that in the leadership of the Leader of the House, Leaders of all the political parties or their Deputy Leaders should carry a delegation to the Prime Minister of India to persuade Government of India to build SYL canal.

Speaker Sir, I further propose that in the leadership of Leader of the House comprising of Hon'ble Speaker of the House and Leaders or Deputy Leaders of the respective political parties in the House and of course representative of the independent member, a delegation may be constituted by the Hon'ble Speaker in consultation with the Leader of the House. The Hon'ble Speaker should also be part of that delegation as a witness, as a repository and as a custodian of this House. Such delegation may meet the Prime Minister of India as also the Minister concerned to persuade the Government of India to take up forthwith the construction of SYL canal. I think even the ruling party at the Centre whose representative is also here, Shri Anil Vij, has also given such a suggestion.

**Mr. Speaker :** Is it the sense of the House that in the interest of the farmers and people of Haryana, a delegation may be consituted as suggested by some members and proposed by the Parliamentary Affairs Minister to persuade the Government of India to take up the construction of SYL Canal?

**Voices :** Yes, Sir.

**Mr. Speaker :** A delegation, as proposed, will be constituted. As a custodian of the House, I will also be a part of that delegation.

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है--

"एस.वाई.एल. कैनाल हरियाणा के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। शुष्क भूमि होने के बावजूद हरियाणा के मेहनती किसान राष्ट्रीय अनाज भण्डार में एक बड़ा भाग का योगदान देते हैं, वे पिछले पांच दशकों से यह आस लगाये बैठे हैं कि एस.वाई.एल. के नीले पानी से उनके खेतों की सिंचाई भी होगी।

सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) कैनाल के माध्यम से हरियाणा राज्य को ऐतिहासिक दृष्टि से, कानूनी तौर पर और संवैधानिक रूप से पानी के हिस्से का अधिकार है जैसा कि निम्नलिखित घटनाक्रम से सिद्ध होता है :- अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने लिस्ट आऊट करने का पूरा प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमारा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है।

I. वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खां के बीच हस्ताक्षर हुए, फलस्वरूप भारत (संयुक्त पंजाब सहित) को पंजाब की नदियों का अधिकार मिला। विभाजन के बाद पंजाब क्षेत्र के हरियाणा के लोगों की मांग पर वर्तमान हरियाणा राज्य के क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करवाने के लिए संयुक्त पंजाब सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा कई कमेटियां गठित की गई।

इन सभी कमेटियों ने हरियाणा क्षेत्र के लिए पंजाब की नदियों में से पानी का समुचित हिस्सा देने की सिफारिश की। कमेटियों का विवरण इस प्रकार है। 12.1.1965 को पंजाब में भूमि और जल उपयोग पर खाद्य समिति और 20.1.1965 को हरियाणा विकास कमेटी गठित की गई। इन दोनों कमेटियों ने संयुक्त पंजाब के हरियाणा क्षेत्र के लिए 4.56 मिलियन एकड़ फुट पानी की सिफारिश की।

II. हरियाणा का गठन पहली नवम्बर, 1966 को हुआ। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 में उत्तराधिकारी राज्यों के अधिकारों जिनमें भाखड़ा, रावी और ब्यास नदियों के पानी के हिस्से का विशेष प्रावधान है, निर्णय किया गया। विवाद न सुलझने पर हरियाणा ने 1966 के कानून की धारा 78 के अंतर्गत पानी के मामले में 21 अक्तूबर, 1969 को भारत सरकार से आग्रह किया। वर्ष 1966 के इस कानून की धारा 78 के अनुसरण में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जल के आबंटन का निर्णय लेने की पहल की और 24 मार्च, 1976 को आदेश जारी किये गये और इसे "इन्दिरा गांधी अवार्ड" कहा गया। इसके मुताबिक पंजाब और हरियाणा दोनों को 3.5 मिलियन एकड़ फुट का पानी का बराबर-बराबर हिस्सा दिया गया और यह भी निर्देश दिये गये कि हरियाणा के हिस्से का पानी ले जाने के लिए पंजाब के क्षेत्र में एक नहर बनाई जाए।

III. हरियाणा ने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए पंजाब को 10.11.1976 को एक करोड़ रुपये और 31 मार्च, 1979 को एक करोड़ रुपये और दिये। उस समय पंजाब में अकाली दल सरकार के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल थे।

IV. भारत सरकार के इस 24.3.1976 के आदेश के अनुसरण में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए धनराशि लेने के उपरांत पंजाब राज्य दोबारा पीछे हट गया। पंजाब क्षेत्र में दो

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

[श्री अध्यक्ष]

वर्ष की अवधि में एस.वाई.एल. कैनाल के निर्माण को पूरा करने के लिए हरियाणा ने भारत सरकार के 24 मार्च, 1976 के इस आदेश को क्रियान्वित करवाने के लिए 30 अप्रैल, 1979 को सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा नं. 1, ऑफ 1979 दायर किया। दूसरी तरफ पंजाब राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में 11 जुलाई, 1979 को जवाबी मुकदमा नं. 2, ऑफ 1979 दायर किया, जिसमें भारत सरकार के 24 मार्च, 1976 के आदेशों की वैधता तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 को ही चुनौती दी गई।

V. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के हस्तक्षेप से यह विवादास्पद मुद्दा दोबारा सुलझाया गया। दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 को हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत और राजस्थान प्रांत के बीच एक त्रि-पक्षीय समझौता हुआ। इस त्रि-पक्षीय लिखित समझौते के तहत रावी-ब्यास नदियों के कुल फालतू पानी में से हरियाणा के 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी, जबकि पंजाब प्रांत को और राजस्थान प्रांत को क्रमशः 4.22 मिलियन एकड़ पानी और 8.60 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया गया। इस त्रि-पक्षीय समझौते के तहत एस.वाई.एल. नदी का निर्माण कार्य दो वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना था। इस समझौते के आधार पर पंजाब और हरियाणा दोनों प्रांतों ने 12 फरवरी, 1982 को भारत की सुप्रीम कोर्ट से उपरोक्त दोनों मुकदमें वापिस ले लिये।

VI. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बार फिर पहल की और 8 अप्रैल, 1982 को पंजाब क्षेत्र के कपूरी गाँव में नहर की खुदाई का शुभारंभ किया।

VII. पंजाब क्षेत्र में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का कार्य 1982 के बाद शुरू हुआ और इसका 95 प्रतिशत कार्य जून, 1987 तक अर्थात कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ।

VIII. इसके बाद पंजाब में उग्रवाद का दौर रहा। पंजाब की नदियों में "राइपेरियन सिद्धांत" पर हरियाणा के हिस्से को पंजाब ने एक बार फिर चुनौती दी।

तत्कालीन पंधान मंत्री श्री राजीव गाँधी ने अंतर्राज्जीय जल विवाद और दूसरे अंतर्राज्जीय मुद्दों को सुलझाने की एक बार फिर पहल की। दिनांक 24.7.1985 को तत्कालीन पधान मंत्री श्री राजीव गांधी और शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे 'राजीव लौंगोवाल एकॉर्ड' के नाम से जाना जाता है। अकाली दल की तरफ से पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला भी एक पक्ष थे। भारत सरकार पानी के हिस्से के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा राज्य के दावों के निर्णय के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए सहमत हो गई। तद्नुसार न्यायाधीश बी.बी.इराडी की अध्यक्षता में एक ज्यूडिशियल ट्रिब्यूनल गठित किया गया। इस ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा का दौरा किया, सभी दस्तावेज हासिल किये और विस्तार से दलीलें सुनी।

दिनांक 30.1.1987 को इराडी ट्रिब्यूनल ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया "राइपेरयिन सिद्धांत" के आधार पर राजस्थान व दिल्ली के अलावा हरियाणा को 3.83 मिलियत एकड़ फीट तथा पंजाब को 5.00 मिलियन एकड़ फीट पानी आबंटित किया। हालांकि तत्कालीन हरियाणा सरकार ने एस.वाई.एल. नहर का पानी लेने की हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगभग पांच साल तक की अवधि में कोई कदम नहीं उठाया।

IX. वर्ष 1991 में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने नहर को पूरा करवाने के लिए पंजाब को निर्देश देने के लिए एक मुकदमा दायर किया। दिनांक 6.9.1996 को तत्कालीन हरियाणा सरकार ने पूर्ववर्ती मुकदमें को वापिस लेने के बाद इसी तरह की राहत के लिए एक संशोधित मुकदमा दायर किया। दिनांक 15.1.2002 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एक वर्ष के अंदर-अंदर एस.वाई.एल. नहर को पूरा करने के निर्देश देते हुए हरियाणा सरकार के मुकदमें को अनुमति दी।

X. पंजाब सरकार के विफल रहने पर, नहर को पूरा करवाने हेतु पंजाब को निर्देश देने के लिए एक कार्यान्वयन आवेदन यानी एक्जीक्यूटरी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सराकर ने दायर की।

पंजाब ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री दिनांक 15.1.2002 तथा बाध्यकारी निर्णय के आलोक में एस.वाई.एल. के निर्माण की बाध्यता समाप्त करने तथा स्वयं को इससे मुक्त करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 13.1.2003 को मुकदमा 2003 क्रमांक 1 दायर किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 4.6.2004 के तहत पंजाब सरकार के मुकदमें को रद्द कर दिया तथा भारतीय संघ को पंजाब से नहर का नियंत्रण लेने और इसका निर्माण करवाने के निर्देश दिये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट तौर पर जो कहा, वह निम्नानुसार है :-

The constitution provides for an ordered polity within this country to promote integrity of the country. When disputes arise between States there are usually political underpinnings. The resolution of such a dispute in favour of on party will invariably have a political impact. Article 132 of the Constitution has therefore given this Court the exclusive jurisdiction to decide such a dispute strictly on legal considerations and in keeping with provisions of the Constitution. To resist the execution of the degree on the ground that it would have a political fall out would result in subversion of the Constitution an endorsement of anarchy and the disintegration of the country. Apart from rendering the provisions of Article 131 a dead letter such a stand is contrary of Article 144 which requires all authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court. It is not in the circumstances expected, that Governments whether at the Centre or in the States, will not comply with the degree of this Court under Article 131 not only is the offending party guilty of contempt but the very foundation of the Constitution which the people governing the State have sworn to uphold when assuming office and to which this country owes its continued existence, is shaken. It is, we repeat, the Constitutional duty of those who wield power in the States to create the appropriate political climate to ensure a respect for the constitutional processes and not set such processes at naught only to gain political mileage. As was observed by the Constitution Bench in **Cauvery water Disputes Tribunal** (supra) when an Ordinance was passed by a State seeking to nullify the order of this Court.

[श्री अध्यक्ष]

"Such an act is an invitation to lawlessness and anarchy, in as much as the Ordinance is a manifestation of a desire on the part of the State to be a judge in its own cause and to defy the decisions of the judicial authorities. The action forebodes evil consequences to the federal structure under the Constitution and opens doors for each State to act in the way it desires disregarding not only the rights of the other States, the orders passed by instrumentalities constituted under an Act of Parliament but also the provisions of the Constitution. If the power of a State to issue such an Ordinance is upheld it will lead to the breakdown of the constitutional mechanism and affect the unity and integrity of the nation."

These observations appositely reflect what can be said with regard to the conduct of the State of Punjab."

Hon'ble Supreme Court then proceeded to direct Union of India to construct the canal and ended with the following remarks:-

"---------. In the circumstances we direct the Union of India to carry out its proposed action plan within the following time frame:-

1) The Union of India is to mobilize a Central Agency to take control of the canal works from Punjab within a month from today.

2) Punjab must hand over the works to the Central Agency within 2 (Two) weeks thereafter.

3) ---------------

4) ---------------

5) ---------------

We conclude this chapter with a reminder to the State of Punjab that "Great states have a temper superior to that of private litigants, and it is to be hoped that enough has been decided for patriotism, the fraternity of the lion, and mutual consideration to bring it to an end."

Punjab filed a review petition against the aforesaid judgment dated 04.06.2004. This review petition was also dismissed by Hon'ble Supreme Court on 02.07.2004.

पंजाब ने उपर्युक्त निर्णय के विरूद्ध 04.06.2004 को एक समीक्षा याचिका दायर की। इस समीक्षा याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 02.07.2004 को खारिज कर दिया गया।

XII. 12.07.2004 को, संघीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र का खुला अपमान करते हुए, पंजाब राज्य ने 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते को निरस्त करने के लिए 'पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004' पारित कर दिया ताकि न्यायालय के तहत किसी भी निर्णय/डिक्री के प्रभाव/बाध्यता को भी निरस्त किया जा

सके। यह स्पष्ट है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब द्वारा मूल अभियोग हार जाने और अपने 2003 के अभियोग संख्या 1 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर देने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.01.2002 और 04.06.2004 के निर्णयों को अमान्य घोषित करने के उद्देश्य से पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 बनाना पूरी तरह से गैर-कानूनी तथा असंवैधानिक चलन है। इसके अलावा, ऐतिहासिक समझौते को नकारते हुए तथा संयुक्त पंजाब के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 के अंतर्गत तथा 31.12.1982 को हुए त्रिपक्षीय समझौते तथा ऐतिहासिक राजीव लौंगोवाल अवार्ड के संदर्भ में 30.01.1987 को इराडी ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्णय की भी अवहेलना की।

यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पंजाब राज्य तथा उसकी विधानसभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 तथा 162 के संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह नकार दिया है।

मामले की गम्भीरता को समझते हुए भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप किया और पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 की वैधता भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को अग्रेषित की गई।

(xii) Recently, on 7th May, 2014; a Constitution Bench of five Judges of Hon'ble Supreme Court of India in case titled 'State of Tamil Nadu vs. State of Kerala & anr.' has finally adjudicated on the identical issue of power of legislature of a State to be a judge in its own cause by deciding on an inter-State dispute by enacting a law to decide such a dispute in its favour and by openly flouting a judicial pronouncement in process thereof. Relevant portion is reproduced herein-below:-

"14. On 18.03.2006, in less than three weeks of the decisions of this Court in Mullaperiyar Environmental Protection Forum 1, the Kerala State Legislature amended 2003 Act by the Kerala Irrigation and Water Conservation (Amendment) Act, 2006 (for short 2006 (Amendment) Act."

**"Issues**

32. On 13.12.2007, the Court framed the following issues for consideration in the suit:

2. (a) Whether the Kerala Irrigation and Water Conservation (Amendment) Act, 2006 is unconstitutional and ultra vires, in its application to and effect on the Mullaperiyar Dam?

3. Whether the rights of the plaintiff, crystalised in the Judgment dated 27.02.2006 passed by this Court in WP(C) No.386/2001 can be nullified by a legislation made by the Kerala State Legislature?"

Speaker Sir, can I pause here and draw attention of your goodself and this House? Identical question - Sir, a Judgment of the Hon'ble Supreme Court that is sought to be nullified by bring an Amendment Act. These are the two questions framed by the Supreme Court's Constitution Bench and this is what they hold,

[श्री अध्यक्ष]

Sir, I would like to draw your attention and attention of this House to para 151 and I quote :-

"151. The question whether or not the legislature has usurped the judicial power or enacted a law in breach of separation of powers principle would depend on facts of each case after considering the real effect of law on a judgment or a judicial proceeding. One of the tests for determining whether a judgment is nullified is to see whether the law and the judgment are inconsistent and irreconcilable so that both cannot stand together. In what we have already discussed above, it is abundantly clear that on the one hand there is a finding of fact determined by this Court on hearing the parties on the basis of the evidence/ materials placed on record in the judgment of this Court in Mullaperiyar Environmental Protection Form 1 and on the other in 2006 (Amendment) Act, the Kerala legislature has declared the dam being an endangered one and fixed the water level in the dam at 136 ft. If the judgment of this Court in Mullaperiyar Environmental Protection Form 1 and the 2006 (Amendment) Act are placed side by side insofar as safety of the Mullaperiyar dam for raising the water level from 136 ft. to 142 ft. is concerned, it is obvious that the judgment of this Court and the law enacted by Kerala State legislature cannot stand together and they are irreconcilable and inconsistent. The impugned law is a classic case of nullification of a judgment simpliciter, as in the judgment of this Court the question of safety of dam was determined on the basis of materials placed before it and not on the interpretation of any existing law and there was no occasion for the legislature to amend the law by altering the basis on which the judgment was founded. When the impugned law is not a validation law, there is no question of the legislature removing the defect, as the Court has not found any vice in the existing law and declared such law to be bad.

152. There is yet another facet that in federal disputes, the legislature (Parliament and State legislatures) cannot be judge in their own cause in the case of any dispute with another State. The rule of law which is basic feature of our Constitution forbids the Union and the States from deciding, by law, a dispute between two States or between the Union and one or more States. If this was permitted under the Constitution, the Union and the States which have any dispute between them inter se would enact law establishing its claim or right against the order and that would lead to contradictory and irreconcilable laws being enacted has provided for independent adjudication of federal disputes. Article 131 of the Constitution confers original jurisdiction upon this Court in relation to the disputes between the Government of India and one or more States or between the Government of India and any State or States on one side and one or more States on the other or between the two or More States insofar as dispute involves any question on which the existence or extent of a legal right depends. The proviso appended to Article 131 carves out an exception to the jurisdiction of this Court to a dispute arising out of treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which have been entered into or executed between the

commencement of the Constitution and continues in operation after such commencement, which are political in nature. In relation to the dispute relating to waters of inter-State river or river valleys, Article 262 provides for creation of tribunal or forum for their adjudication. In federal disputes, Parliament or State legislatures by law, if seek to decide a dispute between the two States or between the Union and one or more States directly or indirectly, the adjudicatory mechanism provided in Articles 131 and 162 of the Constitution would be rendered nugatory and, therefore, such legislation cannot be constitutionally countenanced being violative of separation of powers doctrine."

(xiii) That pronouncement dated 07.05.2014 by a Constitution Bench of Hon'ble Supreme Court of India, reproduced above, amply demonstrates that the Punjab Termination of Agreements Act, 2004 is a nullity, is unconstitutional and can not stand the scrutiny of law or Constitution of India. It is mere sham enactment by Punjab Legislature with a view to deny the rightful due to people of Haryana of share of water and construction of SYL Canal in contravention of its own agreements and clinching judicial pronouncements by Hon'ble Supreme Court of India.

Law of the land having been thus settled vide aforementioned judgment dated 07.05.2014, judgment dated 15.01.2002 of Hon'ble Supreme Court and final direction dated 04.06.2004 by Supreme Court to Government of India come into play with immediate effect.

भारत सरकार एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य अपने हाथ में लेने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4.6.2004 के निर्देश क्रियान्वित करने तथा हरियाणा के लोगों का न्यायोचित हिस्सा देने के उद्देश्य से अपनी स्वयं की एजेंसी के माध्यम से इसका निर्माण करवाने के लिए बाध्य है।

इसलिए यह सदन भारत सरकार से, हरियाणा के लोगों के एस.वाई.एल. के पानी का न्यायोचित हिस्सा बहाल करने तथा इस पानी की उम्मीदों को पूरा करने के उद्देश्य से एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य अपने हाथों में लेकर इसका निर्माण सुनिश्चित करने के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय दिनांक 7.5.2014 के दृष्टिगत दिनांक 4.6.2004 के निर्णय में निहित निर्देश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह करता है। यह सदन पंजाब सरकार से भी उसके क्षेत्र में एस.वाई.एल. के निर्माण में पूरा सहयोग करने का आग्रह करता है।

**(प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)**

**श्री राम पाल माजरा** : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सारे एम.एल.ए. हों और माननीय मुख्यमंत्री सभी मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास इस बारे में मिलने जायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)** : स्पीकर सर, मैं माजरा जी को यह कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के पास तो डेलीगेशन के रूप में जाया जाता है। If you are going to meet the Prime Minister, all MLAs cant't go उससे कोई परपज़ सॉल्व नहीं होगा।

**Mr. Speaker :** I will constitute a delegation and seek time with the Hon'ble Prime Minister and whatever has been suggested by Mr. Surjewala this has also been unanimously adopted by the House.

विधान कार्य

(i) चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी, भिवानी बिल, 2014

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, now the Education Minister will introduce the Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

**Education Minister (Smt. Geeta Bhukhal Matanhail):** Sir, I beg to introduce the Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani Bill, 2014.

Sir, I also beg to move-

That the Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani Bill be taken into consideration at once.

**प्रो० संपत सिंह (नलवा) :** स्पीकर सर, क्लॉज 6 में यह दिया हुआ है:- The University shall have the following objects and powers namely (i) to monitor physical education and sports at all levels in the State academically: Provided that such monitoring shall not infringe on the activites of the Sports and Youth Affairs Department of the State in any manner; सर, मैं इस बारे में माननीय मंत्री महोदया जी से कहना चाहूंगा कि यह यूनिवर्सिटी स्पोर्टस यूनिवर्सिटी होगी और इसके क्लॉज 6 में भी स्पोर्टस का जिक्र किया गया है। अगर हम स्पोर्टस एण्ड यूथ वैल्फेयर का डिपार्टमैंट छोड़ कर चलें तो हमारे यहां स्पोर्टर्स से रिलेटिड कोई भी कालेज या दूसरा इंस्टीच्यूशन नहीं है इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि वह यूनिवर्सिटी किस के लिए काम करेगी। क्या वह महज कैम्पस यूनिवर्सिटी होगी। चूंकि हमारे यहां कोई स्पोर्ट्स कॉलेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए यह यूनिवर्सिटी किसको एफिलिएट करेगी?

**Mr. Speaker :** Hon'ble Minister, there will be an under graduate programme also?

**Education Minister (Smt. Geeta Bhukhal Matanhail) :** Other programmes also there in the University. This is a multi disciplinary University. Speaker Sir, let him raise the queries I will give the reply.

**Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary) :** Sir, this University is a proper University.

**प्रो० संपत सिंह :** स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वाईस चांसलर के लिए हमने जो क्वालीफिकेशन निर्धारित की है हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सर, इस बात का जिक्र क्लॉज नम्बर 11 (1) में किया गया है। The Vice-Chancellor shall be appointed

solely on academic considerations. He shall be a distinguished education having commitment to the values for which the University stands and abilities to provide leadership to the University by his academic worth, administrative competence and moral stature. सर, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो एमीनेंट अकेडमिशयन की बात कही गई है यह आगे चलकर डैल्यूट हो जाती है। चाहे वह किसी भी अकेडमी में हो। आज हमारे चीफ इंजीनियर भी वाईस चांसलर हैं। वह भी बहुत बड़े अकेडमिशन हैं। आज हमारे प्रिंसीपल भी वाईस चांसलर हैं। सर, यह बात ठीक है कि हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोली हैं और बहुत सारे कालेजिज भी खोले हैं। हमारे यहां सैंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार से हमारी स्टेट में बहुत सी यूनीक चीजें आई हैं। चाहे वह आई०आई०एम० है, चाहे वह निफ्टम है और चाहे दूसरे इंस्टीच्यूशंज हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अपनी सभी यूनिवर्सिटीज के वाईस चांसलर की नियुक्ति में कभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर आना ही पड़ेगा। आप भी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर किसी को वाईस चांसलर लगाया जाता है तो उसके पास कम से कम 10 साल का प्रोफैसर का अनुभव होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस शर्त को पूरी करता है वही वहां पर वाईस चांसलर नियुक्त किया जाता है। हमारे यहां पर तो किसी को भी वाईस चांसलर लगा दिया जाता है। पहले तो किसी अधिकारी को वाईस चांसलर लगा दिया जाता है और उसके बाद किसी को भी वाईस चांसलर लगा दिया जाता है। इससे हमारी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड गिरता है और यही कारण है कि इतना खर्च करने के बावजूद भी हमें वांछित फायदा नहीं हो पा रहा है और इंडिया की सौ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी हमारा नम्बर नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी आप चाहे 2 खोलें या 4 खोलें लेकिन उसमें वाईस-चांसलर अगर ठीक होगा तो सबकुछ ठीक होगा, नीतियां भी ठीक चलेंगी और कोर्सिज भी अच्छे आयेंगे और बच्चे भी अच्छे पास आउट होंगे अन्यथा आज के दिन जिस तरह के हालात हो रहे हैं वे ठीक नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले टीचर रहा हूं और आजकल के हालात को देख कर मैं तो इसमें यही सुझाव देना चाहता हूं वाईस चांसलर की क्वालिफिकेशन फिक्स होनी चाहिए। ऐसा न हो कि ऐसे ही किसी को भी उठा कर वाईस-चांसलर लगा दिया जाये।

**Smt. Kiran Chaudhary :** Sir, we are sitting in this august House to strengthen the institutions. So, we must make sure that the quality of education should be raised. ऐसा न हो कि किसी ऐरे-गैर को वाईस-चांसलर लगा दिया जाये because they are going to be political appointees.

**Mr. Speaker :** Section 11 does not safeguard that intention.

**Smt. Kiran Chaudhary:** So, Mr. Sampat Singh is bringing this amendment in this Bill. So, I would suggest that this amendment be incorporated in it.

**Mr. Speaker :** The Hon'ble Minister will do that. (Interruption) He should have 10 years academic record as an academician.

**श्री भारत भूषण बतरा :** अध्यक्ष महोदय, यह तो बतायें कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए।

**प्रो० संपत सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने बता तो दिया कि बतौर प्रोफैसर कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है, बता दिया कि कम से कम 10 वर्ष का प्रोफैसर का अनुभव होना चाहिए।

**श्री भारत भूषण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी में 10 साल के अनुभव वाला कोई भी प्रोफैसर न तो वाईस-चांसलर लगता है और न ही कोई लगाता है।

**प्रो० संपत सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सुझाव दिया है। मेरी तरफ से सरकार चाहे एस०ई० को लगा ले या एक्सईन को लगा ले या चाहे किसी को भी लगा ले। यह मेरी पर्सनल राय है।

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है।

**प्रो० संपत सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह केवल मेरा सुझाव है, सरकार माने या न माने वह सरकार की मर्जी है।

**शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल)** : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रोफैसर अच्छा हो वह एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा ही हो। The Vice-Chancellor should also be a good administrator also.

**Mr. Speaker :** It is only a suggestion made by the Hon'ble Member.

**Sampat Singh :** Sir, it is on the sweet-will of the Government, may or may not agree with it.

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, भिवानी के लिए यूनिवर्सिटी का जो बिल आया है उसके लिए मैं तहे दिल से सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। भिवानी एक ऐसा एरिया है जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। उसका नतीजा यह है कि हमारे नौजवानों की इच्छाएं बढ़ती जा रही थी और उनको आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था लेकिन अब वे भिवानी में ही रह कर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। आज हमारी सरकार ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है इससे पहले केवल स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की बात हुई थी लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं कि इन्होंने इसको न केवल स्पोर्टस यूनिवर्सिटी बल्कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है और वह भी चौधरी बंसी लाल जी के नाम पर जो कि हरियाणा के निर्माता थे। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि वे लिखत-पढ़त में बहुत विश्वास रखते थे। Very able administrator, very highly read personality ChaudharyBansi Lal Ji, was तो आज सरकार हमें जो यूनिवर्सिटी देने जा रही है उसके लिए भिवानी के लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यह भिवानी के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि इसका नाम एक महापुरूष के नाम पर दिया जा रहा है। यह आने वाले समय में हमारे आसपास के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बूम साबित होगा। इसके साथ ही साथ मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगी कि सम्पत सिंह जी ने जो बात कही है उसको माननीय मंत्री जी भी ऐग्री करती हैं कि अगर किसी भी इंस्टीच्यूशन को आगे बढ़ाना है तो हमें देखना चाहिए कि हम उसकी नींव मजबूत रखें। अगर हम उसकी नींव मजबूत नहीं रखेंगे तो फिर वहां पोलिटिकल

एप्वाईटिज आ जाएंगे जिससे उसका पूरा का पूरा स्तर गिर जाता है। So it is our mounting duty that we see to it that we make such laws, wherein such people who are capable and capable of bringing the standard of education to a higher level, are appointed and not just the people who are appointed on the political sweet will. स्पीकर सर, मेरी मंत्री जी से यह दरख्वास्त होगी कि इसकी जो भर्ती की जाएगी उसमें पहले से ही उनकी जो मिनीमम क्वालिफिकेशन है उसको सोच-समझकर डाल लें। धन्यवाद।

**मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामकिशन फौजी बवानी खेड़ा)** : स्पीकर सर, भिवानी में सरकार जो चौधरी बंसीलाल के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। (विघ्न)

**Mr. Speaker :** O.K., I will allow all the Legislators from Bhiwani district to speak. After that the Minister will respond to the queries having been made.

**श्री रामपाल माजरा (कलायत)** : स्पीकर सर, यह तो बहुत अच्छी बात है कि चौधरी बंसीलाल के नाम पर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसके लिए क्या बजट का प्रावधान किया गया है? क्योंकि हरियाणा में क्लर्कों को बाद में बदल कर वी०सी० लगा दिया गया और बहुत से मिल्ट्री के ऑफिसर्ज वहां लगा दिए गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी यूनिवर्सिटी गये ही नहीं उनको वहां लगा दिया गया और उन्होंने वहां लग कर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को खत्म कर दिया।

**श्री रामकिशन फौजी** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा और आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सन् 1966 में हरियाणा बनने के बाद से अब तक शायद हरियाणा में कोई खेल यूनिवर्सिटी नहीं थी। हरियाणा में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने खेलों में जो नीति बनाई और दुनिया के अन्दर जो नाम कमाया जिसकी वजह से हरियाणा के बच्चे गोल्ड मैडल लेकर आए। सर, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। इसके लिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसका काम शुरू करवाया जाए क्योंकि एक या डेढ़ महीने में आचार संहिता लग जाएगी इसलिए इससे पहले यूनिवर्सिटी का काम शुरू कराया जाए ताकि कल को कोई ये न कहे कि कांग्रेस सरकार ने घोषणाएं तो कर दी लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हुआ। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस यूनिवर्सिटी का काम जल्दी शुरू करवाया जाए। चाहे जीन्द की यूनिवर्सिटी हो, चाहे भिवानी की यूनिवर्सिटी हो, मेरा निवेदन है कि जब तक बजट का प्रावधान नहीं होगा तब तक खाली चौधरी बंसीलाल का नाम रखने से कुछ नहीं होगा। उनके नाम से जितना भी काम किया जाए वह कम है। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, विकास की बात हो, चाहे बिजली की बात हो आज प्रदेश में हमारी सरकार ने जो प्रगति की है वहां चौधरी बंसीलाल जी का नाम आता है। हिन्दूस्तान के अन्दर कई ऐसे प्रदेश हैं जहां आज भी गांवों में बिजली नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के प्रत्येक गांव के अन्दर बिजली पहुंचाई थी। आज उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जोकि सरकार की अच्छी सोच का परिणाम है। स्पीकर सर, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं चौधरी बंसी लाल जी के सबसे नजदीक हुआ करता था। जब मैं हरियाणा विकास पार्टी में एम०एल०ए० हुआ करता था तो उस समय मेरा पार्टी में इतना बड़ा स्थान होता था कि स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी के बाद राम किशन फौजी का नाम आया करता था। अब मैं कांग्रेस

[श्री रामकिशन फौजी]

पार्टी में हूं। यह पार्टी तो एक समुंद्र की तरह है। इसमें तो श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे बड़े-बड़े नेता विद्यमान हैं लेकिन मैं ऐसी स्थिति में भी अपने आपको कांग्रेस पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता समझता हूं। (विघ्न)

**परिवहन मंत्री (चौधरी आफताब अहमद)** : स्पीकर सर, कांग्रेस पार्टी में बड़े-बड़े नेता विद्यमान हैं अत: मैं समझता हूं कि फौजी साहब को कांग्रेस पर फख्र होना चाहिए?

**श्री रामकिशन फौजी** : स्पीकर सर, इसमें तो कोई शक की गुंजाईश ही नहीं है। नि:संदेह मुझे आज कांग्रेस पार्टी पर फख्र महसूस होता है क्योंकि इसमें विद्वान और सूझबूझ रखने वाले नेता विद्यमान हैं। कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है। वास्तव में चौधरी बंसीलाल जी ईमानदार और कांग्रेसी विचारधारा के ही व्यक्तित्व थे। अत: अब ज्यादा बात न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के साथी इंडियन नेशनल लोकदल के मैम्बरों को चौधरी बंसीलाल जी के नाम से जो भिवानी में स्पोटर्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। यह किसी व्यक्ति विशेष की यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि यह पूरे हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। जैसे पहले देवीलाल जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, वह भी समस्त हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटी थी उसी तरह चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी पूरे हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटी है जिसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल को माननीय मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : सर्राफ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आप प्लीज बोलिये? (विघ्न)

**सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल)** : स्पीकर सर, मैं भी कुछ प्वॉयंट्स सदन के सामने रखना चाहता हूं। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : सांगवान जी, जैसे ही सर्राफ जी अपनी बात पुरी करेंगे उसके तुरन्त बाद आप बोल सकते हैं।

**श्री घनश्याम दास गर्ग (भिवानी)** : स्पीकर सर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली तो यह है कि आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी के नाम से भिवानी जिले में एक यूनिवर्सिटी की घोषणा बजट सत्र में की गई थी लेकिन बावजूद इसके इस यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी प्रकार का कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए अब तक कोई जगह भी आबंटित नहीं की गई है इसलिए किसी प्रकार के बिल्डिंग निर्माण के कार्य को भी शुरू नहीं किया जा सका है। इस बाबत मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सभी बातें केवल घोषणायें बनकर ही रह जायेंगी? क्या इस पर कोई काम होने की संभावना है ?

**श्री अध्यक्ष** : सर्राफ जी, चौधरी बंसीलाल जी के नाम से बनने वाली यूनिवर्सिटी पर काम जरूर होगा। आप प्लीज बैठिये। आपको तो इस काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी)** : स्पीकर सर, सर्राफ जी यह क्या बात कर रहे हैं। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से बनने वाली यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा जगह अलॉट कर दी गई है। अत: इनको सोच समझकर बोलना चाहिए।

**सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल)** : स्पीकर सर, इस बेचारे को किसी चीज का पता ही नहीं होता है। यह तो बेचारा वैसे ही बोल देता है। (विघ्न व हंसी) मुश्किल से एक मिनट बोला था उसमें भी ठीक तरह से नहीं बोल पाया है। (हंसी)

**श्री रामकिशन फौजी** : स्पीकर सर, सांगवान जी तो सर्राफ जी के बड़े भाई हैं। (हंसी व विघ्न)

**श्री सतपाल** : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा मैं इसका बड़ा भाई तो हूं लेकिन साथ में इसका गुरू भी हूं चाहे तो इससे पूछ लो? (हंसी व विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : सर्राफ जी, आपने अभी तक धन्यवाद नहीं किया है। (विघ्न)

**श्री सतपाल** : सर्राफ जी, आपने अभी तक धन्यवाद नहीं किया? (विघ्न)

**श्री घनश्याम दास गर्ग** : स्पीकर सर, यदि इस यूनिवर्सिटी पर काम शरू होगा तो मैं बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर धन्यवाद करूंगा। इस यूनिवर्सिटी के नाम से चौधरी बंसी लाल जी जैसे बड़े व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। अत: जब इस यूनिवर्सिटी का काम शुरू होगा तो धन्यवाद बार-बार किया जायेगा। एक चीज मैं सदन के माध्यम से बताना उचित समझता हूं कि जिस दिन इस यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर तक भी रख दिया जायेगा उस दिन मैं धन्यवादी बोर्ड लगवाऊंगा। (विघ्न)

**श्री सतपाल** : स्पीकर सर, मैं आप के माध्यम से सर्राफ जी को बताना चाहता हूं कि वे माननीय मंत्री जी से टाईम ले लें और उसके तुरन्त बाद बंसीलाल जी के नाम से बनने वाली यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर रख दिया जायेगा। मैडम आप सर्राफ जी को आज ही टाईम दे दो।

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी)** : स्पीकर सर, ठीक है अगले महीने की 3 तारीख को बंसीलाल जी के नाम से बनने वाली यूनिवर्सिटी का पत्थर लगा दिया जायेगा।

**श्री घनश्याम दास गर्ग** : स्पीकर सर, अगर ऐसा होगा तो मैं बड़े-बड़े धन्यावादी पोस्टर लगवाऊंगा।

**श्री सतपाल** : स्पीकर सर, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही धन्यवादी हूं जो इन्होंने चौधरी बंसीलाल जी के नाम से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भिवानी में बनाने की घोषणा की है। आज मैं विज साहब से कुछ पूछना चाहता था लेकिन अफसोस इस बात का है कि वे भी आज सदन से उठकर चले गये हैं। स्पीकर सर, कॉमनवैल्थ गेम्ज में व एशियॉड गेम्ज में जितने गोल्ड मैडल हरियाणा प्रांत ने भारत देश को दिलवाये हैं उतने मैडल अन्य किसी स्टेट ने नहीं दिलवाये हैं। यह सब केवल और केवल मात्र आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिहं हुड्डा जी की स्पोर्ट्स नीति के फलस्वरूप ही संभव हो पाया है। कितनी विडंबना की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी न खोलकर दूर-दराज के क्षेत्र मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली है। अनिल विज इस सदन में बैठकर बड़ी चौधर के साथ कहता है कि हरियाणा में भाजपा सरकार सत्ता में आयेगी। क्या खाक सत्ता में आयेगी? एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो हरियाणा में खोल नहीं सके? जिस हरियाणा प्रदेश ने इतनी ज्यादा संख्या में मैडल लेकर देश को दिये हैं वहां एक स्पोर्टस यूनिवर्सिटी तक नहीं खोल सके? कितने खेद की बात है ?

[श्री सतपाल]

12 नवम्बर से 27 नवम्बर, 2010 तक जो एशियॉड गेम्ज हुए उनमें 14 मैडल हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किये जो पूरे देश के प्राप्त मैडल का 33 प्रतिशत है। स्पीकर सर, मैं सदन में यह बताना बड़े फख्र की बात समझता हूं कि भिवानी जिले से विकास ने बॉक्सिग में गोल्ड मैडल जीता, बिजेन्द्र सिंह ने भी बॉक्सिग में गोल्ड मैडल जीता, समरजीत ने कबड्डी में गोल्ड मैडल जीता, दिनेश कुमार ने बॉक्सिग में सिलवर मैडल जीता, परमजीत समोटा ने बॉक्सिग में ब्रॉंज मैडल जीता और सोमवीर जिसने साईकिलिंग में पार्टिसिपेट किया था वह भी भिवानी जिले से ही संबंध रखता है। मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही आभारी हूं कि उन्होंने स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी के नाम से भिवानी में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। विज साहब कहां गये जिनकी पार्टी ने मणिपुर में जाकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की है। मणिपुर में क्या बॉक्सर मिलेंगे? बॉक्सर तो हरियाणा में मिलेंगे। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने भिवानी जिले में चौधरी बंसीलाल जी के नाम से स्पोर्टस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। स्पीकर सर, देश को जो भी मैडल प्राप्त हुए हैं उनमें से आधे मैडल हरियाणा या विशेषकर भिवानी जिले से ही प्राप्त हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि जितने भी यह मैडल प्राप्त हुए हैं यह सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की स्पोर्ट्स पालिसी के कारण ही संभव हो पाये हैं। (विघ्न)

**श्री रामकिशन फौजी** : स्पीकर सर, इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए सांगवान जी जैसे पढ़े लिखे वाईस चांसलर की बहुत जरूरत है। मेरे ख्याल से सांगवान जी ही इसके लिए ज्यादा फिट बैठेंगे ? (विघ्न)

**श्री सतपाल** : स्पीकर सर, ऐसा लगता है कि फौजी साबह मुझे पढ़ा लिखा नहीं मान रहे हैं। उसको याद रखना चाहिए कि इस हाउस के कई मैम्बर जब पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त तो मैंने बी०एस०सी० कर ली थी। (शोर एवं व्यवधान) (हंसी)

**श्री अध्यक्ष** : सांगवान जी, आप नाराज क्यों होते हो, फौजी साहब तो आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए वाईस चांसलर की पोस्ट के लिए बेहतर विकल्प बता रहे हैं। (विघ्न)

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी)** : सांगवान जी आपको तो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर बनाने की बात की जा रही है? (विघ्न)

**श्री सतपाल** : स्पीकर साहब, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अब कहां का वाईस चांसलर बनूंगा। I am not fit for that job क्योंकि मुझे बॉक्सिग तो आती नहीं है ऐसी स्थिति में मैं कैसे वाईस चांसलर का पद घुमाऊंगा? (हंसी) मैं आप सभी भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो बढ़िया चीज होती है उसको बढ़िया कहने में हमारे अपोजिशन के भाइयों को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा के भिवानी जिले में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चौधरी बंसीलाल के नाम से दी है। मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने भिवानी के लोगों की इज्जत रखी है। क्योंकि भिवानी के लोग खेलों में सबसे आगे हैं। श्री विज साहब ये कहकर हाउस से बाहर चले गये कि भारत सरकार द्वारा मणिपुर में 100 करोड़ रुपये में एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जायेगी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आज के जमाने में 100 करोड़ रुपये में दो एकड़ जमीन नहीं आती है और वे कह रहे हैं कि 100 करोड़

रुपये में यूनिवर्सिटी बनाई जायेगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर अच्छे-अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं जैसे गीता फोगाट, अनिता, परमजीत समोटा ये सारे के सारे गोल्ड मैडलिस्ट हैं। हम कॉमन वैल्थ गेम्ज और एशियाड गैम्ज की बात कर लें तो इनमें 38 में से 21 मैडल हरियाणा प्रदेश ने जीते हैं, यह सच्चाई है। एक भाई पूछ रहे हैं कि इसमें हमारा क्या योगदान रहा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि साइंस स्पोर्ट्स यूनिट जो चल रही है जहाँ बॉक्सरों को ट्रेनिंग दी जाती है, वह सुरेन्द्र सिंह ने शुरू की थी, हमारा यह योगदान था। अध्यक्ष महोदय इनका तो कोई योगदान नहीं रहा, आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। (विघ्न)

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, भिवानी के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सैन्टर को इन्होंने तुड़वा दिया था। जिसे हमारी सरकार ने दोबारा बनवाया था। (विघ्न)

**श्री सतपाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं और धन्यवादी भी हूं कि आपने भिवानी के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली है। हमारे जितने भी दूसरे कॉलेज हैं वे इससे एफीलियेटिड हो जायेंगे और उनमें स्पोर्ट्स को भी प्राथमिकता दी जायेगी। (विघ्न) इसके साथ ही मैं माननीया शिक्षा मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि वे हाउस में इस रेजोल्यूशन को लेकर आई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसी महीने में इसका शिलान्यास कर दें। भारतीय जनता पार्टी को भी पता लग जायेगा कि मौजूदा हरियाणा सरकार क्या-क्या कर सकती है? इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

**Mr. Speaker :** Question is-

That Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker:** Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

**Sub Clause (2) of Clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Sub Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 2 to 35**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Clause 2 to 35 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Schedule**

**Mr. Speaker:** Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

*The motion was carried.*

**Sub Clause (1) of Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Sub Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

**(शिक्षा मंत्री) श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल :** अध्यक्ष महोदय, क्या मैं पहले रिप्लाई दे सकती हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** आप पहले रिप्लाई दे सकती हैं।

**श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल :** अध्यक्ष महोदय, सरकार आज सदन में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बिल लेकर आई है, इसमें हमारे कुछ सदस्यों ने जैसे प्रो० संपत सिहं जी ने वाईस चांसलर की क्वालिफिकेशन को लेकर बात कही है, मैं इस बात से सहमत हूं। हमने इसमें क्वालिफिकेशन ऑलरेडी रखी है। He should be an academician of administrative competence and of moral stature और बहुत जरूरी भी है कोई भी इन्स्टीच्यूट की बात हो चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे स्कूल एजुकेशन की बात हो हमें क्वान्टिटी के साथ-साथ क्वालिटी एजुकेशन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी को ठीक ढंग से चलाने के लिए वाईस चांसलर नियुक्त किये जाने चाहिए जो पूरी योग्यता एवं तजुर्बा रखते हों। सर, मैं एक चीज साफ करना चाहती हूं कि जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में खुल रही है वह स्पैशल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जरूर है पर this is a multi disciplinary university सभी तरह की डिसिप्लेन इस यूनिवर्सिटी में रहेंगी चाहे जितने भी कॉलेज फिजिक्ल एजुकेशन से संबंधित हो या स्पोर्ट्स से संबंधित हों उनकी स्थापना और उनको एफिलियेट करने की पूरी व्यवस्था चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, भिवानी में रहेगी। सर, मैं समझती हूँ कि चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी, भिवानी में जो खुल रही है वह हरियाणा प्रदेशवासियों की तरफ से चौधरी बंसीलाल जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा में चहुँमुखी विकास करवाने वाले एक महान सम्मानित नेता थे। स्पीकर सर, मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी, भिवानी बिल, 2014 लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं।

स्पीकर सर, खेलों में राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भिवानी के बच्चों ने ख्याति प्राप्त करके हरियाणा प्रदेश का नाम रौशन किया है उसी को देखते हुए चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, भिवानी की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी के आधार पर नौकरी का प्रोविजन भी किया गया है। स्पोर्ट्स के अलावा बाकी कोर्सिस भी अच्छी तरह से इस यूनिवर्सिटी में चलाये जायेंगे। सर, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यूनिवर्सिटी के लिए बजट प्रोविजन और लैंड की बात उठाई है। सर, पहले यह ऑर्डिनेंस था आज यह चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बिल, 2014 के रूप में सदन में पेश हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के लिए भिवानी में 125 से 150 एकड़ जमीन एक्वायर करने का प्रोसैस जारी है। स्पीकर सर, इसमें 5 करोड़ रुपये का फंड डाइवर्ट किया गया है। स्पीकर सर, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जल्दी से जल्दी किया जायेगा। हरियाणा राज्य हमेशा से हायर एजुकेशन में एक प्रॉयरिटी सैक्टर रहा है। हमारी कांग्रेस सरकार की शुरु से पूरी कोशिश रही है कि एजुकेशन के साथ-साथ स्पोर्ट्स को पूरी तरह से प्राथमिकता दी जाये।

**Education Minister (Smt. Geeta Bhukal Matanhail) :** Sir, I also move-

That the bill be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the bill be passed.

**Mr. Speaker :** Question is-

That the bill be passed.

The motion was carried.

**(ii) चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद बिल, 2014**

**Mr. Speaker :** Now, the Education Minister will introduce the Chaudhary Ranbir Singh University, Jind Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

**Education Minister (Smt. Geeta Bhukal Matanhail) :** Sir, I beg to introduce the Chaudhary Ranbir Singh University, Jind Bill, 2014.

Sir, I also beg to move-

That the Chaudhary Ranbir Singh University, Jind Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the Chaudhary Ranbir Singh University, Jind Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी परमिन्द्र सिंह दुल (जुलाना):** अध्यक्ष महोदय, मैं जिला जीन्द का विधायक होने के नाते चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, बिल, 2014 का स्वागत करता हूं। हमारे क्षेत्र में विश्वविद्यालय की जरूरत भी थी। स्पीकर सर, हमारे मन में एक प्रश्न जरूर उठेगा कि इसको बनाने के लिए अभी तक कोई सिस्टम तैयार नहीं किया गया है इसलिए यह मात्र घोषणा बनकर

[चौधरी परमिन्द्र सिंह ढुल]

रह जायेगी। स्पीकर सर, इसी तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष, 2005 में जीन्द के अन्दर रीजनल सैन्टर बनाने की घोषणा की थी, जिसका शिलान्यास भी हो चुका था और आज तक उस पर काम चल भी रहा है। स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदया जी इस विश्वविद्यालय की बनने की समय सीमा जरुर बताएं क्योंकि अभी तक तो इसके लिए जमीन चिन्हित भी नहीं की गई है। स्पीकर सर, जीन्द के अंदर एक रीजनल सैन्टर कमेटी की जमीन पर बना था लेकिन यह जमीन रिजनल सैन्टर के नाम अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। स्पीकर सर, हरियाणा जैसे छोटे राज्य में बहुत सी यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं। मैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जीन्द, बिल, 2014 का स्वागत करता हूं। स्पीकर सर, इस विश्वविद्यालय का जो नाम रखा गया है, उस नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हरियाणा राज्य में किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम रखना तो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। सर, हमारे राज्य में किसी शहीद के नाम से कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस विश्वविद्यालय का नाम शहीदे आजम भगत सिंह के नाम से रख दिया जाये या नेता जी सुभाष चंद्र बोस के नाम से रख दिया जाये। स्पीकर सर, इस बिल में नाम का संशोधन करके किसी शहीद के नाम से नहीं तो दीन बन्धु सर छोटू राम के नाम से विश्वविद्यालय का नाम रखा जाये क्योंकि दीन बन्धु सर छोटू राम का नाम हमारे हल्के के किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदया सदन को यह आश्वस्त करें कि यह यूनिवर्सिटी कब तक बनकर तैयार हो जायेगी? स्पीकर सर, इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि यह केवल घोषणा मात्र बनकर न रह जाये।

**श्री अध्यक्ष** : ढुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में दीन बन्धु सर छोटू राम यूनिवर्सिटी पहले से बनी हुई है।

**चौधरी परमिन्द्र सिंह ढुल** : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966 में जब पंजाब राज्य से अलग करके हरियाणा प्रान्त बनाया गया उस समय ज्वायंट पंजाब सरकार में श्री रणबीर सिंह हुड्डा मंत्री थे। उस समय की पंजाब सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला किया था कि हरियाणा राज्य अलग से न बनाया जाए। उस समय की कैबिनेट ने जो यह फैसला किया था उसमें श्री रणबीर सिंह हुड्डा भी एक सिगनेटरी थे अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि श्री रणबीर सिंह हुड्डा के नाम से जीन्द में यूनिवर्सिटी न बनाई जाए।

**उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला)** : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त जो एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आयु में भी मेरे से वरिष्ठ हैं हम दोनों तरह से उनका आदर करते हैं। जब पंजाबी सूबे का गठन हुआ उस समय मास्टर तारा सिंह और दूसरे लोगों की अलग पंजाबी सूबे की मांग थी। इस बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और पिछली पीढ़ी के लोग मुलाना साहब जी जो आज स्पीकर गैलरी में बैठे हैं वे भी जानते हैं क्योंकि यह उनके समय की बात है। चौधरी आनन्द सिंह दांगी, प्रो० सम्पत सिंह जी और आदरणीय डाक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी और आदरणीय सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा जी जो कि हाउस के वरिष्ठतम सदस्य हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे से पहले की एक वरिष्ठ जनरेशन है जो इस बात की दर्शक रही है। जिन्होंने हरियाणा राज्य को पंजाब से अलग हुए राज्य के रूप में बनते देखा है। इस काम में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का विशेष योगदान रहा है। उनका योगदान हिन्दुस्तान के

संविधान के निर्माण में रहा, भाखड़ा डैम के बनने में और पंजाब और हरियाणा के मुद्दे सुलझाने में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का विशेष योगदान रहा है। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा छः-छः हाउसिज के सदस्य रहे। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी ने कई बार स्वतंत्रता संग्राम के अन्दर जेलें काटी। चौधरी छोटूराम जी हमारे सबके बुजुर्ग और सम्मानीय हैं। सोनीपत में दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरथल का नामकरण चौधरी छोटूराम के नाम पर किया गया है। यह एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और जहां पर हाई दर्जे का टैलैंट पैदा होता है। थर्मल पॉवर प्लांट का नाम चौधरी छोटूराम के नाम पर किया गया था। भगत फूल सिंह का पूरे हरियाणा के इलाके के अन्दर महिलाओं के उत्थान में विशेष योगदान रहा है। उनके नाम पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, गोहाना में बनाया गया जहां पर राजकीय महिला मैडिकल कालेज भी है। स्पीकर सर, जीन्द में ही कन्या गुरूकुल खरल में हैं। मेरे आदरणीय साथी भी उस गुरूकुल में आते रहे हैं। उस संस्था में इनका भी बहुत योगदान रहा है। उस गुरूकुल में हम सबका अपने तरीके से योगदान रहा है। उस कन्या गुरुकुल को महिला यूनिवर्सिटी, खानपुर कलां का रीजनल सैंटर बनाया गया है। उस गुरूकुल में चाहे हमारे महाराज जी हों या चाहे वहां की प्राचार्या श्रीमती दर्शना जी हों उनको भी इस यूनिवर्सिटी की परिधी के अन्दर लाया गया है ताकि महिला जगत की शिक्षा और ज्यादा बढ़ सके। मुझे लगता है कि माननीय साथी की आकांक्षा हो सकती है वे किसी भी मुद्दे पर अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। परन्तु किसी बुजुर्ग का अनादर करना शायद इस सदन की मर्यादा को शोभा नहीं देता। यह मेरा माननीय साथी से हाथ जोड़कर सादर अनुरोध है। (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** I allow Mr. Batra to speak. Mr. Perminder Dhull, you may please sit down.

**श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक)** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस के अन्दर यह बात कहना चाहूंगा कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी का कितना कन्ट्रीब्यूशन आजादी की लड़ाई में रहा और कितना बड़ा कन्ट्रीब्यूशन उनका एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में रहा। (विघ्न) मैं इस सदन को यह बात बताना चाहता हूं कि चौधरी रणबीर सिंह जी छः बार जेल गये और आठ जेलों के अन्दर रहे जिनमें चार जेलें पंजाब में जो आजकल पाकिस्तान में हैं और चार जेलें हरियाणा में हैं। 1941 से वह 1944 तक ऐज ए फ्रीडम फाइटर उनकी 6 बार अरैस्ट हुई। सबसे पहले वह 1947 में मैम्बर आफ कांस्टीच्युएंट असैम्बली बने। वे अक्तुबर, 1947 से 30 जनवरी, 1950 तक मैम्बर आफ कांस्टीच्युएंट लैजीस्लेटिव असैम्बली रहे। उसके बाद 1952 के इलैक्शन होने तक हिन्दुस्तान की प्रोवीजनल पार्लियामैंट बनी इसलिए ये 1950 से 1952 तक उसके सदस्य रहे। उसके बाद 1952 से 1962 तक 10 साल ये पार्लियामैंट में लोक सभा के मैम्बर रहे। उसके बाद ये पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन भाखड़ा डैम में रहा। ऐज ए पार्लियामैंटेरियन अगर उनकी इस तरह की हिस्ट्री हमें पढ़ने को मिले तो सदन में इस बात के लिए हर्ष होना चाहिए कि इतने बड़े पार्लियामैंटेरियन के नाम पर आज यूनिवर्सिटी बनाकर आज उनको बिफिटिड ट्रिब्यूट दी गई है। उसके बाद वे हरियाणा लैजीस्लेटिव असैम्बली में 1968 से 1972 तक मैम्बर रहे। उसके बाद 1972 से 1977 तक वे राज्य सभा के मैम्बर रहे। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा पार्लियामैंटेरियन विदइन दि स्टेट हमें आज तक नजर नहीं आया। इस प्रकार ऐज ए फ्रीडम फाइटर और ऐज ए पार्लियामैंटेरियन उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ऐसे सादगी वाले इंसान को मैंने पर्सनली नजदीक से देखा है। यदि आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे

[श्री भारत भूषण बतरा]

तो पाएंगे कि वे सफेद कपड़ों में इंसान के रूप में देवता स्वरूप इंसान थे। वे जब तक रहे उन्होंने अपना जीवन लो-प्रोफाइल पर रखा। चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम पर भाई परमिन्द्र सिंह ढुल जी ने विरोध जताया है तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि शहीद भगत सिंह की अपनी जगह है। इतने बड़े पार्लियामैंटेरियन के नाम पर और इतने बड़े फ्रीडम फाईटर के नाम पर जो यूनिवर्सिटी का गठन सरकार करने जा रही है, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी को मुबारिकबाद देता हूं। दूसरी बात प्रो० सम्पत सिंह जी ने रेज की, मैं भी इस बारे में दो लाइने कहना चाहूंगा It is the way how we select the Vice-chancellors. So far as the qualifications are concerned, it is written in the Bill-

> "11 (1) The Vice-Chancellor shall be appointed solely on academic considerations.
>
> This is the first point. Second point is that-
>
> "...He shall be a distinguished educationist..."

In the 10 years nobody becomes a distinguished academician. In addition to this it is also written that-

> "...and having commitment to the values for which the University stands and abilities to provide leadership to the University by his academic worth, administrative competence and moral stature."

That is why we should lift our standard itself. It is not right to say that the definition should be changed. This qualification is a perfect qualification. मैं एक बार फिर शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े महापुरूष और देवता स्वरूप इंसान के नाम पर आज यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है।

**Mr. Speaker :** Question is-

That Chaudhary Ranbir Singh University, Jind Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

**Sub Clause (2) of Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Sub Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clauses 2 to 35**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Clauses 2 to 35 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Schedule**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

*The motion was carried.*

**Sub Clause (1) of Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Sub Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

**शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल)** : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पास करवाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि आज जो हमने बिल मूव किया है उसके बारे में जींद से हमारे साथी ने ओब्जैक्शन उठाया है इस लिए मैं उनको बताना चाहूंगी कि चौधरी रणबीर सिंह जी महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। न केवल वे फ्रीडम फाईटर रहे बल्कि संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। वे संविधान निर्मात्री सभा के एक मात्र ऐसे सदस्य रहे जिन्होंने काफी लम्बे समय तक अपनी सेवायें दी। इसके अलावा वे 7 अलग-अलग सभाओं के सदस्य भी रहे। यही कारण है कि हम एक महान स्वतंत्रता सेनानी के ट्रिब्यूट के लिए जींद में यह यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। इससे पहले हम संविधान सभा के अध्यक्ष डा० भीम राव अम्बेडकर के नाम से नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोल चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो यह बिल चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद के लिए लेकर आये हैं इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगी कि वहां पर रीजनल सैंटर पहले से ही चल रहा था और उसी को यूनिवर्सिटी में कंवर्ट किया गया है। विपक्ष के साथियों ने यह भी कहा कि वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वर्ष 2009-10 के दौरान स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से एक हजार लाख रुपये यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रैक्शन के कार्य के लिए दे दिया गया है। यही वजह है कि वहां पर गर्ल्ज हॉस्टल तैयार हो चुका है और टीचिंग ब्लॉक भी क्लासिज के लिए इस सैशन से तैयार हो चुका है। जहां तक गर्ल्ज हॉस्टल की बात है उसके 30 कमरे, ऑफिस, वार्डन रूम और मैस तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा गर्ल्ज हॉस्टल के 34 कमरे पहली मंजिल पर, 34 कमरे दूसरी मंजिल पर और 34 कमरे तीसरी मंजिल

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

पर निर्माणाधीन हैं। मैं मेरे माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि यदि वे जींद में रहते हैं तो वहां जाकर देखें, बिना देखे इस तरह की बातें न करें। जहां तक कोर्सिज की बात है वहां पर 2007 से एम०बी०ए०, एम०सी०ए० के दो कोर्सिज चल रहे हैं और उनमें 50 बच्चों के हिसाब से इस समय एडमिशंज चल रहे हैं। इसके अलावा वहां रिजनल सैंटर में एम०ए० म्यूजिक, ग्रेजुएट पी०जी० कोर्स इन फिजीकल एजूकेशन, एम०ए० इंगलिश, एम०ए० साईकलोजी, एम०ए० एजूकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमैंट आदि के कोर्सिज चल रहे हैं। दो-तीन सब्जैक्टस में बच्चे न होने के कारण एडमिशंज नहीं हुए। वहां पर रीजनल सैंटर में हरियाणा इन्स्टीच्यूट ट्रेनिंग एंड रिसर्ज सैंटर की बात थी जिसके लिए 75 एकड़ जमीन ली गई थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की मांग को देखते हुए यूनिवर्सिटी बनाई है जो की स्पेशल टाइप की यूनिवर्सिटी होगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए हमने भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सैंटर खरल में खोला है। सर, मैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की नेचर के बारे में एक मिनट में बताना चाहूंगी कि क्वालिटी एजूकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इससे हमारे प्रदेश के जितने भी बी०एड० कालेजिज हैं इस यूनिवर्सिटी से एफीलियेटिड रहेंगे और यहां पर ट्रैनिंग, रिसर्च तथा एडवांस स्टडीज का कार्य करवाया जायेगा और इसके लिए बजट में भी पैसे का प्रोविजन किया गया है।

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)** : अध्यक्ष महोदय, जिस समय बिल पर डिस्कशन चल रही थी उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था और न ही मैं किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना चाहता हूं। चौधरी रणबीर सिंह जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे ऐसा नहीं है कि वे मेरे पिता थे इसलिए उनके नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा रहा है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यदि हरियाणा के किसी पोलिटिकल आदमी का लिम्का बुक में नाम रहा है तो केवल उनका रहा है और किसी का नहीं रहा। इसके अतिरिक्त वे 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे हैं और दुनियां में ऐसा कोई दूसरा नहीं जो 7 विभिन्न सदनों का सदस्य रहा हो। (इस समय मेजें थप-थपाई गईं) मैं इन बातों में भी नहीं पड़ना चाहता। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और फिर भी किसी भाई को इस यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम से रखने में असहमति है और उनकी छोटी सोच है तो मैं मंत्री महोदया से प्रार्थना करूंगा कि उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम न रखा जाये। मुझे मालूम नहीं किस ने उनके नाम रखने पर एतराज किया है लेकिन यदि किसी भाई को उनके नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखने पर एतराज है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं उनके नाम को कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहता इसलिए यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम से न रखा जाये।

**श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल** : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि प्रदेश में सभी महान नेताओं के नाम से शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। जींद एजूकेशनली बहुत बैकवर्ड एरिया रहा है वहां पर एक महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से यूनिवर्सिटी खोली जा रही है इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है।

**Mr. Speaker :** You may please now move the motion that the Bill be passed.

**Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) :** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Question is-

That the Bill be passed.

*Motion was carried.*

---

17.00 बजे

**(iii) दि पंजाब शिडयूल्ड रोडस एण्ड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रक्शन आफ अनरेगेलेटिड डिवलपमैंट (हरियाणा वैलीडेशन) बिल, 2014**

**Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab Scheduled Road and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Validation) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Harayna Validation) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Scheduled Road and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Validation) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the Punjab Scheduled Road and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Validation) Bill be taken into consideration at once.

**प्रो० संपत सिंह (नलवा) :** स्पीकर सर, इस बिल को विधान सभा में लाने के लिए मैं हरियाणा सरकार की बहुत-बहुत सराहना करना चाहता हूं क्योंकि पिछले बहुत लम्बे समय से हिसार का जो कंट्रोल्ड एरिया था वह इल्लीगल चल रहा था। There was no controlled area as such in Hisar. सन् 1971 के अन्दर कंट्रोल्ड एरिया एक्ट बनाया गया और कंट्रोल्ड एरिया एक्ट जो नोटिफाई किया गया वह नोटिफिकेशन इल्लीगल थी क्योंकि ऐसे किसी एक्ट की नोटिफिकेशन के बारे में निर्धारित प्रक्रिया यह है कि उसके बारे में एक अंग्रेजी या दो हिन्दी अखबारों में उसकी पब्लिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद सन 1982 में फिर कंट्रोल्ड एरिया एक्ट बना और तत्पश्चात कंट्रोल्ड एरिया एक्ट की नोटिफिकेशन हुई लेकिन पहली बार की तरह इस बार फिर वही गलती दोहराई गई कि इस नोटिफिकेशन की एक अंग्रेजी या दो हिन्दी के अखबारों में पब्लिकेशन नहीं हुई। इसके बाद यह एक्ट कोर्ट में चैलेंज हुआ और कोर्ट ने उसको नल एण्ड वाईड कर दिया। इसके बाद सरकार इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गई लेकिन

[प्रो० सम्पत सिंह]

वहां पर भी सरकार को हारना पड़ा। यही नहीं वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉमेंट्स थे वे भी बहुत एडवर्स थे। इसलिए अगर कहीं अनअथोराईज्ड बिल्डिंग बन रही होती थी और वहां पर कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट का अधिकारी जाता था तो वह भी अनअथोराईज्ड ही जाता था क्योंकि उनको वहां पर अनअथोराईज्ड बिल्डिंग को रोकने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। यह इसलिए भी था क्योंकि वहां पर कोई कंट्रोल्ड एरिया था ही नहीं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** स्वाभाविक है कि यह एक बहुत बड़ी गलती थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चाहे वह 1971 की गलती हो या फिर 1982 की गलती हो, चाहे दोषी अधिकारी अब रिटायर ही क्यों न हो गये हों, दोषी अधिकारियों के खिलाफ हर हाल में एक्शन लिया जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने नोटिफिकेशन होने के बाद उसको अखबार में ही नहीं छपवाया, जिसकी वजह से यह एक्ट उस समय लागू नहीं हो पाया। अधिकारियों की इसी लापरवाही की वजह से इस एक्ट को इतने लम्बे समय के बाद अब लागू किया जा रहा है। जिन अधिकारियों के फाल्ट की वजह से यह एक्ट सही समय पर लागू नहीं हो पाया उन अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। मेरे विचार से इस मामले में यह एक बहुत बड़ा लैप्स है। इस से पता चलता है कि कुछ लोग किस प्रकार से इनएफीशीएंटली काम करते हैं। इसके अलावा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदार अधिकारियों का पब्लिक इंट्रेस्ट के मामले में किस प्रकार का एटीच्यूड होता है। इस मामले में कंट्रोल्ड एरिया का नोटिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है लेकिन इस मामले में पिछले 20-25 साल से कोई भी काम नहीं हुआ है। इसके विपरीत इस मामले में बार-बार गलतियों पर गलतियां हो रही हैं। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि आज चाहे ऐसे अधिकारी रिटायर हो गये हों माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस मामले की गहनता से इंक्वायरी करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। मैं फिर से यह कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों के लैवल पर यह बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। यह पब्लिक के प्रति एक बहुत बड़ा क्राईम था। इसके कारण शहर के चारों तरफ अनअथोराईज्ड एरिया बनना शुरू हो गया और इसे रोका इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं था। पूरे हरियाणा में केवल हिसार शहर एक ऐसा शहर था जिसके अंदर यह अपवाद बना। सर, मैं इस कानून को बनाने के लिए एक बार फिर सरकार की बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूँ। यह एक बहुत अच्छा कानून बनाया गया है। अगर आगे से अनअथोराईज्ड कंस्ट्रक्शन होगी तो उसको रोका जा सकेगा। उसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डिपार्टमैंट वाले रोक सकते हैं। इसके अलावा भी जो लीगल अथॉरिटीज हैं और कारपोरेशन वाले हैं वे भी इसको रोक सकते हैं लेकिन in the absence of Notification यह जो चल रहा था इसके बारे में आप देखें कि इसके ऊपर किस प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है।

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That the Punjab Scheduled Road and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Validation) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Deputy Speaker :** Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

**Clause 2**

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Deputy Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

**Mr. Deputy Speaker :** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That the Bill be passed.

*The motion was carrried.*

---

**(IV) दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2014**

**Mr. Deputy Speaker :** Now, the Education Minister will introduce the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill, 2014 and will also move for its consideration.

**Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) :** Sir, I beg to introduce the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill, 2014.

Sir, I beg to move-

That the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Deputy Speaker :** Motion moved-

That the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Deputy Speaker :** Now, the House will consider the Bill clause by cause.

**Clause 2**

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carrried.*

**Clause 1**

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carrried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Deputy Speaker :** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Deputy Speaker :** Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

**Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) :** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

**Mr. Deputy Speaker:** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Deputy Speaker:** Question is-

That the Bill be passed.

*The motion was carrried.*

---

## (V) हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2014

**Mr. Deputy Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Police (Amendment) Bill, 2014 and will also move for its consideration.

**Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to introduce the Haryana Police (Amendment) Bill, 2014

Sir, I beg to move-

That the Haryana the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Deputy Speaker :** Motion moved

That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) :** उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने जो अमैंडमेंट बिल पेश किया है उसके बारे में मेरा कहना है कि 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक बोर्ड गठित किया जाये और वह बोर्ड बहुसदस्यीय हो यानि उसमें सदस्यों की संख्या एक से अधिक हो। इसमें मेरा सुझाव यह है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाये। ऐसा न हो कि जो हाल लोकायुक्त का हो रहा है इसका भी वही हाल हो। लोग लोकायुक्त के पास शिकायत भेजते हैं और लोकायुक्त कार्रवाई करने के लिए लिखिते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पद को संवैधानिक दर्जा दिया जाये ताकि जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई की जाये।

**प्रो० सम्पत सिंह (नलवा) :** उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी ने जो बात कही है वह ठीक है। 2006 में प्रकाश सिंह वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उसमें सभी स्टेट गवर्नमैंट्स को डायरेक्शन्स दी गई थी। और हमारी सरकार ने उनकी डायरैक्शन को मानते हुए यह एक्ट सन् 2007 में पास कर दिया और आज एमैंटमैंट ला रहे है यह अच्छी बात है। इसमें स्टेट पुलिस कम्पलेंट अथोरिटी बहुसदस्यीय होनी चाहिए क्योंकि एक मैम्बर की अथोरिटी से बात नहीं बनती। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जिन लोगों को कम्पलेंट अथौरिटी के लिए लिया जाए उनकी क्वालीफिकेशन वगैरह कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार के मैम्बर होने चाहिए यह देखने की बात है। इस

[प्रो० सम्पत सिंह]

अथौरिटी को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पैटीशन आज भी पैंडिंग है और बाकायदा उसकी मौनीटरिंग भी चल रही है इसके लिए एक कमेटी बना रखी है। सोली सोराबजी जी तथा other eminent Lawyers भी उस कमेटी में शामिल हैं। बाकायदा इस बात के लिए मौनीटरिंग चल रही है कि स्टेट इस पर इम्पलीमैंटेशन कैसे कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन्ज के अनुसार इम्पलीमैंटेशन कर रही है या कोई अलग तरह से बदल कर इम्पलीमैंटेशन कर रही है? पहले हमारी जो अथौरिटी थी अनफॉरच्यूनेटली वह अथोरिटी चुनाव आने पर "आप" पार्टी में चली गई। इस तरह की अथोरिटी का कोई फायदा नहीं है। उस समय राणा जी अथौरिटी में थे वह बाद में आप पार्टी में चले गये। चलो वे आप पार्टी में चले गये वह उनकी इच्छा थी। वे सोच रहे थे कि आप पार्टी से शायद कोई सुधार आएगा। मैं ये नहीं कहता कि कौन कहां जाएगा ठीक है उसकी अपनी इच्छा है। डिप्टी स्पीकर सर, रणदीप सिंह जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ही बहुत एजूकेटिड है, वैल एजुकेटिड हैं, वे लॉ एण्ड ऑर्डर सुधारना चाहते हैं, जनता का भला करना चाहते हैं इनकी इन्टैंशन बहुत अच्छी है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस बारे में जो डायरैक्शन दी गई थी उन डारैक्शन के हिसाब से हमें इस अथौरिटी को कान्सटीच्यूट करना चाहिए। उस डायरैक्शन में स्टेट लेवल की पुलिस कम्पलेंट अथौरिटी के लिए यह दिया गया था कि 'members headed by a retired judge of High Court/Supreme Court chosen out of a panal of nemes proposed by the Chief Justice, This authority will be assisted by three or five members selected from a panel prepared by the State HRC/ Lokayukta/PSC'. हम अगर इस अथौरिटी के लिए क्वालिफिकेशंज रखेंगे तो बढ़िया रहेगा ताकि पुलिस की तरफ से जो भी ज्यादती हो उसके खिलाफ कोई भी कम्पलेंट कर सके। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता क्योंकि कम्पलेंट तो कोई भी कर सकता है। आम आदमी को प्रोटेक्शन देने के लिए तो यह अथौरिटी बनाई गई है और इसके सामने कोई भी अपनी कम्पलेंट दर्ज करा सकता है। जब कोई अथौरिटी होगी तो ही अपनी कम्पलेंट दर्ज करा सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मान लो हम किसी पुलिस अधिकारी को या आई०ए०एस० अधिकारी को चाहे रिटायर्ड को या सिटिंग को अथौरिटी बना देंगे तो 100% बायस होगी ही। सर, मेरी एक राय है, हो सकता है यह राय किसी को अच्छी न लगे और मेरी राय यह है कि डॉक्टर को कभी हैल्थ मिनिस्टर न बनाएं, एजुकेशनिस्ट को कभी एजेकुशन मिनिस्टर न बनाएं। यह मेरी अपनी एक सोच है क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल बायस होती ही है। इन्टैलीजैंट आदमी तो हर डिपार्टमैंट में काम कर सकता है। मैं कहता हूं कि उन लोगों की अपनी कोई पर्सनल बायसिज रही होगी। आज वह आदमी चाहे स्टेट के अन्दर काम करता है या चाहे वह पहले काम करता रहा हो लेकिन उसने जो स्टेट अथौरिटी को चेंज किया तो उस बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का लिखा हुआ है। इस बारे में दूसरी बात जो डिस्ट्रिक्ट जज की कही है उसमें लिखा है कि 'members headed by a retired District Judge chosen out of a panel of nemes proposed by the Chief Justice or a Judge of High Court nominated by him'. यह डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है इस तरह की क्वालिफिकेशन के लोग ओबवियसली अगर आते हैं तो स्वाभाविक है वह पुलिस अथोरिटी के एगेंस्ट प्रोटैक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से पुलिस एन्फोरस्मैंट एस्टेब्लिशमैंट बोर्ड को बनाने की बात भी की गई है। पुलिस एस्टेब्लिशमैंट बोर्ड के साथ बाकायदा यह डिफाईन किया गया है कि डी०एस०पी० लेवल के ट्रांसफर कौन करेंगे, और

बाद में वही बोर्ड आपके एस०पी० के ट्रांसफर के लिए केवल रिक्मैंडेशन कर सकता है। लेकिन उसके लिए कौन करेगा? इसके लिए स्टेट के अन्दर मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, वह यह काम करेगी इसलिए इस बारे में जो उन्होंने राय दी है उस राय को हमें हूबहू मानना चाहिए ताकि इससे स्टेट को एक बड़ा फायदा हो । डिप्टी स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली बार आपने बहुत मेहरबानी की । मैंने एक प्रश्न डाला था कि पुलिस विभाग के एक साल के एरियर्ज पैंडिंग पड़े थे और आपने एक दम 38 करोड़ रुपये पुलिस विभाग के ये एरियर्ज क्लीयर करने के लिए जारी कर दिए थे। सर, अब भी उस तरह से एरियर्ज पाइल अप हो गये हैं। किसी भी एस०पी० के, डी०आई०जी० के या डी०जी० के एरियर्ज पाइल अप नहीं होते बल्कि सिपाही से लेकर डी०एस०पी० तक के एरियर्ज पाइल अप हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जहां हम ये एक्ट ला रहे हैं उसमें एक तरफ तो हम उन पर कन्ट्रोल डाल रहे हैं वह तो अच्छी बात है कि कन्ट्रोल डालना चाहिए लेकिन उनके वैल्फेयर के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। उनका जो एरियर्ज पैंडिंग है वह क्लीयर करना चाहिए। वह एरियर्ज हमें उनको देना चाहिए चाहे इसके लिए कहीं और से कट लगाना पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सरकार ने परसों कैबिनेट में फैसला लिया है मैं उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं और इसमें फिर एक बात आ जाती है कि हरियाणा स्टेट नम्बर-1 है। जो पुलिस का मुलाजिम बाकायदा अपनी कुर्बानी देगा या वह फैटल्ड हो जायेगा तो उसके लिए कुछ अमाउंट का प्रोविजन किया गया है। सीरियस फैटल्ड हो जायेगा तो उसके लिए अलग अमाउंट का प्रावधान किया गया है। डिप्टी स्पीकर सर, पहले कुर्बानी के बदले जो अमाऊंट दी जाती थी वह एक-दो लाख रुपये हुआ करती थी लेकिन अब यह 20-20 लाख रुपये तक दी जाती है। इसी प्रकार से पुलिस वालों के परिवार में उनके बच्चों के लिए एक्सग्रेशिया का प्रोविजन भी रख दिया गया है। यह बहुत बढ़िया बात है। माउंटेनरिंग के क्षेत्र में जो हमारी तीन होनहार लड़कियां थी उन तीनों लड़कियों को सरकार ने सब-इंस्पेक्टर बनाया है जिसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से सरकार ने पुलिस की वैल्फेयर के लिए तथा डॉक्टर्ज की वैल्फेयर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। स्पीकर सर, पहले यहां सदन में इस बात के लिए रोते थे कि हरियाणा प्रदेश के हॉस्पिटल्ज का बुरा हाल है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी कहा करते थे कि हम डॉक्टर्ज को नियुक्त करते हैं लेकिन वे बाद में सर्विस छोड़ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अब उनको इस तरह की फैसिलिटीज मिलने के बाद वे सर्विस छोड़कर नहीं जायेंगे। इसी तरह से सरकार ने एम०एस० और एम०डी० डॉक्टर्ज के लिए जो वेतन व दूसरी सुविधाओं संबंधी महत्त्वपूर्ण फैसले लिये हैं वे भी काबिले तारीफ हैं। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं पुलिस से संबंधित एक बात और कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने पुलिस की वैल्फेयर के लिए बहुत काम किया है। पुलिस पर्सोनल्ज को 5000/- रुपये मासिक रिस्क भत्ते के साथ-साथ 2000/- रुपये अंतरिम राहत के तौर पर भी सरकार ने दिये हैं जोकि एक बहुत अच्छी बात है। इसमें थोड़ा सा फर्क और है जिसकी तरफ मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पुलिस विभाग में मैसन और कारपेंटर के पद का पे-सकेल पुलिस कांस्टेबल के पे-सकेल से भी ज्यादा है। इस तरह से हमारे पुलिस कांस्टेबल की स्थिति एक कारपेंटर से भी नीचे हो गई है। विडंबना देखिये कि महकमा एक है लेकिन विसंगति कितनी है। मेसन या कारपेंटर के पद पर पहले छठीं या आठवीं कक्षा पास को ही लगा दिया जाता था अब जाकर इसके लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता फिक्स की जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं था लेकिन जो हमारे पुलिस पर्सोनल्ज है वे अमूमन 12वीं

[प्रो० सम्पत सिंह]

पास तो होते ही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप इतनी दरियादिली दिखा ही रहे हैं, सारे मुलाजिमों की समस्या एक-एक करके हल कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि मेसन या कारपेंटर तो केवल 8 घंटे काम करके अपने घर चले जाते हैं लेकिन पुलिस पर्सोनल्ज को 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और हरियाणा पुलिस वर्किंग के लिए, फोर्स के लिए, स्ट्रैंग्थनिंग के लिए, लॉ एंड आर्डर के लिए देश में अच्छी पुलिस की श्रेणी में गिनी जाती है। जो भी केस इसको दिये जाते हैं वह उन केसिज को सोल्व करती है। यदि पुलिस केस को सोल्व नहीं कर पाती है तो इसका डिस्क्रेडिट हमें ही जायेगा। यदि पुलिस आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी तो वह अच्छा काम कर पायेगी और सभी तरह के केसिज भी सोल्व कर सकेगी तो निश्चित रूप से इसका क्रेडिट सरकार को ही जाने वाला है। यह पुलिस हमारे लिए 24 घंटे काम करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे पुलिस पर्सोनल्ज को सभी स्टेट्स से बेहतरीन सकेल दिया जाना चाहिए। मैं स्केल के लिए कोई लिमिट नहीं रखना चाहता हूं बल्कि मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि और स्टेट्स से बेहतरीन स्केल हमारे पुलिस पर्सोनल्ज को दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब जब आप इतने पब्लिक इंट्रस्ट में काम कर रहे हो तो अब आपको पुलिस इंट्रस्ट में भी अवश्य काम करना चाहिए। इस तरह से प्रदेश की पुलिस भी हरियाणा नं० वन की तरह नं० वन पुलिस मानी जाने लगेगी। इसके अतिरिक्त मैं यह बात भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पुलिस पर्सोनल्ज को वर्दी के लिए कपड़ा दिया जाता है। यदि कपड़ा देने की बजाय उनको पैसा दे दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आज सुबह पुलिस को दिया जाने वाला कपड़ा देखा। दांगी जी भी मेरे साथ थे इन्होंने भी इसको देखा था, जोकि बहुत खराब था। मैं चाहता हूं कि कपड़ा खरीदने के लिए कंपनियां फिक्स कर दें। जो सरकार द्वारा कपड़ा दिया जाता है वह तो जिस कंपनी का रेट कम होगा उससे ही खरीदना पड़ता है। आजकल चूंकि सारा सिस्टम ऑन लाईन हो चुका है इसलिए इस दिशा में पारदर्शिता भी बढ़ी है। अब तो नैट पर साफ पता चल जाता है कि किस-किस कंपनी ने आवेदन किया था तथा किसके रेट कम हैं। पुलिस की बाध्यता हो जाती है कि जिसका रेट कम है वह ही लेना पड़ेगा। यदि कंपनी डिसाईड हो जाये कि देखो यह चार कंपनियां हैं इनसे कपड़ा खरीदा जाये, इसके अलावा अन्य किसी कंपनी से कपड़ा नहीं खरीदा जायेगा। यह कंपनियां चाहे बिन्नी कंपनी हो चाहे वह मफतलाल कंपनी हो या फिर चाहे वह विमल कंपनी हो, उनसे ही कपड़ा खरीदा जायेगा। अच्छे कपड़े से बनी वर्दी में हमारे जो जवान हैं वह अलग ही नजर आयेंगे। डिप्टी स्पीकर सर, कभी आप सुनारियां भी गये होंगे तो वहां आपने देखा होगा कि हमारे पुलिस के जवान सारे हिंदुस्तान की पुलिस से अलग ही नजर आते हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे पुलिस जवानों की अलग से वर्दी आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि यदि इनको अच्छा पे-सकेल दे दिया जाये तो सारा क्लेश ही कट जायेगा। इस प्रकार से जैसे यह एडवर्टाईजमैंट आती है कि हरियाणा नं० 1 है उस दिशा में यह भी कहा जाने लगा कि हरियाणा पुलिस भी नं० 1 है। धन्यवाद सर।

**उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :** उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय अरोड़ा साहब ने तथा आदरणीय प्रो० सम्पत सिंह जी ने दो विषय उठायें हैं। मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो अमैंडमैंट्स हैं, इनके लिए सरकार ने पहले कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया था। इस सब-कमेटी ने भिन्न-भिन्न लोगों से मंत्रणा की। वे विषय जो आप लोगों ने उठायें हैं यह विषय भी इनमें शामिल थे। जब इस कमेटी ने एक डिटेल रिपोर्ट फाईल कर दी उसके बाद ही

इस संशोधन विधेयक को हम लेकर आये हैं। आदरणीय अरोड़ा जी ने इनकी ताकतों के बारे में प्रश्न-चिन्ह उठाया। जहां तक मैं उनकी भावना को समझ पाया हूं तो संभवतया: यह भावना उनके मन में रही होगी कि कहीं ये कमेटी पेपर टाईगर बनकर न रह जाये और कुछ खास काम न कर पाये? इसलिए इस संबंध में उनका ध्यान क्लॉज 7 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें सैक्शन 65 का हमने संशोधन किया है। हमने बाकायदा स्टेट लैवल की कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लैवल की कमेटी का स्कोप डिफाइन करने की कोशिश की है। Clause 7 sub-section (1) of section 65 says-

> "(1) The authority shall inquire into allegations of serious misconduct against police personnel of the rank of Deputy Superintendent of Police and above..."

इनके नीचे डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कंप्लेंट अथॉरिटी का अख्तियार दे दिया गया और फिर इनसे ऊपर स्टेट को अख्तियार दिया गया। उसके बाद सीरियस मिसकंडक्ट क्या है उसको डिफाइन किया गया है। सीरियस मिसकंडक्ट में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:-

(a) rape or attempt to commit rape;

(b) death in police custody;

(c) grievous hurt;

(d) custody or detention without due process of law;

(e) extortion;

(f) acquiring property through coercion;

(g) involvement of police personnel in organized crime

(h) inaction by police official in any offence as defined in the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) which attracts minimum punishment of ten years or more:

**(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)**

पुलिस को अपनी कानून व्यवस्था का काम भी करना है उनके खिलाफ प्रिविलेज की दरखास्तें भी न आये इसलिए कैबिनेट सब कमेटी ने और हमने यह जानने की कोशिश की कि कौन से वे जुर्म हैं जिनके बारे में अक्सर पुलिस के बारे में शिकायतें आती हैं। इस प्रकार के जहां-जहा पर संगीन अपराध होते हैं, हमने उनको बाकायदा पहली बार डिफाइन करने का प्रयास किया है कि हम यहां-यहां पर चैक लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी है उसके बारे में आप इस बिल के पेज नम्बर 6 पर सैक्शन 68-सी देख सकते हैं, उसमें हमने फिर से डिफाइन किया है उसमें लिखा है कि- The District Police Complaint Authority shall enquire into allegations of serious misconduct against police personnel.......

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह नहीं कहना चाहता हूं कि आप किन-किन अपराध को ले रहे हैं, मेरा यह कहना है कि उनकी रिपोर्ट के ऊपर कार्यवाही होगी, इसके लिए हम बाध्य हों।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला** : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अरोड़ा जी की भावना से अपने आपको जोड़ता हूं क्योंकि जो ये फरमा रहे हैं वो शायद गलत नहीं है, सही है। क्योंकि यह स्टैच्यूटरी अमैंडमेंट है, संवैधानिक अमैंडमेंट करने का तो इस लेजिस्लेजर को अख्तियार ही नहीं है, स्टेट लेवल पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस अथॉरिटी को कैसे ताकत दें कि उनकी बात मानी जाये। आपने प्रकाश सिंह वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया के केस की चर्चा की और आदरणीय प्रो० संपत सिंह जी ने भी इसके बारे में चर्चा की, इसके मुताबिक पहले इस एक्ट की इतनी डिटेलिंग डिफाइन नहीं थी और एक सिंगल व्यक्ति जिनकी आपने बाई नेम चर्चा की स्टेट लेवल पुलिस अथॉरिटी के अध्यक्ष रहे हैं अब बकायादा हमने इसे मल्टी मैम्बर बॉडी बनाया है इसकी अप्वायंटमैंट अथॉरिटी के बारे में जैसे कि प्रो० संपत सिंह जी कह रहे थे रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज ही अप्वायंट हों। अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब की बात से अपनी बात जोड़ते हुए मैं बताना चाहता हूं कि इस कमेटी में बकायदा यह चर्चा हुई कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज यहां बना दो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज वहां बना तो क्या कोई और बुद्धिमान व्यक्ति समाज में नहीं मिल सकता और कमेटी को ये लगा कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज भी कंसीडर हो जायें। कोई बहुत अच्छे वकील हैं जिनकी 20 साल की स्टैंडिंग है, कोई बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जिनकी 20 साल की स्टैंडिंग है, कोई बहुत अच्छे न्यायविद् हैं जिनकी 20 साल की स्टैंडिंग है कोई ऐसे समाजसेवी हैं जो बहुत प्रखर हैं और जिनकी 20 साल की स्टैंडिंग है और इसलिए हमने 59-2सी के अंदर ये बकायदा 20 साल की कंडीशन लिखी है और उसमें लिखा है कि पब्लिक लाईफ । मैं यह मानता हूं कि कई बार जिसने राजनीतिक जीवन में भी 20 साल से काम किया है, उसको ज्यादा तजुर्बा है बजाय उसके जो अकेले न्यायधीश की कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि उसको जिन्दगी की मुश्किलात की, जरूरियात की, पेचीदगियों की ज्यादा जानकारी है तो हम केवल यह मान लें कि जो न्यायाधीश की कुर्सी पर रहा है वह ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और बाकी सबको डिनाई कर दें तो यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस कमेटी का हिस्सा था शायद कमेटी को उचित नहीं लगा इसलिए हमने इसे ब्रॉड बेस किया। Ten year in the field of public life, academics, law, administration, governance, criminal administration and social work सात फील्ड हमने डिफाइन किये और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी के लिए हमने 10 वर्ष की कंडीशनैल्टी लगाई, मैं अरोड़ा साहब की बात से सहमत हूं कि इसको हम और ज्यादा सशक्त कैसे बनायें हमें देखने की आवश्यकता है और मैं उन्हें सरकार की ओर से आश्वसन देता हूं हालांकि हमने इसे ब्रॉड बेस बनाने की कोशिश की है और ज्यादा सशक्त करने के लिए जो और संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी चाहे कानून में चाहे नियमों में वो भी हम अवश्य करेंगे, इसी के साथ मेरा अनुरोध है कि इस कानून को पारित किया जाये।

**प्रो० संपत सिंह (नलवा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे वकील हैं और आप उस कमेटी के मैम्बर भी रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है separation of investigation from law and order उसको भी आपने अलग करना था, हमने एक अलग से कानून पास किया था उसमें पुलिस रूल के अंदर एमेंडमेंट की थी और हमने सी०आई०डी० का कैडर अलग से बनाने के लिए मंजूरी दी थी। अध्यक्ष महोदय, उसको पास किये हुए काफी टाइम बीत गया है, मैं यह भी रिकवैस्ट करूंगा कि हमने उसकी एमैंडमेंट जो की थी उसको जल्द से जल्द लागू करें क्योंकि सी०आई०डी० का वर्ग एक

इंटैलिजैंसी का वर्ग है। यदि यह वर्ग ज्यादा मजबूत होगा तो फिर आपको ज्यादा पुलिस वालों की जरुरत नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही इंटैलिजैंसी आप गैदर कर लेंगे। कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं और आपके पास भी आते हैं कि हमें सी०आई०डी० में लगवा दो जिन लोगों को वर्दी पहनने में दिक्कत आती है वे कहते हैं कि हम सी०आई०डी० में जाना चाहते हैं इसके लिए हमारे पास रिकवैस्ट आती है कि हमें सी०आई०डी० में बदली कर दो, क्राईम में बदली कर दो। अध्यक्ष महोदय, मैं होम मिनिस्टर रह चुका हूं। इसलिए मुझे पता है कि वे लोग काम तो करना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि हम प्रोपर्टी डीलर का काम करते रहेंगे इसलिए हमारी बदली सी०आई०डी० में कर दो। स्पीकर सर, इनकी क्वालिफिकेशन के साथ-साथ पे-स्केल भी अलग रखे गये थे। लेकिन इनको इम्पलीमैंट नहीं किया गया। मैं यह चाहता हूं कि इसे अलग से इम्पलीमैंट करके कानून बना दिया जाये। स्पीकर सर, उसमें अमैंडमैंट किये हुए भी काफी समय हो गया है। मेरी शुरू से यही राय रही है कि हमारी जो सी०आई०डी० यूनिट है उसकी बकाया ऑल टू गैदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पुलिस से डिफरैंट होनी चाहिए। सर, पुराने जमाने में थानेदार को अपने एरिया का पता रहता था। आज जमाना यह आ गया है कि वह सभ्य लोगों के साथ संबंध नहीं रखते हैं बल्कि बाहर जो सड़क के ऊपर चाय वगैरह के खोखे लगे होते हैं उनसे संबंध रखते हैं। उससे समाज का कोई फायदा नहीं होता है। यदि पुलिस में इन्टैलीजैंट आदमी लगेंगे तो समाज के सभी लोगों को फायदा होगा। इसी तरह से इन्वैस्टीगेशन और लॉ एण्ड आर्डर को अलग रखेंगे तो बेहतर होगा।

**Mr. Speaker :** Question is-

That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the House will consider the bill clause by Clause.

**Clauses 2 to 10**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Clauses 2 to 10 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Question is-

That the Bill be passed.

*The motion was carrried.*

---

**(VI) दि इंडियन पीनल कोड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2014**

**Mr. Speaker :** Now, the Labour & Employment Minister will introduce the Indian Penal Code (Haryana Amendment) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to introduce the Indian Penal Code (Haryana Amandment) Bill, 2014.

Sir, I aslo beg to move-

That the Indian Penal Code (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the Indian Penal Code (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**श्री सुमिता सिंह (करनाल) :** अध्यक्ष जी, मैं हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल ज्यादातर महिलाओं की समस्याओं से संबंधित है। स्पीकर सर, जब महिलाएं घर से बाहर जाती हैं तो स्नैचरों द्वारा उनके गले से चैन छीनना या चलती रिक्शा से महिलाओं का पर्स छीन कर भाग जाने के बारे में यह हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल काफी फायदेमंद होगा। स्पीकर सर, हरियाणा में स्नैचिंग का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर ही पड़ता है। सर, इस बिल में सजा का प्रावधान किया गया है वह बहुत सराहनीय है। इससे महिलाओं के अन्दर आत्मविश्वास बढ़ेगा कि यदि घर से बाहर निकलने पर स्नैचरों द्वारा उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो उन स्नैचरों को पकड़े जाने पर

सख्त सजा मिलेगी। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जो स्नैचर हादसा करके भाग जाते हैं और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं, उनको पकड़ने के लिए मेन चौराहों और चौकों पर जहां पर अधिकतर भीड़-भाड़ के स्थानों पर ऐसी घटना होती हैं वहां पर सी०सी०टी० कैमरे लगाने चाहिए ताकि पुलिस फोटो पहचान करके स्नैचरों को आसानी से पकड़ सकें और उनको सख्त से सख्त सजा दे सकें। स्पीकर सर, सही मायने में हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल से महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। मैं हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल का स्वागत करती हूं। हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल को सदन में लाने के लिए मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय व मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद।

**Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak)** : Hon'ble Speaker Sir, I must compliment the Government. It is a long standing demand. चैन स्नैचिंग एक ऐसा क्राइम है जो एक महिला के कांफीडैंस को शटर करता है। यह क्राइम तो जस्ट सैकिण्ड के अन्दर बड़ी आसानी से कॉमिट हो जाता है। परन्तु जिस महिला के साथ यह क्राइम होता है उस महिला पर उसका काफी दिनों तक इसका असर रहता है। सरकार ने यह बिल लाकर बहुत अच्छा काम किया है। अब जो चैन स्नैचिंग का मुलजिम पकड़ा जायेगा तो उसका सैशन कोर्ट में ट्रॉयल होगा। स्पीकर सर, मेरे हिसाब से तो उस मुलजिम का सैशन ट्रॉयल होगा और उसको पांच की सजा हो जायेगी। इसके साथ ही जो डिटेन करके किसी से कोई चीज छीनी जाती है और साथ में उस व्यक्ति को इन्जरी की जाती है तो उस मुलजिम को दस साल की सजा हो जायेगी और उसका सैशन कोर्ट में ट्रॉयल होगा। इस बात से निश्चित रूप से उन मुलजिमों में खौफ बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं सरकार से एक और रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी चैन स्नैचिंग के इन्सीडैंटस होते हैं उनके लिए पुलिस अथॉरिटी को डायरैक्ट किया जाए कि कहीं न कहीं कुछ चैकिंग करके ऐसा क्राइम करने वाले मुलजिम पकड़े भी जा सकें। इसके लिए पुलिस अथॉरिटी द्वारा प्रचार भी किया जाए कि यह क्राइम करने से इतनी सजा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**Mr. Speaker :** Hon'ble Minister, how has this become Sessions Trial?

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, this becomes Sessions Trial on account of the fact that is now-cognizable offence and has also the amount of punishment.

**Mr. Speaker :** It could not become Sessions Trial, (Iterruption) No, it is not that. Even in 326 IPC there is a punishment on life imprisonment by a Magistrate. (Interruption) Where is a provision here that it will be trialled by Sessions Judge?

**Shri Bharat Bhushan Batra :** Sir, there is an amendment also in Cr. P.C. (Iterruption)

**Shri Randeep Singh Surjewala :** It makes no difference.

**Mr. Speaker :** Somebody is misleading that amendment.

**Shri Randeep Singh Surjewala :** We are not putting a Sessions Trial conditionality.

**Mr. Speaker :** Now you can do it.

**Shri Randeep Singh Surjewala :** There is no need also. Sir, there are two issues.....

**Mr. Speaker :** When such cases go for Sessions Trial, Sessions Trial will be flooded with so much of work. They will not be able to function normally. I don't think, it should be made for Sessions Trial.

**Shri Randeep Singh Surjewala :** We have not made so. Let me clarify. Speaker Sir, I am thankful to both my senior colleagues, my learned friends who have intervened and also all the other Members of this House. You know that 356 IPC. You have practiced law yourself on the Criminal Wing and you know that under 356, the maximum punisment is two years and there was no other offence. A very rigorous provision has been brought in. I am also thankful to Mr. Batra Sahib. He has been helpful in drafting this piece of legislation and helping the Government in introducing this piece of legislation. 379 A & 379 B have been added and as you can see a minimum punishment has been prescribed. I think it will go a long way for ensuring security. It doesn't have to be completely concur with you that it is a Sessions Trial. I corrected myself the moment I read the amendment in the Cr. P.C. because even a Magistrate will be able to do justice. The whole idea of these two amendments in two different legislations is 379 A to make the offence non-Cognizable and non-bailable,

**Mr. Speaker :** That is good.

**Shri Randeep Singh Surjewala :** 379-B when the punishment is five years and ten years minimum, then the deterrent is that much more. So as far as the cameras go, I think in the District Development Plans also now, many cities have cameras. I want to tell my colleague who is back now in the House that many District Development Plans including that of Karnal has now sanctioned some money for installation of cameras at important vantage point which are always helpful, That is great suggestion and I think Police is already implementing that. With these words, I request the House to pass the Bill.

**श्री अशोक अरोड़ा (थानेसर) :** स्पीकर सर, बहुत अच्छी बात है कि सरकार इस प्रकार की अमैंडमैंट लेकर आई है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं इस अमैंडमैंट के जरिये ऐसे मुलजिमों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। स्पीकर सर, परन्तु यह बात तो ऐसे केसिज में लागू होती है जोकि सौल्व हो जाते हैं और जो मुलजिम पकड़े जाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि आजकल शहरों में बहुत ज्यादा केसिज इस प्रकार के बढ़ रहे हैं जिनमें चैन छीन कर और पर्स छीनकर मुलजिम भाग जाते हैं और बाद में पकड़े नहीं जाते। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि इस प्रकार की घटनाएं जिस एस०एच०ओ० के पुलिस स्टेशन के एरिया में निरन्तर बढ़ती जा रही हैं उसके लिए कम से कम उस एस०एच०ओ० को तो जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए।

**श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) :** अध्यक्ष महोदय, यह जो डैफीनेशन है 379 ए०, इसके अंदर मैं समझता हूं एकोमप्लिश जो चैन स्नैचर्स के हैं, उनके बारे में कोई प्रोवीजन नहीं है क्योंकि

एक मोटरसाइकिल पर कई-कई बैठते हैं। अबैटर के लिए कोई प्रोवीजन नहीं है। ऐवीडैंस एक्ट की सैक्शन 114 में भी यह प्रोविजन हो कि इसकी लायबिलिटी प्रोसीक्यूशन पर न हो बल्कि एक्यूज्ड पर हो कि इसने चैन स्नैच नहीं की ताकि ये फुल प्रुफ ओफैंस बने।

**Shri Randeep Singh Surjewala :** That is very good suggestion. I have noted it. You are right. We will consult our legislation Department. If any further amendments are required, we shall bring them.

**Mr. Speaker :** But there was a very valuable suggestion by Smt. Sumita Singh that most of the cities do not have cameras where these activities can be recorded so that these accused can be tracked also. Well, out of my own discretionary funds, I have got installed 35 Cameras in Gannaur. Why can't it happen everywhere in other districts also ?

**Shri Randeep Singh Surjewala :** As I pointed Sir, the Hon'ble Chief Minister had directed the District Developmental Plan that has been carved out for this year. Special money has been allocated including for her and your city of Karnal where an amount, if I remember correctly since I go there for the District to attend the Grievnce Committee meeting, about Rs. 22 lacs we had allocated separately only for this and for other districts have also done because the Hon'ble Chief Minister had directed.

**Mr. Speaker :** That is very good step.

**प्रो० संपत सिंह (नलवा) :** अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट डिवैल्पमैंट प्लान के बारे में बताया। रणदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट डिवैल्पमैंट प्लान का पिछले साल का पैसा भी अभी तक नहीं पहुंचा चाहे तो इस बारे में फाइनांस डिपार्टमैंट से पता करवा लें। जब पिछले साल पैसा भी नहीं पहुंचा तो कैमरे किस प्रकार लगवाएंगे इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट डिवैल्पमैंट प्लान का पिछले साल का पैसा तो कम से कम इस साल चला जाए। इस तरह की एक्टीविटीज के लिए हम और किसी फण्ड से पैसा यूज नहीं कर सकते, इसके लिए या तो डी०क्यू० का पैसा या फिर डिस्ट्रिक्ट डिवैल्पमैंट प्लान का पैसा ही होता है ताकि इस तरह की एक्टीविटीज या दूसरी सोशल एक्टीविटीज के लिए हम मदद कर सकें। मैं यही कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट डिवैल्पमैंट प्लान का पैसा जल्दी जारी किया जाए।

**श्रीमती सुमिता सिंह :** अध्यक्ष महोदय, जिस तरह आपने अपने फण्ड से अपनी कांस्टीच्युंसी में कैमरे लगवाए हैं उसी तरह आप अपने फण्ड में से करनाल में भी कैमरे लगवा दें क्योंकि आप करनाल में भी रहते हैं और करनाल की सड़कें, बिजली और पानी यूज करते हैं। (विघ्न)

**Mr. Speaker :** The suggestion is noted. I think this Government is committed to that and the Government is already shown its commitment.

**Shri Randeep Singh Surjewala :** Now, I stand committed with that which you have mentioned. (Interruption)

**श्रीमती सुमिता सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वे 21 तारीख को करनाल में बस अड्डे का पत्थर रखने जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगी कि जहां बस अड्डा बनेगा मौके पर आप वहीं पत्थर रखना।

**Mr. Speaker :** Question is-

That the Indian Penal Code (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the House will consider the Bill Cause by Clause.

**Clauses 2**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move-

*That the Bill be passed.*

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Question is-

That the Bill be passed.

*The motion was carrried.*

(VII) दि इंडियन कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2014

**Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to introduce the Code of Criminal Procedure (Haryana Amandment) Bill, 2014.

Sir, I beg to move-

That the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Question is-

That the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the House will consider the bill Cause by Clause.

**Clauses 2**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

**Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Question is-

That the Bill be passed.

*The motion was carried.*

**(VIII) स्टेट यूनिवर्सिटी आफ प्रोफोर्मिंग एण्ड विज्युअल आर्ट्स, रोहतक बिल, 2014**

**Mr. Speaker :** Now, the Technical Education Minister will introduce the State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

**Revenue Minister (Shri Mahendra Partap) :** Sir, I beg to introduce the Technical Education Minister will introduce the State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Bill, 2014.

Sir, I aslo beg to move-

That the State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Bill taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Bill taken into consideration at once.

**श्री भारत भूषण बत्तरा (रोहतक) :** स्पीकर सर, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इस इन्स्टीच्यूट को यूनिवर्सिटी बनाया गया है। केवल यह बात नहीं है कि यह इन्फ्रास्ट्रक्चर रोहतक के अन्दर है। इसमें सारे हरियाणा और हिन्दुस्तान ने स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और इस इन्स्टीच्यूट का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। It is not of a State standard. It is not of a national standard. It is of international standard. पहले इसको सरकार चला रही थी और अब इसको ऑटोनौमस बॉडी बनाकर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इसके अन्दर State Institute of Fine Arts, State Institue of Designs, State Insntitute of Films & TV and State Institute of Urban Planning and Architect कॉलिज हैं। It is an Architect College. It is a Fashion & Designs College and Fine Arts College. यह पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैरिट के बेस पर वहां एडमिशन होते हैं और वहां स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। It is an asset to the State. इसको एक यूनिवर्सिटी बनाया है इसके लिए I must compliment the Government being Legislatior from Rohtak.

**Mr. Speaker :** Question is-

That the State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Bill taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

**Sub-Clauses 2 of Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Clauses 2 to 35**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Clauses 2 to 35 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Schedule**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

*The motion was carried.*

**Sub-Clauses 1 of Clause 1**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Sub-Clause 1 of Clause 1stands part of the Bill.

*The motion was carried.*

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker :** Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.*

**Title**

**Mr. Speaker :** Question is-

That the Title be the title of the Bill.

*The motion was carried.*

**राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप)** : स्पीकर सर, वैसे तो बतरा जी ने स्वयं ही इसकी प्रशंसा की है और निसंदेह यह बिल प्रशंसा के योग्य भी है। वैसे भी एजूकेशन के मामले में आज के परिपेक्ष्य में टैक्नीकल ऐजूकेशन का विशेष महत्त्व है। हरियाणा सरकार ऐजूकेशन के प्रति अपने दायित्व को बखूबी निभा रही है। विशेष तौर पर इस केस में इस संस्थान में क्षेत्रीय ही नहीं, राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे कोर्सिज को आज यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। यहां पर पूरा इन्फ्रॉस्ट्रक्चर तैयार है। यूनिवनर्सिटीज को सहायता देने के लिए गुड गवर्नेंस, अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनकी प्रगति के लिए उनकी प्रतिभा को तराशने के लिए मैं समझाता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाना निहायत आवश्यक है जिसकी यहां पर प्रशंसा की गई है। इसके लिए मैं माननीय सदस्य श्री बतरा जी का धन्यवाद करता हूं।

**Mr. Speaker :** Now, you may please move the motion that the Bill be passed.

**Revenue Minister (Shri Mahendra Partap) :** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved-

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Question is-

That the Bill be passed.

*The motion was carried.*

---

**Mr. Speaker :** Yes, Mr Saini what do you want to say.

**डॉ बिशन लाल सैनी :** स्पीकर सर, मैं अपने तर्जुबे की एक बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। सर, पिछले पांच साल के दौरान हम एम०एल०एज० जहां कहीं पर भी गये तो हमारे वहां से वापस आ जाने के बाद लोग आपस में यह बात पूछते हैं कि एम०एल०ए० साहब आये थे वे क्या देकर गये हैं? इसी संदर्भ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे भी जाते-जाते एम०एल०एज० की बंद पड़ी विकास निधि को खोल जायें, इससे उनका भी बड़ा भला होगा। (विघ्न)

**सरकार की उपलब्धियों से सम्बन्धित वक्तव्य/मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद।**

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को यह कहना चाहता हूं कि यह बात इनको पहले कहनी चाहिए थी क्योंकि इनके द्वारा इस बात को सैशन के आखरी दिन और आखिर समय पर कहने का कोई फायदा नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं यह तो नहीं कह सकता कि अब इसके बाद 11वीं विधान सभा का और सैशन नहीं होगा लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव नजदीक हैं इसलिए जहां तक हालात का सम्बंध है मैं समझता हूं कि 11वीं विधान सभा का यह आखिरी सैशन है। अध्यक्ष जी, इस समय के दौरान आपका जो सहयोग और सभी साथियों की जो सहभागिता रही है उसके लिए मैं आप सभी का बड़ा आभारी हूं। यहां पर हमने जो बहुत सारे कानून पास किये, जो प्रदेश के हित के लिए हम यहां पर बिल्ज लेकर आये और जिस प्रकार से प्रदेश ने प्रगति की है इसके लिए जो आप सभी का सकारात्मक रवैया रहा है उसके लिए भी मैं आप सभी का आभारी हूं। मुझे एक बात का मलाल जरूर है मेरा किसी के ऊपर कटाक्ष करने का मकसद नहीं है लेकिन इस बात का मेरे दिल में मलाल है कि विपक्ष के साथियों के कभी भी किसी भी विषय पर सकारात्मक सुझाव नहीं आये। (विघ्न) मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष के साथियों का रवैया हमेशा ही वॉक-आऊट करके सुर्खियों में आने का रहा है। मैं इनको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर ये इस बार विपक्ष में रहते हुए अच्छे सुझाव देना शुरू कर देते तो इनका यह अनुभव इनको 12वीं विधान सभा में भी काम आता और ये शुरू से ही अच्छे सुझाव देना शुरू कर देते क्योंकि अगली बार भी इनको विपक्ष में ही बैठना है। अध्यक्ष महोदय, हमारे से पहले क्या काम हुआ उसके बारे में आज मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 2005 से पहले प्रदेश के क्या हालात थे मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। 2005 में मुझे प्रदेश का विकास करने का और सभी लोगों के हित में काम करने का मौका मिला तो एक विजन, एक

सपना और एक लक्ष्य अपने दिल और दिमाग में लेकर हम आगे बढ़े। मेरा विजन अपने हरियाणा को खुशहाल, सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित बनाने का था। उस विजन को लेकर हम आगे बढ़े और हमने इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में बहुत तरक्की की है क्योंकि हम पहले इस क्षेत्र में काफी पिछड़े हुये थे। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के मुख्य तौर पर 4 पैमाने होते हैं। अगर किसी प्रदेश के विकास को मापना है तो यह देखना होता है कि उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश कितना है, प्रति व्यक्ति प्लैन्ड बजट का खर्च कितना है और रिसोर्सिज आफ मोबिलाईजेशन कितना है। अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुये थे उस समय आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेन्द्र मोदी जी वे उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे। मैंने उनका भाषण सुना और मैं उनकी बात से सहमत भी हूं। वे अपने भाषण में कह रहे थे कि किसी प्रदेश के विकास का प्रमुख पैमाना उस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय होती है। (विघ्न)

**अशोक कुमार अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा धोखा है क्योंकि जिस राज्य में 49.5 प्रतिशत लोग बी०पी०एल० की श्रेणी में हों वहां पर उनको प्रति व्यक्ति आय के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है?

**भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, यह इनका अपना विचार हो सकता है। दूसरी बात जो अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि बी०पी०एल० 49.5 प्रतिशत हैं तो यह आंकड़ा फूड सिक्योरिटी का है न कि बी०पी०एल० का हरियाणा में आंकड़ा 21 प्रतिशत है। (विघ्न)

**श्री कृष्ण लाल पंवार** : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं हरियाणा में बी०पी०एल० का आंकड़ा 21 प्रतिशत है जबकि पूरे राष्ट्र का 65 प्रतिशत है। (विघ्न)

**अशोक कुमार अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, ठीक है जिस स्टेट में 49.5 प्रतिशत लोग फूड सिक्योरिटी पर आधारित हों वहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होने के क्या मायने हैं।

**भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े मेरे नहीं हैं ये तो प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं और यह उनका ही पैमाना है तथा उसी के आधार पर हर राज्य की प्रति व्यक्ति आय तय होती है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये वॉक-आउट करके जायेंगे। मैं नरेन्द्र मोदी जी का जिक्र कर रहा था वे उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वे उत्तर प्रदेश में एक सभा में भाषण के दौरान कह रहे थे कि किसी प्रदेश के विकास का पता लगाना हो तो उस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देखनी चाहिए। वे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों को देखिये तो पता चलता है कि यह एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 33 हजार रुपये हैं और मोदी जी कह रहे थे कि मेरे प्रदेश गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 75 हजार रुपये है अब शायद 79 हजार रुपये हो चुकी है लेकिन वह तो 75 हजार रुपये ही बता रहे थे और वह गुजरात की तुलना हमारे हरियाणा प्रदेश से कर रहे हैं जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 35 हजार रुपये है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा और प्रति व्यक्ति निवेश में-----------(शोर एवं व्यवधान)

## वाक आउट्स

**अशोक कुमार अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं हम उनसे सहमत नहीं। वे गलत ब्यानी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** No running commentary please. Leader of the House is speaking.

**श्री रामपाल माजरा :** अध्यक्ष महोदय, हम मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत नहीं हैं। इसलिए हम इनके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

**(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के सभी सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा स्टेटमैंट दिए जाने के विरोध स्वरूप सदन से वॉक आऊट कर गये।)**

(ii)

**श्री घनश्याम सर्राफ :** अध्यक्ष महोदय, हम मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत नहीं हैं इसलिए हम इनके विरोध में सदन से वॉक आउट करते हैं।

**(इस समय भारतीय जनता पार्टी के श्री घनश्याम सर्राफ मुख्यमंत्री द्वारा स्टेटमैंट दिए जाने के विरोध स्वरूप सदन से वॉक आऊट कर गये।)**

**सरकार की उपलब्धियों से सम्बन्धित वक्तव्य/मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद (पुनरारम्भण)**

**भूपेन्द्र सिह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, मुझे पता था कि विपक्षी सदस्य वाक आऊट कर जाएंगे क्योंकि ये सच्चाई सुन नहीं सकते। मैंने पहले ही कहा था कि इनका पांचों साल यही रवैया रहा है उसमें इनका कसूर नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही स्कूल में पढ़े हैं और इनके स्कूल में जो अच्छे विद्यार्थी रहे हैं वे आज हमारे साथ हैं जैसे प्रो० सम्पत सिंह जी हैं, डा० रघुबीर कादयान जी हैं, दांगी साहब हैं। ये अच्छे विद्यार्थी थे जो आज हमारे साथ हैं।

**श्री आनन्द सिंह दांगी :** स्पीकर सर, ये सारे आठवीं तक पढ़े हैं और आठवीं तक न कोई एग्जाम होता है और न ही कोई फेल-पास होता है।

**श्री भूपेन्द्र सिह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, जो आठवीं पास कर गये थे वे हमारे पास आ गये। आज मुझे इस बात का गर्व है कि सन् 2005 में हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में 14 वें नवम्बर पर था और प्रति निवेश में हरियाणा नम्बर-1 पर है। सन् 2005 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 37 हजार 972 रुपये थी और आज वह बढ़कर 1 लाख 35 हजार 7 रुपये हुई है। सन् 2005 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 95 हजार 795 करोड़ रुपये था और आज वह बढ़कर 3 लाख 45 हजार 238 करोड़ रुपये हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हरियाणा कितनी तरक्की कर रहा है। स्पीकर सर, विकास कैसे होगा उसके लिए पहले प्लान बजट बनता है। सन् 2005 में 2 हजार 300 करोड़ रुपये का बजट था और रिसोर्सिज मोबिलाईजेशन 2 हजार 108 रुपये से ज्यादा कभी नहीं गया और आज हमारा प्लॉन बजट 32 हजार 731 करोड़ का है जोकि हर फील्ड में आगे रहा है। जैसे मैंने शिक्षा के मामले में कहा कि हरियाणा अगले चार-पांच साल में राज्य स्तर का नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा का हब बनने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप किसी भी इन्स्टीच्यूट का नाम लें जिस तरह आज केन्द्र ने बजट पेश किया और एक भारी बहुमत से केन्द्र में सरकार बनी और वे कह रहे हैं कि हमने पांच आई०आई०एमज० दे दिए, चार या पांच आई०आई०टीज० दे दी और चार या पांच ऐम्स दे दिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में तो पहले से ही एम्स हैं, आई०आई०टी० हैं और आई०आई०एम० हैं

जो आप सबके सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के उदाहरण के तौर पर कुछ बताना चाहता हूं कि इन्क्ल्यूसिव डिवैल्पमैंट हमारे प्रदेश में हुई है। केन्द्र से जो इन्सटीच्यूट हम स्टेट में लेकर आए हैं उसका मैं विवरण देना चाहता हूं जिसमें पंचकूला में नेशनल फैशन टैक्नोलौजी इन्सटीच्यूट बन रहा है। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसकी सरकार ने इस इन्स्टीच्यूट को जमीन भी दी और सौ करोड़ रुपये भी दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में नैशनल डिजाईन इन्स्टीच्यूट और यमुनानगर में स्टेट इन्स्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट हम लेकर आए हैं। यमुनानगर के स्टेट इन्स्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट की फाऊंडेशन अभी रखी गई है। करनाल में कल्पना चावला मैडीकल कॉलेज हम लेकर आए हैं। स्पीकर सर, पानीपत में स्टेट इंस्टीटच्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट लाया गया है। भिवानी में चौधरी बंसी लाल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी लाई जा रही है । इस संबंध में बिल आज ही सदन में पास किया गया है। इसी तरह से जींद में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रिजनल सैंटर खोला गया था, उस रिजनल सैंटर की जगह अब चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सोनीपत जिले में निफ्टम सैंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी इंस्टीच्यूट लाया गया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गांव किलड़ोड (सोनीपत) में बनने जा रही है। इसको आई०आई०आई०टी० के नाम से भी जाना जाता है। सोनीपत में ही लॉ यूनिवर्सिटी डॉ० भीम राव अंबेडकर जी के नाम से लायी गई है। भगत फूल सिंह राजकीय महिला मैडिकल कॉलेज तथा भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी खानपुर कलां सोनीपत में लाई गई है। दीनबंधु सर छोटूराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुरथल का दर्जा बढ़ाकर इसे विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बनाया गया है। इसी तरह से आई०आई०टी० दिल्ली का एक्सटैंशन राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी में सोनीपत में आ रहा है और इस तरह से यहां पर बहुत सारी प्राईवेट यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं। रोहतक में आई०आई०एम० यानि भारतीय प्रबन्धन संस्थान तथा पंडित बीडी० शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय लाया गया है। झज्जर में एम्स-II को लाया गया है तथा आई०आई०टी० दिल्ली की एक्सटैंशन को भी यहां लेकर आया गया है। ग्लोबल सैंटर फॉर न्यूक्लीयर पार्टनरशिप इन खेड़ी जसौर (झज्जर) में लाया गया है। फरीदाबाद के वाई०एम०सी०ए० इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा बढ़ाकर इसे तकनीकी विश्वविद्यालय बनाया गया है तथा ई०एस०आई० मैडीकल कॉलेज भी यहां बनने जा रहा है। फतेहाबाद में न्यूक्लीयर पॉवर प्लॉट लाया गया है। मेवात में शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मैडीकल कॉलेज, नलहड़ में लाया गया है। गुड़गांव में देश की पहली डिफैंस यूनिवर्सिटी (भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय) बनने जा रही है। इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ कारपोरेट एफेयर मानेसर में लाया गया है। रिवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय तथा सैनिक स्कूल लाया गया है। महेन्द्रगढ़ में सैंटर्ल यूनिवर्सिटी को लेकर आया है। हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लाया गया है तथा इसके अतिरिक्त गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करके साईंस एंड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाया गया है और हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेश मैनेजमैंट को भी यहां पर लाया गया है। सिरसा में चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय का जब विपक्ष के साथियों ने निर्माण करवाया था तो उस समय केवल मात्र चार कमरों का ही प्रावधान किया गया था लेकिन हमारी सरकार ने इस विश्वविद्यालय को यू०जी०सी० से मान्यता दिलाकर तथा सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करके इस विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। अगर वहां जाकर देखा जाये तो पता चल जायेगा कि कितना रुपया इस यूनिवर्सिटी पर खर्च किया गया है। इस तरह से हरियाणा शिक्षा का एक हब बनता जा रहा है। विकास के इन्हीं कार्यों की वजह से

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

हरियाणा प्रदेश शिक्षित, सुरक्षित और खुशहाल हुआ है तथा वहां पर लोगों की पर कैपिटा इंकम भी बढ़ी है। किसान से संबंधित क्षेत्र हो या फिर सोशल सैक्टर से संबंधित कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रदेश ने तरक्की की है। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसान को जो गन्ने का समर्थन मूल्य दिया गया है वह पूरे देश में सबसे ज्यादा है। खाद्यान्न उत्पादन यानि फूड प्रोडक्शन वर्ष 2004-05 में महज 130 लाख टन था वह हमारे समय में बढ़कर 175 लाख टन के आंकड़े को छूने लगा है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) इसके अतिरिक्त प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति दूध की खपत महज 636 ग्राम हुआ करती थी वह बढ़कर 747 ग्राम हो गई है। It is one of the highest in the Country. पहले फसल नष्ट होने पर 2000/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था अब इसको भी बढ़ाकर 10000/- रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) इसी तरह से यदि खेत में किसी किसान या मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5,00,000/- रुपये का मुआवजा दिया जाता है। यदि गांव में किसी व्यक्ति की गाय या भैंस की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी अलग से मुआवजा दिया जाता है। पहले जब बैंक से लोन लिया जाता था तो मोरगेज के लिए स्टॉम्प ड्यूटी लगाई जाती थी, हमारी सरकार ने उस स्टॉम्प ड्यूटी को खत्म कर दिया । चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में यदि दादा अपने पोते के नाम या बाप अपने बेटे के नाम या फिर बेटा अपने बाप के नाम या अपने दादा के नाम, भाई अपनी बहन के नाम या बहन अपने भाई के नाम कोई जमीन-जायदाद ट्रॉसफर करते थे तो स्टॉम्प ड्यूटी लगाई जाती थी। यह स्टॉम्प ड्यूटी इतनी ज्यादा होती थी कि परिवार दो फाड़ हो जाया करते थे। परिवार टूटने की नौबत बनी रहती थी। इस स्टॉम्प ड्यूटी को हमने खत्म कर दिया। हमने प्रावधान कर दिया कि यदि कोई भी खून के रिश्ते में प्रोपटी ट्रॉसफर करता है तो उस पर स्टॉम्प ड्यूटी नहीं लगाई जायेगी। इन विपक्ष के लोगों के समय में बिजली का बहुत बुरा हाल था। आज यदि आप पंजाब में देखे, उत्तर प्रदेश में देखें या फिर दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है वहां पर जायें तो पायेंगे कि वहां पर बिजली के लिए हाहाकार मची हुई है। मुझे खुशी है कि शहरों में पूरी बिजली महैया करवाई जा रही है। किसान को 8 घंटे बिजली दी जा रही है और गांव में 14 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। काबिलेगौर बात यह है कि 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसान को बिजली मुहैया करवाई जा रही है। जहां तक डीजल की बात है तो मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान की अपेक्षा हरियाणा प्रदेश में 5 रुपये से लेकर 8 रुपये तक सस्ता डीजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। ओल्ड एज पेंशन की बात करे तो आज एक हजार रुपया एकमुश्त वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2004 में विपक्ष के लोगों के शासनकाल में यह महज 200/- रुपये हुआ करती थी। यह वृद्धावस्था पेंशन 60 साल से उपर आयु वर्ग के 81 प्रतिशत लोगों को दी जा रही है। हालांकि यह वृद्धावस्था पेंशन गुजरात में दी जाती है लेकिन वहां मात्र 400/- रुपये केवल 21 प्रतिशत लोगों को ही दिये जाते हैं। इसके साथ जो हमारा साथ लगता पंजाब प्रदेश है वहां पर केवल 250/- रुपये पेंशन दी जाती है इसी प्रकार से दलित या बैकवर्ड क्लास के सभी बच्चे बच्चियों को हम पहली जमात में दाखिला के समय से ही वजीफा देना शुरू कर देते हैं। हरियाणा सरकार बैकवर्ड क्लास के 20 लाख बच्चों को वजीफा दे रही है। अध्यक्ष महोदय, चाहे शहर के विकास की बात हो, चाहे गांव के विकास की बात हो, चाहे किसी और वर्ग की बात हो, हरियाणा प्रदेश सभी प्रदेशों से आगे है। हमने महिलाओं के लिए अलग से नीति बनाई है। कॉमन वैल्थ गेम्ज में खिलाड़ियों को 38 गोल्ड मैडल मिले हैं, उसमें से

हरियाणा प्रदेश के हिस्से में 21 गोल्ड मैडल आये हैं, यह सिर्फ हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। इसी प्रकार ओलम्पिक में भी 6 मैडल में से 4 मैडल हरियाणा प्रदेश को मिले हैं। हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स नीति को भी बढ़ावा दिया तथा पत्रकार समाज के लोगों के लिए अलग से नीतियां भी बनाई गई हैं। हमारी सरकार ने हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यही है कि हमने सभी को खुशहाल बनाया है। यही हमारी सरकार का विजन था और यह कहते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य को हमने पूरा किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि विकास कभी रुकता नहीं है हमने बहुत कुछ किया है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी चले गये हैं, मैं उनको यही कहने वाला था कि अभी तो हमने एक मजबूत नींव रखी है, अभी तो हरियाणा प्रदेश को इस नींव के सहारे खड़ा किया है ताकि हम हरियाणा प्रदेश को खुशहाल और शिक्षित बना सकें हमें हरियाणा को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाना है। अध्यक्ष महोदय, जब किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी तो आगे निर्माण अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हाउस का संचालन किया है और यह बहुत ही सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, हमें हरियाणा विधान सभा के सभी कर्मचारियों, सेक्रेटरी स्टाफ, स्पीकर स्टाफ और सभी का बड़ा सहयोग मिला। मैं उनका अपने सभी माननीय सदस्यों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और आखिर में यही कहना चाहता हूं कि "करके विचार फैसला कर लिया, करके विचार फिर हरियाणा की कांग्रेस सरकार तीसरी बार"। अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत ही शेरो शायरी का शोक रखते हैं "कुछ किये बिना जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती"। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं फिर मिलेंगे 12वीं सदन में कितने आयेंगे यह पता नहीं है लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार भारी बहुमत से इस सदन में आयेगी। सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं अतः एक बार फिर से सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

**Mr. Speaker**: Hon'ble Mimber, I am highly thankful to all of you for extended cooperation to me for smooth conducting of the proceeding of this House and also thankful to the Press Representatives, Government Officers and officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation extended to me during the present and all the previous sessions and the House stands adjourned *sine-die*.

*18.08 hrs. (The Sabha then *adjourned *sine-die*.)

---

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh